Monday, 10 March, 1975

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 49 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 16, सोमवार, 10 मार्च, 1975/19 फाल्गुन 1896 (शक)

No. 16 Monday, March 10, 1975/Phalguna 19, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	*Obituary References*	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 282 से 284, 286, 287 और 289	*Starred Question Nos. 282 to 284, 286, 287 and 289.	2—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 285, 288 और 290 से 301	Starred Question Nos. 285, 288 and 290 to 301	17—26
अतारांकित प्रश्न संख्या 2759 से 2835 और 2837 से 2934	Unstarred Question Nos. 2759 to 2835 and 2837 to 2934	27—138
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	138—139
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	140
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	140
14 वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Fourteenth Report--Presented	140
अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेलवे) 1974—75 विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (Railways) 1974-75 — Statement presented	140
अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे) 1972—73 विवरण प्रस्तुत किया गया	Demands for Excess Grants (Railways)—1972-73 — Statement presented	140—141

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
न्यास विधि (संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित	Trust Laws (Amendment) Bill—Introduced	141
न्यास विधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement Re-Trust Laws (Amendment) Ordinance	141
कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक पुरः स्थापित	Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Bill-Introduced	142
रेलवे बजट, 1975-76—सामान्य चर्चा	Railways Budget, 1975-76—General Discussion	142
श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi	142
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of a Member	146
(श्री हुक्म चंद कछवाय)	(Shri Hukam Chand Kachwai)	
बजट सामान्य, 1975-76	General Budget, 1975-76—General Discussion	146
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	146
श्री बी० आर० भगत	Shri B.R. Bhagat	147
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	150
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe .	151
श्री अमृत नहाटा	Shri Amrit Nahata .	153
श्री पी० वेंकटासुब्बैया	Shri P. Venkatasubbaiah	155
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin .	156
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N.K. Sanghi .	158
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha	160
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi .	161
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa .	162
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari .	163
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma	164
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	165
53 वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Fifty-third Report—Presented.	165

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 10 मार्च 1975/19 फाल्गुन, 1896 (शक)

Monday, March 10, 1975/Phalguna 19, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपने दो मित्रों अर्थात श्री जे० एन० लहिरी तथा श्रीमती इला पाल चौधरी के दुखद: निधन के बारे में सूचित करना है ।

श्री जे० एन० लहिरी 1957–62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। पहले 1952––57 के दौरान वह पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे । वह स्वतंत्रता आन्दोलन के अग्रिणियों में से थे। 1911 में बर्लिन में वह गदर पार्टी के सदस्य तथा सम्पर्क अधिकारी थे और उन्होंने वहां भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार एकत्रित किए। उन्होंने भारत छोड़ों आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया । श्री लहिरी हरिजन आन्दोलन तथा शिक्षा में अत्यधिक रूचि लिया करते थे । 7 मार्च, 1975 को 86 वर्ष की आयु में कलकत्ता में उनका निधन हो गया ।

श्रीमती इलापाल चौधरी 1953—57 के दौरान पहली लोक सभा, 1957—62 क दौरान दूसरी लोक सभा तथा 1968—70 के दौरान चौथी लोक सभा की सदस्या रहीं । पश्चिम बंगाल की एक विख्यात महिला के रूप में उन्होंने अपने राज्य की विभिन्न ढंग से सेवा की । उन्होंने देश तथा विदेश में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक तथा हितकारी संगठनों को संरक्षणता प्रदान की उनका प्रत्येक कार्य अर्थात विभिन्न देशों के गीत तथा छोटी कहानियां बड़ी रूचि से पढ़ी जाती हैं । वह अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की पश्चिम बंगाल शाखा नेहरू सहकारी अनुसंधान संस्थान, बेंहाला, कलकत्ता, कल्याण सेवा समिति, उत्तरी ज़ोन भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, पश्चिम बंगाल राज्य शाखा की प्रधान तथा संयुक्त राष्ट्र ऐसोसियैशन, कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल बाल कल्याण परिषद कलकत्ता जिला की उप प्रधान थी । वह युनेस्को क्लब आफ इंडिया, दिल्ली की संस्थापक सदस्या थी । इस सभा में उन्होंने बाल कल्याण सभा महिलाओं के अधिकारों सम्बन्धी कार्यों में अत्यधिक रूचि ली 19 मार्च 1975 को 68 वर्ष की आयु में कलकत्ता में उनका निधन हो गया ।

हमें अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक है और मुझे पूरी आशा है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजने में यह सभा मेरा साथ देगी ।

सदस्यगण दुख प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े रहे

तत्पश्चात सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ क्षणमौन खड़े रहे

The members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के त्रिची स्थित डालडा उत्पादक यूनिट में उत्पादन न होना

*282 **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के त्रिची स्थित डालडा उत्पादक की पूर्ण क्षमता गत कई महीनों से अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के त्रिची स्थित कारखाने में डालडा का उत्पादन पुनः आरम्भ करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) यह फैक्ट्री नवम्बर, 1974 के मध्य से बन्द पड़ी है क्योंकि इसको बेचने का प्रस्ताव है ।

(ख) इसकी बिक्री होने के बाद, आशा है कि इस फैक्ट्री को नया प्रबन्ध पुनः चालू करेगा ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या मैं जान सकती हूं कि विक्रय की राशि क्या होगी । क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि मूल्यांकन सही हो ? विक्रय अनियमित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसकी बिक्री 74 लाख रूपये पर करने का प्रस्ताव है । यह फैक्ट्री 25 वर्ष पुरानी है और इसकी आस्तियों का मूल्य 74.67 लाख रूपये है । चूंकि इन कम्पनियों में अधिकांश शेयर अनिवासियों के हैं, इसलिए रिर्जव बैंक आफ इंडिया इस पर विचार कर रहा है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि पहले जब कम्पनी बन्द हो रही थी और कार्य नहीं कर रही थी तो वहां के कर्मचारियों ने कहा कि हम इसे अपने अधिकार में लेने तथा सहकारी आधार पर चलाने के लिए तैयार हैं ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : क्या आप तमिलनाडु सरकार का उल्लेख कर रही हो ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : भारत सरकार का ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारत सरकार ने इसे चलाने के लिए अपने अधिकार में लेने पर विचार नहीं किया क्योंकि वहां की मशीनरी बहुत पुरानी है और फक्ट्री की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है । मेरा विचार है कि इसकी विक्री कर देना ही उचित है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मैं यह नहीं पूछ रही थी कि क्या सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया है ? मेरा प्रश्न यह था कि चूंकि यह यूनि-लीवर अर्थात विदेशी कम्पनी का उपसंगी है और इसमें बहुत बड़ी धन राशी लगी हुई है, अतः जब कर्मचारियों ने कहा कि वे इसे सहकारी आधार पर चलाने के लिए तैयार है तो सरकार ने क्या कहा । मैं यह पूछ रही हूं कि यह सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना नहीं है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जब तक इस तरह की कम्पनियों के प्रबन्ध को हस्तांरित करने की सरकार की सामान्य नीति नहीं तब तक हम एकक को वाध्य नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को श्री सी० के० चन्द्रप्पन के प्रश्न संख्या 293 से जोड़ा जा सकता है । क्या वह यहां है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : वह यहां नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि फैक्ट्री को बन्द करने के क्या कारण हैं ? क्या तमिलनाडु या दक्षिणी जोन में डालडा की मांग पर्याप्त नहीं है ? माननीय मंत्री के अनुसार यह एकक लाभ नहीं कमा रहा है । यह घाटे में चल रहा है । किन्तु क्या यह सही नहीं है कि जबकि कम्पनी के समूचे लाभ और हानि का लेखा एक ही संतलन पत्र में अंकित है, सरकार इस एकक को बेचने की अनुमति दे रही है । चाहे वह त्रिचरी अथवा गाजियाबाद की फैक्ट्री हो, उनका सन्तुलन पत्र एक ही है और संन्तुलन पत्र की उपयोगिता को पृथक रूप से नही आंका जा सकता । मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार की नीति उपभोक्ताओं की डालडा की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करना है तो सरकार इसे किसी अन्य उपक्रम को बचने की बजाय स्वयं अपने अधिकार में क्यों नहीं ले लेती । उन्हें रिर्जव बैंक अनमति के िबना बेचने की अनुमति कसे दी गई ? मुझे बताया गया है कि इस सम्बन्ध में रिर्जव बैंक से किसी भी प्रकार परामर्श नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय आप अपनी ही जानकारी मत दीजिए, प्रश्न पूछिए ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। माना कि विदेशी प्रभुत्व वाली कोई कम्पनी अपनी कम्पनी किसी भारतीय को बेचना चाहती है तो हम बाधक क्यों बने । मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को नहीं समझ सका । मैं नहीं समझता कि ऐसा करके किसी तरह नियम अथवा विनियमों का उल्लंघन हुआ है । वास्तविकता तो यह है कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत इस तरह की कम्पनियों को रिर्जव बैंक से परामर्श करना पड़ता है और उन्होंने ऐसा किया है ।

श्री एस० एन० बनर्जी : रिर्जव बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वे इसकी जांच कर रहे हैं ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने सम्बन्धी उच्च शक्ति-प्राप्त समिति

*283 **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन सम्भवतया कब तक प्रस्तुत करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुख्तयार सिंह मलिक : दिल्ली में पंद्रह लाख लोग अनाधिकृत बस्तियों में रह रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में है। सरकार अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुये हर पल अपनी नीति बदल रही है । पिछली बार जब श्री ओम मेहता निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे तो उन्होंने राज्य सभा में यह वक्तव्य दिया था कि 1967 के बाद बनी सभी अनाधिकृत बस्तियों को तोड़ दिया जायेगा। किन्तु बाद में प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया कि 1971 या 1972 तक बनी सभी अनाधिकृत बस्तियां नियत कर दी जायेगी। भगवान जाने सरकार की क्या नीति है। सरकार इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट नीति सभा पटल पर रखने में असफल रही है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उच्च शक्ति प्राप्त समिति की क्या सिफारिशें हैं और क्या मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में है कि दिसम्बर 1974 तक निर्मित झुग्गी झोंपड़ियों को . . .

अध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त में बताइये ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : श्रीमान् यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । उनके पास सतर्कता विभाग तथा अन्य विभाग के कर्मचारी हैं। सरकार की नीति यह है कि मकानों तथा झुगी झोंपड़ियों को उनके बनाने के पश्चात गिरा दिया जाये । वे हर समय सोये क्यों रहते हैं। वे सतर्क क्यों नहीं रहते ? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह सभा में स्पष्ट रुप से बताने की स्थिति में हैं कि दिसम्बर 1974 तक बनी झुग्गी झोंपड़ियों को नहीं तोड़ा जायेगा।

श्री दलबीर सिंह : सरकार ने अतीत में इन लोगों के प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाई है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि दिल्ली में कई अनाधिकृत बस्तियां बन गई हैं और सरकार ने कुछ बस्तियों को नियमित कर लिया है। वर्ष 1966–67 में दिल्ली नगर निगम ने एक सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण के फलस्वरूप 103 कालोनियां नियमित की गई। उसके बाद भी 1967 तक 68 कालोनियां नियमित की गई। 1972 में एक और सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण के फलस्वरूप भी सरकार के ध्यान में कई कालोनियां आई जो नियमित नहीं थी। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है। यही कारण है कि सरकार ने इस समिति की नियुक्ति की है और समिति ने सभी पहलुओं का अध्ययन किया है। अब इस समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है। सरकार इस प्रतिवेदन पर विचार कर रही है। विचार करने के पश्चात अग्रतेर कार्यवाही की जायेगी।

प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। किन्तु सरकार इस मामले में सदैव सहानुभूति दिखाती रही है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर निराशाजनक है। . .

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : बहुत ही बेकार।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : हां बेकार भी। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार इस प्रतिवेदन पर विचार करने में कितना समय लगायेगी ? क्या यह अगले चुनाव तक होगा ?

साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन अनाधिकृत बस्तियों तथा झोंपड़ियों में आवश्यक सुविधाएं दी गई हैं . . .

श्री जगन्नाथराव जोशी : तथाकथित अनाधिकृत कालोनियां।

श्री दलबीर सिंह : सरकार स्वयं इस प्रतिवेदन पर शीघ्रता से विचार करना चाहती है और हम इस पर यथा संभव शीघ्रता से विचार कर रहे हैं और सरकार आवश्यकता से अधिक समय नहीं लेगी।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : नागरिक सुविधाओं का क्या हुआ ?

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वे ममुष्य नहीं है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं आपकी सहायता चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं ? मंत्री जी हरियाणा के हैं और आप भी हरियाणा के हैं। किन्तु प्रश्न दिल्ली के बारे में है। मैं बीच में कैसे आऊं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. speaker, second part of the question has not been replied to.

निर्माण तथा आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : जब तक कालोनियों को नियमित नहीं कर लिया जाता तब तक प्रश्न ही नहीं उठता। हमें प्रतिवदन पर विचार करना है। हमें यह देखना है कि किसी कालोनी को नियमित किया जाय। इन सब बातों पर विचार करना है।

श्री एच०के०एल० भगत : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि यदि यह सच है कि नियुक्त समिति न अनाधिकृत कालोनियों के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया है तो उन्होंने संसद सदस्यों को ो नहीं बुलाया है। उन्होंने उन कालोनियों के प्रतिनिधियों तथा दिल्ली के संसद सदस्यों के विचार नहीं लिए हैं।

(2) मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला 15 लाख लोगों तथा लाखों मकानों का नहीं है। ये मकान पक्के हैं तथा इन पर करोड़ों रुपया व्यय किया गया है। कई कालोनियों में तो नागरिक सुविधाएं भी प्रदान की जा चुकी है।

(3) मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रतिवेदन पर अंतिम रूप से निर्णय करते समय संसद सदस्यों से भी परामर्श करेगी और अनधिकृत कालोनियों के प्रतिनिधियों को अपन विचार व्यक्त करने का अवसर भी देगी ?

श्री के० रघु रामैया : मैं मननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सरकार प्रतिवेदन पर अंतिम रूप से निर्णय लेने से पहले दिल्ली के सभी संसद सदस्यों से परामर्श करेगी।

समिति ने कई कालोनियों का सर्वेक्षण किया है। प्रतिनिधियों के माध्यम से कालोनियों के निवासियों के विचार समिति ने जान लिए हैं। अब जैसा कि मैंने कहा है हम अंतिम निर्णय लेने से पहले संसद सदस्यों से परामर्श किया जायेगा।

श्री प्रबोध चन्द्र : कहा गया है कि ये सभी अनाधिकृत कालोनियां है। यह भी कहा गया है ाक उन्हें सभी नागरिक सुविधाएं प्राप्त हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब उन्हें सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्राप्त हैं तो उन्हें अनाधिकृत कालोनियां क्यों कहा जा रहा है।

श्री दलबीर सिंह : मानवीय दृष्टि से तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जब तक यह कालोनियां नियमित नहीं हो जाती तब तक इन बातों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मरा प्रश्न विल्कुल भिन्न है और उनका उत्तर भी भिन्न है। प्रश्न यह है कि जब सरकार बिजली पानी आदि की सुविधाएं प्रदान कर रही है तो क्या वह ऐसा कर के अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण को प्रतिपादित नहीं कर रही है ?

श्री दलबीर सिंह : ये अनियमित कालोनियां हैं क्योंकि ये मास्टर प्लान (बृहत योजना) के अनुसार नहीं हैं। मास्टर प्लान के अनुसार कुछ कालोनियां हरे क्षेत्र (ग्रीन एरियाज) में स्थापित हो गई हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Just now the Hon. Minister said that these unauthorised colonies do not confirm to the Master Plan. I want to know whether the Central Government are going to consult the Delhi Administration for making any change in the Master Plan or whethor these colonies will continuously come up without being in confomity to the Master Plan.

श्री रघु रामैया : यह अनाधिकृत कालोनियां बिना किसी अधिकार के बना ली गई ह। ये कालोनियां मास्टर प्लान के अनुसार नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : बिल्कुल भी नहीं ।

श्री डी० एन० तिवारी : कुछ कालोनियों में कई मकान गिराये गए हैं किन्तु कुछ को छोड़ दिया गया है । कुछ लोगों को उसके बदले में जगह दी गई किन्तु अन्य लोगों को इससे वंचित रखा गया । इस भेदभाव का क्या कारण है ?

श्री दलबीर सिंह : पता नहीं माननीय सदस्य किन मामलों अथवा कालोनियों का उल्लेख कर रहे हैं । यदि ऐसा कोई विशेष मामला हमारे ध्यान में लाया जायेगा तो हम उसकी जांच करेंगे ।

श्री दिनेश जोरदर : मैं हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित सुकन्ता कालोनी के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह बस्ती दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र के अन्दर यमुना नदी के किनारे बसाई गई है । यहाँ लोग पश्चिम बंगाल से आये हैं । उन्हें वहां से इसलिए हटाया क्योंकि सरकार वहां हल्दिया परिशोधन शाला स्थापित करना चाहती थी। इन लोगों की संख्या लगभग 5,000 है, वे यहां पिछले तीन या चार साल से रह रहे हैं । क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या इस कालोनी को नियमित किया जा रहा है और क्या इन लोगों को वसने के लिए कोई और जगह दी जायेगी ? और क्या उच्च शक्ति प्राप्त समिति सुकन्ता कालोनी को नियमित करने के मामले पर विचार करेगी ?

श्री के० रघु रमैया : उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है । मुझे पता नहीं कि समिति ने इस मामले पर भी विचार किया है अथवा नहीं । प्रतिवेदन पर विचार करते समय मैं इसे ध्यान में रखूंगा ।

Irrigation Projects held up due to Inter-State dispute

*284. **Shri Atal Bihari Vajpayee**
Shri R. V. Bade } : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the names of the irrigation projects which are held up due to inter-State disputes and the time from which each of them is held up; and

(b) the targets fixed in respect of land irrigation project and the amount of loss being suffered every year on account thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K.N. Singh) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) A statement giving the names of irrigation projects, their planned annual irrigation benefits and the dates of their receipt in the Central Water Commission the clearance of which is held up on account of inter State disputes is annexed. [Placed in Library. *See* LT 9147/75]

While the development of irrigation has suffered in river basins where there are disputes, the country as a whole cannot be said to have suffered any significant loss since the funds available for irrigation have been utilised on developing the potential of the undisputed projects.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, it has been estimated a loss of rupees 1,5CC crores is being sustained every year as a result of delay in resolving the river water disputes. I want to know whether Government are considering to declare the entire water in the country as national property so that these disputes do not continue to be the concern of states and the Centre gets the full powers ? I want to know whether Government have received any proposals for the amendment of the constitution in this regard ?

Shri Kedar Nath Singh : It is correct that a lot of water is being wasted but there is no loss in respect of money, because it is a state subject and the money which they get is utilised in other schemes. So far as the question of declaring water as national property is concerned, it is being negotiated with states, but no decision has so far been taken.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Some of the disputes are pending since 1966 and 1968. For example the "utilization of surplus Ravi-Beas Waters" is pending since 17-11-1966. Similarly another case of Punjab-Thein Dam is pending since 8-5-1969. I want the difficulty in construction of this dam. Is it that some dispute is there with Pakistan. Is India not an authorised to construct this dam and reject Pakistans' complaint'.

Shri Kedar Nath Singh : There is an inter-State disputes involved in Thein Dam. The states involved are Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Rajasthan, Punjab and Haryana. Pakistan has nothing to do with this.

श्री के० लकप्पा : समाचारपत्रों में हाल में छपा है कि लगभग एक सौ परियोजनाएं विवादों के कारण रुकी हुई हैं। मैं इस बारे में नदी जल विवादों के समाधान में विलम्ब के कारण होने वाली हानि का सरकार का अनुमान जानना चाहता हूं। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस प्रकार इस कारण से कृषि उत्पादन बढ़ाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जैसे कि कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों में हुआ है।

श्री केदार नाथ सिंह : मैंने इस बारे में उत्तर दे दिया है।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। इस विलम्ब के कारण हानि हुई है और मैं नदी जल विवादों के हल करने के करण सूमूचे देश में हुई हानि जानना चाहता हूं। 100 परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं।

श्री केदार नाथ सिंह : मुझे माननीय सदस्य के सुझाव में बहुत रुचि है और हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने जानकारी नहीं दी है। यह एक महत्वपूण विषय है। प्रश्न बहुत स्पष्ट है। इतने वर्षों तक परियोजनाओं को आरंम्भ करने से कितनी हानि हुई है। ये विवाद कब तक हल हो जायेंगे। मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बीच में बाधा नहीं हूं। आप को उन्हें सन्तुष्ट करना चाहिये।

श्री केदार नाथ सिंह : हम इस समस्या के समाधान के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। सम्बन्धित राज्यों की बैठक बलायी जा रही है। हमनें हाल ही में मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कुछ विवादों का हल निकला है। इस पर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : यह तो संयोग की बात है कि कुछ राज्य एक नदी के ऊपरी भाग में हैं और कुछ नीचे के भाग में है। हमें जल जैसी राष्ट्रीय सम्पत्ति को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिये। कृष्णा नदी के जल सम्बन्धी विवाद के समाधान के लिये एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया था। परन्तु हम देख रहेहैं कि कुछ राज्यों द्वारा कानूनी अड़चनें खड़ी कर देने के कारण कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कृष्णा नदी सम्बन्धी निर्णय कब सभा पटल पर रखा जायेगा और दूसरे क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने मांग की है कि गोदावरी नदी जल विवाद को कृष्णा नदी के जल विवाद से अलग कर दिया जाये, क्यों अन्यथा इसके समाधान और दस वर्ष लग जायेंगे और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी और राष्ट्र को हानि होगी।

श्री केदार नाथ सिंह : मैं मानता हूं कि इस में बहुत समय लगता है। परन्तु जैसा कि मैंने पहले भी कहा है हम इसके समाधान के लिये कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा नदी के निर्णय के बारे में स्थिति यह है कि यह स्पष्टीकरण प्रक्रम पर है और निर्णय के बारे में कोई निश्चित तिथि नियत नहीं की जा सकती।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : राज्य सरकार ने गोदावरी जल के बारे में अभ्यावेदन भेजा है। इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री केदार नाथ सिंह : गोदावरी जल न्यायधिकरण एक भिन्न न्यायधिकरण है और इसकी सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित की गई है अतः यह नहीं बताया जा सकता कि यह न्यायाधिकरण क्या निर्णय देगा। किन्तु हम इस विवाद को हल करने का प्रयास करगे।

श्री के० एस० चावड़ा : नर्मदा नदी जल विवाद पर गुजरात के राज्यपाल के सलाहकार तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच समझौता हो गया है। किन्तु वहां यह देखने के लिए कोई लोक प्रतिनिधि नहीं था कि क्या यह समझौता गुजरात में नवगाम परियोजना के हित में भी है अथवा नहीं। क्या कृषि और सिंचाई उपमंत्री प्रधान मंत्री को सुझाव देंगे कि मई 1975 से पहले गुजरात के लोगों की मांग के अनुसार वहां चुनाव करा दिए जायें ?

श्री केदार नाथ सिंह : यह कहना सही नहीं है कि गुजरात के हितों की उपेक्षा की जा रही है। उनके हितों की भली भांति रक्षा की जा रही है। राज्यपाल के सलाहकार तथा मुख्य मंत्रियों से परामश किया गया है। एक समझौता किया गया कि नवगाम परियोजना को छोड़ दिया जाये और अन्य परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाये। बिना किसी भेदभाव के गुजरात म चार परियोजनाएं तथा मध्यप्रदेश में भी चार परियोजनाएं चुनी गई हैं।

Prof. Sher Singh : Mr. Speaker, there was a provision in the Punjab Reorganisation Act which envisaged that if Punjab and Haryana did not decide about the sharing of Ravi and Beas waters, then the Central Government would decide it. About 6 years have passed and the water from Beas will be available to Haryana from the end of this year or early next year, but no decision has been taken about the Quantum of water to be received by Haryana.

Apart from this till there are no carrier channels, water cannot be availed of Haryana Government have requested the Punjab Government for land to construct carrier channels. No decision has so far been taken in this regard. Now there is hardly one year left, I wrote a letter to the Agriculture and Irrigation Minister on the 1st February which has not been so far replied to by him. So I want to know what action Government is taking in this regard. I want to know the date by which decision will be taken regarding sharing of water. Besides this, I want to know the action being taken by the Government to make land available for constructing carrier channels ?

Shri Kedar Nath Singh : Ravi and Beas water dispute is before the Central Government. We wanted that this matter should be settled by the Chief Minister of Punjab and Haryana. Both the Governments have submitted their representations to the Central Government after consulting their legal experts. The Central Government have sent them to their legal experts for knowing their opinion thereon.

Dr. Govind Das Richharia : I want to know whether U P. and M.P. had reached an agreement during the Chief Ministership of Shri Kamala Pati Tripathi. All the disputes had been settled but the whole matter held up on the question of constituting a Control Board. I want to know when it will be restarted after constituting the Control Board.

Shri Kedar Nath Singh : Mr. Speaker, we have written to the Madhya Pradesh Government and this matter will be resolved soon.

Shri Madhu Limaye : Mr. speaker, from the statement made by the Minister if seems that 51 projects in the Godawari basin are in dolldrum and out of these 41 projects alone are in Maharashtra. Is the Hon. Minister aware of the fact that the Maharashtra state is among those states, which are backward in the matter of irrigation. I want to know whether some of these projects will be given priority ?

Shri Kedar Nath Singh : As the matter is before the Tribunal, it will be difficult to say that which project will be taken on priority basis.

Mr. speaker : Punjab is also as backward as Maharashtra.

Dr. Kailas : Mr. speaker, during the last budget session I came to know that all the rivers are going to be declared as national property and a Bill will be brought in this regard. Had this Bill been brought, there would have been no excuses such as the matter is before the Tribunal or the talks are going among the Chief Ministers of different states and there would have been no delay and the production of foodgrains would have been increased. Therefore, I want to know, whether any such Bill, which was appriciated by every body, will be brought forward ?

Shri Kedar Nath Singh : I have already clarified and opinion of the state Goverments is sought in this regard before bringing forward a Bill and the same is being done.

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार गन्ने के न्यूनतम सांविधिक मूल्य तथा अन्य सिफारिशें

286. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने 1975 के लिए गन्ने क न्यूनतम सांविधिक मूल्य में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सम्बद्ध राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर चीनी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) कृषि मूल्य आयोग ने और क्या सिफारिशें की हैं और उस बारे में क्या निर्णय लिये गये ; और

(घ) गन्ने के मूल्य में इस वृद्धि के परिणामस्वरुप 1975 में गन्ने के उत्पादक का क्या लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां । कृषि मूल्य आयोग ने यह सिफारिश की है कि 1975–76 मौसम में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को 8.5 प्रतिशत की मूल उपलब्धि के लिए 8.50 रुपये प्रति क्विंटल के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रति क्विंटल कर देना चाहिए, लेकिन उक्त स्तर से अधिक उपलब्धि में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर आनुपातिक प्रीमियम देना होगा ।

(ख) मुख्य मंत्रियों के साथ 8 मार्च, 1975 को हुए विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर सामान्यतया सहमति प्रकट की गई कि 1975-76 के लिए गन्ने के न्यूनतम मूल्य के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कैसा ही निर्णय लिया जाए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपभोक्ता के लिए लैवी चीनी के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए ।

यह रिपोर्ट उद्योग की प्रतिक्रिया जानने के लिए अभी उन्हें उपलब्ध नहीं की गई है ।

(ग) आयोग की अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) गन्ने के लिए उपर्युक्त अभिस्तावित न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य देने की आवश्यकता से बचने के लिए और विशेषतया निर्यात हेतु चीनी की पैदावार में अधिकतम वृद्धि करने के लिए बढ़ावा देने के लिये;

(i) एक योजना तैयार की जानी चाहिए जिसके अधीन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान पैदाशुदा अधिक चीनी से अतिरिक्त निर्यात की गई चीनी से हुए लाभ को उद्योग को बांटने की अनुमित होगी ; और

(ii) फैक्ट्रियों को अधिक मात्रा में गन्ना प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए खंडसारी यूनिटों की पैदावार पर लैवी लगाने की परिकल्पित योजना की तुरन्त कार्यन्वयन कर और इन यूनिटों द्वारा देर उत्पादन शुल्क में पर्याप्त वृद्धि कर, चीनी फैक्ट्रियों की तुलना में इस समय खंडसारी यूनिटों द्वारा उठाए जा रहे आन्तरीय फायदे को कम किया जाना चाहिए ; और

(2) किसी फैक्ट्री के उत्पादन, जो कि पिछले पांच वर्षों में उसके औसत उत्पादन से 90 प्रतिशत अधिक हो, पर उत्पादन शुल्क में छूट दी जानी चाहिए ।

इन सिफारिशों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(घ) आयोग ने अपने अभिस्तावित मूल्यों के आधार पर 1975-76 के लिए गन्ने के उत्पादन के लक्ष्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है ।

डा० एच० पी० शर्मा : अप्रैल, 1974 से सितम्बर, 1974 तक 6 महीनों की अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक रुपये की चीनी का निर्यात किया गया । 1973 में उसी अवधि के दौरान केवल 5 करोड़ रुपये का हुआ । अधिक निर्यात के मार्ग में केवल यही एक बाधा है कि अधिक चीनी उपलब्ध नहीं है । यदि हमारे पास और चीनी होती तो हम अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते थे । आज बाधा इसलिए पड़ जाती है कि जब अधिक जमीन में गन्ने की खेती की जा रही उसी अनुपात में चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ा है । तब भी आपने यह रवैया अपना रखा है कि गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया जायेगा । क्या आप चीनी के उत्पादन को कम करना चाहते हैं जबकि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के मामले में चीनी का उत्पादन बहुत महत्व रखता है ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : इस वर्ष चीनी का उत्पादन आशा से अधिक होने जा रहा है । और हमें आशा है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होगा । किन्तु . . .

डा० एच० पी० शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा बिहार ही शायद सारे देश में सर्वाधिक रुप से पिछड़े क्षेत्र हैं और वहां गन्ना ही एक मात्र नकदी फसल है । जब आप गन्ने की कीमत कम कर देंगे तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि यह पिछड़ा क्षेत्र देश के अन्य विकसित क्षेत्रों के स्तर तक पहुंच जायगा ? यही वहां एक मात्र नकदी फसल है और आप इसकी कीमत पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाना चाहेंगे । फिर आप कैसे यह आशा कर सकते हैं कि इन क्षेत्रों का विकास होगा ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य को यह जानकारी कहां से मिली । सामान्यत: वह सुपरिचित हैं किन्तु आज वह इस तरह की बातें कर रहे हैं । हमने गन्ने के मूल्य को कम करने का निर्णय नहीं किया है । हमारा कहना यह है कि हम लेवी चीनी मूल्य बनाये रखने में रुचि रखते हैं । किन्तु उत्पादकों को अधिक मूल्य देने के लिए उपाय किए जा सकते हैं । हमने गन्ने का मूल्य कम करने का निर्णय नहीं किया है ।

डा० एच० पी० शर्मा : मांग की तुलना में यह कुछ भी नहीं है ? आपने प्रति क्विटल केवल एक रुपया बढ़ाया है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे . हमने कुछ नहीं कहा है । इस प्रश्न का संबंध अगले वर्ष के लिये गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों से है ।

डा० एच० पी० शर्मा : इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं ।

श्री पी० एम० मेहता : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि 1973–74 में चीनी की 45 लाख टन की अनुमानित उपलब्ध माता की बजाय केवल 39.49 लाख टन चीनी ही उपलब्ध हुई । आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि इसका कारण यह है कि सामान्य तरीके से गन्ने की पिराई नहीं की गई । यदि हां तो इसका क्या कारण है ? और क्या सरकार ने सामान्य रुप से पिराई न किए जाने की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो सरकार की कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार इन सिफारिशों पर पूरी तरह विचार कर रही है और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि चूंकि गत वर्ष 39 लाख कुछ टन का उत्पादन था, इस वर्ष उत्पादन काफी अधिक होगा । फरवरी, 1975 के अंत तक हमने 30 लाख टन का उत्पादन कर लिया है । हमें आशा है इस वर्ष उत्पादन 45 या 46 लाख होगा ।

श्री पी० एम० मेहता : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मेरा प्रश्न यह है कि क्या उत्पादन में कमी इस कारण हुई कि पिराई सामान्य ढंग से नहीं की गई । यह आयोग ने बताया है । मैंने कारण पूछे हैं कि क्या यह सामान्य ढंग से पिराई न किए जाने के कारण हुई है । इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसके कई कारण हैं, सीजन कभी-कभी फैक्ट्रियां पिराई देर से करती हैं और कभी वे पहले ही पिराई आरम्भ कर देती हैं । पिराई में यह विभिन्नता जलवायु सम्बन्धीं कारणों से होती है । इसकी कई अन्य कठिनाईयां भी हैं । जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है, उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है और इस वर्ष सामान्य ढंग से पिराई की जायेगी । यदि कृषि मूल्य आयोग ने कोई ऐसा सुझाव भी दिया है तो सरकार ने उसको ध्यान में रखा है ।

श्री नवल किशोर सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनियंत्रित चीनी के मूल्य में वृद्धि 30 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है, लोगों में एक धारणा उत्पन्न हो गई है कि मिल मालिकों ने लगभग 100 करोड़ रुपये का लाभ कमाया होगा । क्या सरकार इस बात में विश्वास करती है कि गन्ने का मूल्य एक रुपया बढ़ाकर गन्ना उत्पादकों को अनियंत्रित चीनी से होने वाले लाभ का पर्याप्त लाभ होगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य की धारणा बिल्कुल गलत है और यह वास्तविक मूल्यांकन, तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित नहीं है । इसके बारे में एक प्रथक प्रश्न भी है । यह प्रश्न केवल गन्ने के मूल्य तथा आयोग की सिफारिशों के बारे में है ।

Shri Ram Chandra Vikal : May I know whether the Agricultural Prices Commission fixes the price of sugar cane keeping in view the inputs used by farmer in producing sugar cane ?

Mr. Speaker : It is a general question.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कृषि मूल्य आयोग, जो एक विशेषण निकाय है, सर्वप्रथम उन बनियादी सिद्धांतों पर विचार करता है जिनके आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है ।

ये बुनियादी सिद्धान्त ये हैं : गन्ने की उत्पादन लागत, अन्य किसान की फसलों से होने वाली आय उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धि आदि। ये ही मूलभूत सिद्धात हैं जिनके आधार पर कृषि मूल्य आयोग सरकार को सिफारिशें देता है । निस्सन्देह उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ही अंतिम निर्णय लेती है ।

Shri Mool Chand Daga : When we can earn more foreign exhange by exporting sugar, then why do you fix the price of sugar cane at only Rs. 9. Why don't you give them incentive? The farmers are spending more money inputs for irrigation. All the states have increased the water charges.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार को पूरा पता है । चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का अधिक मूल्य है इसलिए सरकार चीनी के निर्यात को बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आज हम पहले से कहीं अधिक चीनी का निर्यात कर रहे हैं। जहां तक गन्ने के मूल्य का सम्बन्ध है, राज्य सरकार द्वारा उत्पादकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है । अधिकांश राज्यों का यही प्रयास है कि किसानों को अधिक मूल्य दिया जाये और यही कारण है कि चीनी के कारखानों में इस वर्ष अधिक गन्ना आया है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : अभी-अभी मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि कृषि मूल्य आयोग किसी विशेष वस्तु का मूल्य निर्धारित करने से पहले उत्पादन लागत तथा अन्य बातों को ध्यान में रखता है। यह सामान्य उत्तर है। मैं विशेष रुप से गन्ने के बारे में जानना चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग ने एक रुपया बढ़ाने की सिफारिश करने से पहले किस प्रक्रिया को अपनाया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह सही है कि कृषि मूल्य आयोग को उत्पादन लगात के आधुनिकतम आंकड़ों को प्राप्त करने में कुछ कठिनाई होती है । किन्तु देश की विभिन्न कृषि-जलवायु क्षत्रों में उत्पादन लागत आंकड़ों को एकत्रित करने की योजना के बारे में भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरुप कई केन्द्र स्थापित किए गए हैं । इसमें कुछ समय लगेगा किन्तु शायद अगले वर्ष आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे और फिर कृषि-मूल्य आयोग सरकार को बढ़िया ढंग से जानकारी दे सकेगा ।

श्री था० किरुतिनन : श्रीमान मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सरकार ने गन्ना उत्पादकों को उत्पाद सहायता की अनुमति दे दी है, जिससे कि किसानों की किसी भी तरह सहायता नहीं हो रही है ? यदि हां तो किस हद तक ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु सरकार ने कद्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि यह उत्पाद सहायता उत्पादकों तथा गन्ना उत्पादकों दोनों को बांटनी चाहिए ? यदि हां तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कृषि मूल्य आयोग ने इस बात को ध्यान में रखा है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्रीमान यह उत्पाद रियायत चीनी फैक्ट्री को पहले और बाद में पिराई करने पर दी जाती है । शायद माननीय सदस्य को चीनी उद्योग के स्वरुप का पता होगा । जब हम पिराई पहले करते हैं तो चीनी कम निकलती है । यहां तक कि जब फैक्ट्रियां देर से भी पिराई करती हैं तो भी चीनी का उत्पादन कम होता है । इसलिए फैक्ट्रियां पिराई जारी रखे, इसके लिए उत्पाद रियायत दी जाती है । चाहे वह पहले हो अथवा विलम्ब से ।

जहां तक तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सुझाव का सम्बन्ध है, तमिलनाडु के मंत्री ने मेरे वरिष्ठ सहकर्मियों तथा मेरे साथ इस मामले पर इस महीने की ग्राठ तारीख को चर्चा की ग्रौर हमने उन्हें ग्राश्वासन दिया है कि हम इस सुझाव पर विचार करेंगे। किन्तु हमने उनका ध्यान इस तथ्य की ग्रोर ग्राकर्षित किया कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए सांविधिक ग्रादेश के ग्रनुसार ग्रनियंत्रित चीनी में से 50 प्रतिशत चीनी से होने वाला लाभ उत्पादक को भी मिलेगा। इसके लिए उसे गन्ने का ग्रतिरिक्त मूल्य दिया जाएगा।

नई दिल्ली में गैर सहायता प्राप्त मिडिल स्कूल

श्री चन्दु लाल चन्द्राकर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में कितने गैर सहायता प्राप्त मिडिल स्कूलों को मान्यता दी गई है ;

(ख) क्या पिछले कई वर्षों से इनमें से कुछ स्कूलों में प्रशिक्षत ग्रध्यापक शिक्षा कार्य कर रहे हैं ग्रौर ग्रध्यापकों के साथ ग्रभी तक सेवा संबंधी कोई लिखित करार नहीं किया गया है ;

(ग) क्या इन स्कूलों में श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान नहीं दिये जाते हैं; ग्रौर

(घ) यदि हा, तो सरकार द्वारा उक्त स्कूलों के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज ग्रौर कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के ग्रनुसार नई दिल्ली में गैर सहायता प्राप्त ग्रौर मान्यता प्राप्त 31 मिडिल स्कूल हैं।

(ख), (ग) ग्रौर (घ) ग्रपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Shri Chandulal Chandrakar : May I know whether Government is aware of the fact that a lot of money was collected for different purposes from the students of these schools and they are utilising this money for their personal affairs. If so, what steps have been taken to check it ? Will the Government place a list of the names of such schools on the table of the House ?

Shri D.P. Yadav : I will take necessary action, if the hon. member gives me the particulars of the schools and funds collected by them.

Shri Chandulal Chandrakar : I can say for instances that Happy School has collected more than Rs. sixty thousand. Many other schools are also collecting the funds.

What is the number of such aided schools wherein the provisions of Delhi Education Act, 1973 have been made applicable. Delhi Directorate of Education has not so far made nominations for the Managing committees of the schools. What steps have been taken by the Delhi Directorate of Education in this behalf ?

Shri D.P. Yadav : 32 out of 45 unaided Middle Schools have submitted their schemes of management. Education Department have given their observations in the cases of twenty schools. Cases of other schools are under consideration.

सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए आवास योजना लागू करना

289. श्री एच० के० एल० भगत
चौधरी दलीप सिंह } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास योजना के कार्यान्वियन में गत एक वर्ष में क्या प्रगति हुई ; और

(ख) योजना को सुधारने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस योजना के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सेवा-निवृत्त होने वाले लोगों के लिए मकानों का निर्माण तीन वर्गों में अर्थात् निम्न आय, मध्यम आय वर्गों तथा जनता में आरम्भ किया है जो इस प्रकार हैं :—

(i) राजोरी गार्डन में निम्न आय वर्ग के —150 मकान

(ii) शेख सराय में मध्यम आय वर्ग के 'ए' टाईप के—24 मकान

(iii) शेख सराय में मध्यम आय वर्ग के लिए 'बी' टाईप के —93 मकान

(iv) मदनगीर में जनता टाईप के—304 मकान

राजौरी गार्डन में निम्न आय वर्ग के 150 मकान पूर्ण होने के अन्तिम चरण में हैं। शेष मकानों के निर्माण कार्य की 1975 में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ख) यद्यपि सीमेंन्ट आदि के अत्यधिक अभाव के कारण निर्माण कार्य की प्रगति में बाधा पड़ी है तो भी यह योजना ठोस है तथा इसमें किसी भी सुधार अथवा संशोधन की कोई आंवश्यकता नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : क्या यह सच है कि यद्यपि यह योजना दो वर्ष पहले बनायी गयी थी, फिर भी किसी सेवानिवृत कर्मचारी को अभी तक मकान अलाट नहीं किया गया है ? दिल्ली में अधिकांश सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशसन, नगरपालिका संस्थाओं और अन्य उपक्रमों के कर्मचारी भी हैं। इन सब बातों के देखते हुये यह योजना अर्पबाप्त नहीं है ? एक सरकार सेवानिवृत कर्मचारियों के भवन निर्माण के लिये स्थान अलाट करने तथा योजना के अधिक उदार बनाने संबंधी कार्य को प्राथमिकता दगी ?

श्री दलबीर सिंह : इस योजना के अन्तर्गत 571 मकान बनाये जाने हैं। मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं कि अभी तक किसी मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ मकानों का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है। सितम्बर 1975 तक निर्माणाधीन सभी मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा। जैसे कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। वर्तमान आर्थिक कठिनाई के समय योजना को अधिक उदार नहीं बनाया जा सकता।

श्री एच० के० एल० भगत : यदि आप एक साधारण नागरिक के लिये प्लाट तथा मकानों का अलाटमैंट कर रहे हैं तो सेवा-निवृत सरकारी कर्मचारियों के लिये कुछ प्रतिशत निश्चित करने में क्या कठिनाई है?

श्री दलबीर सिंह : सेवा-निवृत कर्मचारी भी सामान्य योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे मकानों के लिये आवेदन पत्र दे सकते हैं।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : दिल्ली विकास प्राधिकरण योजनाओं के अन्तर्गत सभी लोग आवेदन पत्र दे सकते हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये पहले ही 50 प्रतिशत तक आरक्षण है।

Shri Dalip Singh : What is the amount sanctioned for it and how many houses are being constructed ? He said that 150 houses are being constructed in Rajouri Garden and 24 are being constructed at Sheikh Sarai. How many houses will be completed in 1975 and how much amount has been sanctioned for the same ?

Shri Dalbir Singh : I have already stated that 571 houses of all categorie are being completed. Approximately Rs. one crore will be spent on it

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written answers to question

गुजरात के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में चारे के डिपो

285. **श्री चेकारिया**
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में गत छः महीनों के दौरान पशुओं के लिये चारे के लिये जिलावार कितने डिपो खोले गये थे; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में चारे का वितरण किया गया?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सूखे से प्रभावित प्रत्येक जिल

में खोले गये चारे के डिपुओं की संख्या और गत छः महीनों के दौरान वितरित किए गए चारे की मात्रा इस प्रकार है :—

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	चारे के डिपुओं की संख्या	1-9-74 से वितरित की गई मात्रा
			(आंकड़े मीटरी टनों में)
1.	जामनगर	23	8,528
2.	कच्छ .	82	19,457
3.	राजकोट	24	4,208
4.	सुरेन्द्रनगर	45	3,775
5.	अमरेली	7	19
6.	भड़ौच	6	429
7.	भावनगर	24	366
8.	अहमदाबाद	10	2,550
9.	मेहसाना	18	2,323
10.	बनासकांथा	16	1,952
11.	साबरकंथा	3	—
12.	जूनागढ़	7	1,196
13.	केरा	12	144
14.	बड़ौदा	9	13
15	पंचमहल	8	9
	योग	294	44,969

अमरीका से गेहूं की खरीद

288. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, हाल में अमरीका से 1975 की फसल का 7 लाख टन गेहूं खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो किस मूल्य पर; और

(ग) इस वर्ष और कितना गेहूं खरीदने का विचार है और कितना गेहूं भारत लाया जा चुका है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) 1975 के दौरान अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल 14.88 लाख मी० टन गेहूं की खरीदारी की गई है जिनके मूल्य 140 डालर से लेकर 150 डालर प्रति मी० टन है।

इस समय यह बताना कठिन है कि इस वर्ष के दौरान गेहूं की कुल कितनी मात्रा खरीदी जायेगी। तथापि, स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती है और फसल की सम्भावनाओं, आन्तरिक उपलब्धता, मूल्य-प्रवृत्ति, विदेशी मुद्रा की स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जितनी मात्रा आवश्यक होती है उतनी ही मात्रा विदेशों से खरीदी जाती है।

औरोविल्ले में परियोजना का त्याग

श्री एम० एस० पुरती : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को' द्वारा प्रायोजित पांडिचेरी राज्य के औरोविल्ले नामक स्थान पर उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का नगर बनाये जाने की परियोजना को त्यागा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) औरोविल्ले में परियोजना 'यूनेस्को' द्वारा प्रायोजित नहीं की गई थी, बल्कि श्री अरविंद सोसायटी द्वारा प्रायोजित की गई थी। सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि प्रायोजक परियोजना को छोड़ रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के कोटे में वृद्धि होने से चीनी के कारखानों को लाभ

291. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के कोटे में 5 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत कर दिया है; और

(ख) क्या इस वृद्धि से चीनी के कारखानों के मालिकों को 100 करोड़ रुपये से भी अधिक का लाभ होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) लेवी चीनी क मूल्य वृद्धि करने से बचने के लिये ही मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय किया गया था। यह बताना जल्दबाजी होगी कि इसके परिणामस्वरूप उद्योग को कोई अतिरिक्त लाभ होगा भी या नहीं और यदि होगा तो कितना होगा। पूरे साल में मुक्त चीनी की बिक्री को बेचने से उद्योग द्वारा प्राप्त औसत लाभ पर यह निर्भर करेगा।

Talks with Agriculture Ministers of Cairo and Khartoum

*292. **Shri Jambuwant Dhote** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether any aspects of trade were discussed with the Ministers of Agriculture of Cairo and Khartoum during their visit to this country; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Agriculture Ministers of Arab Republic of Egypt and Sudan did not visit India recently.

(b) Does not arise.

नियंत्रण उठाये जाने के बाद बनस्पति के मूल्य में वृद्धि

293. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण उठाये जाने के बाद से हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जैसे वनस्पति के मुख्य उत्पादकों द्वारा वनस्पति के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि की गई है;

(ख) क्या इस मूल्य वृद्धि के बावजूद हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जनवरी, 1975 को वनस्पति के मूल्यों को विनियंत्रित करने से, कई एक फैक्ट्रियों ने अपने मूल्यों में, प्रमुखतः छोटे डिब्बों में पैक किए हुये पदार्थों के बारे में मामूली वृद्धि की थी (4 से 5 प्रतिशत तक); हिन्दुस्तान लीवर लि० के मामले में यह वृद्धि मामूली अधिक थी, औसतन 6.5 प्रतिशत (जोनल विभिन्नताओं के साथ) बाद में कुछ एक ने (हिन्दुस्तान लीवरज लि० सहित) दोनों पैक साइज ने अपने मूल्यों में कमी कर दी थी।

(ख) हिदुस्तान लीवर लि० ने अपने तीनों यूनिटों में (चौथा यूनिट बेचा जा रहा है) वनस्पति के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर दी है अर्थात् उत्पादन दिसम्बर, 1974 के 692 मी० टन से बढ़कर जनवरी, 1975 में, 2,314 मी० टन, और फरवरी, 1975 के पहल पखवाड़े में 1,615 मी० टन हो गया। इन में से दो यूनिटों की क्षमता के एक भाग का हाइड्रोजेनटिंग तेलों के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है। फर्म इस तल को साबुन तैयार करने के लिये इस्तेमाल करती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में वन विकास निगम

294. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में वन विकास निगम की स्थापना का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राज्य वन विकास निगमों की स्थापना राष्ट्रीय कृषि आयोग की "मानव-निर्मित वन-उत्पादन वानिकी" सम्बन्धी अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार की जा रही है। भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश स्वीकार कर चुकी है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य वन विकास निगमों में साम्य अंशदान करने के लिये भारत सरकार ने 10 करोड़ रुपय की व्यवस्था की है।

वर्ष 1974 के दौरान छात्र संसद का आयोजन

295. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **संसदीय कार्य मंत्री :** यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) वर्ष 1974 क दौरान आयोजित छात्र संसदों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) 1974 क दौरान उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) वर्ष 1974 क सब से कुशल छात्र का नाम क्या है तथा उसे कितनी राशि का पुरस्कार दिया गया ; और

(घ) ग्रामीण क्षत्रों में, विशषकर पिछड़ वर्गों क विद्यार्थियों क लिय यह योजना आरम्भ करन क लिय सरकार का क्या कार्यवाही करन का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख) युवा संसद प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत् वर्ष 1974-75 के दौरान दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 49 युवा संसदों (पहले कृत्रिम संसद क नाम से ज्ञात) का आयोजन किया गया। वर्ष 1974 के दौरान संसदीय कार्य विभाग ने वर्ष 1973-74 की प्रतियोगिता पर प्रमुखतया पुरस्कार वितरण समारोह पर लगभग 8500 रुपये खर्च किये थे।

(ग) युवा संसद प्रतियोगिता योजना में वर्ष के सबसे कुशल विद्यार्थी के चुनने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) यह योजना दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिये निर्दिष्ट है और इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय भी आते हैं।

गेहूं के मूल्यों में वृद्धि

296. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से गाजियाबाद में गेहूं 260 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है और इसके मूल्य मास प्रति मास बढ़ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गेहूं के मूल्यों पर नियन्त्रण करने और उन्हें कम करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) गहूं के मूल्यों में खुदरा बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है लेकिन जनवरी, 1975 से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मूल्यों में सामान्य तथा कुछ नरमी आयी हैं ; और

(ख) दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गेहूं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गेहूं के अन्तर जिला संचलन पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गये थे जहां पर खुदरा व्यापारियों को यह सुविधाएं दी गई थीं कि वे लेवी दिये बिना किसी भी क्षेत्र से उत्पादकों से सीधे गेहूं खरीद सकते हैं।

2. 24-6-1974 से खुले बाजार की गेहूं के थोक और खुदरा मूल्य क्रमश: 158 रुपये और 161 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किये गये थे।

3. उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से बिक्री के अलावा, आम जनता को चुनीदा सहकारी स्टोरों से भी 161 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं सप्लाई की जा रही है।

4. जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, गेहूं के लाइसेंसधारियों की जांच की जाती है। जून, 1974 में जमा स्टाक को बाहर निकलवाने के लिये विशेष अभियान भी शुरू किया गया था।

कलकत्ता स्थित भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

297. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी गत कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) कलकत्ता स्थित भारतीय खाद्य निगम के विभागीय कर्मचारी 27-1-1975 से गैर-कानूनी ढंग से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के नोटिस में, भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ ने अपनी सेवा-शर्तों आदि के बारे में अनेक मांगें रखी हैं, हालांकि उनकी मुख्य मांग उन 887 कर्मचारियों को फिर काम पर वापस लेने से संबंधित है जिनकी भारतीय खाद्य निगम द्वारा कलकत्ता कम्पलेक्स में फालतू भण्डारण स्थान छोड़ने के फलस्वरूप छंटनी कर दी गई थी। छंटनी किये गये कर्मचारियों का नियोक्ता-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

भारतीय खाद्य निगम	386
केन्द्रीय भाण्डागार निगम	287
पश्चिमी बंगाल राज्य व्यापार निगम	214
जोड़	887

भारतीय खाद्य निगम ने मांगों पर विचार किया है। उन्होंने कर्मचारी संघ को उनकी प्रत्येक मांगों के बारे में 29-1-75 को उत्तर भेज दिया है। फरवरी 1975 में की गई अन्तिम पेशकश में, भारतीय खाद्य निगम ने छंटनी किये गये 325 से 350 कर्मचारियों तक को वापिस लेने का प्रस्ताव रखा है लेकिन उनके पूर्वचरित की जांच तथा डाक्टरी परीक्षा की जायेगी और उन्हें अनुशासन तथा औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिये प्रतीक्षा करनी होगी।

उर्वरक के मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव

298. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरक के मूल्य में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या उर्वरक के मूल्य पहले ही बहुत अधिक हैं तथा छोटे किसान वर्तमान मूल्य पर उर्वरक खरीदने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित वृद्धि का औचित्य क्या है तथा उत्पादकता और छोटे किसानों के हितों की किस प्रकार रक्षा की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) आयातित तथा देश में तैयार होन वाले यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट के अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। आयातित उर्वरकों का संचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय उर्वरक पूल के माध्यम से होता है। पूल से वितरित होने वाले उर्वरकों के खुदरा मूल्य को केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है। केन्द्रीय उर्वरक पूल "न हानि न लाभ" के आधार पर कार्य करता है और पूल की वित्तीय स्थिति की समय समय पर पुनरीक्षण करने की व्यवस्था है। ऐसा एक पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) उर्वरकों की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण इनके मूल्यों में 1 जून, 1974 से औसतन 80 प्रशित तक की भारी बढ़ोत्तरी हुई थी। उर्वरकों की खरीद के बारे में छोटे किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने उत्पादन ऋण की सीमा बढ़ा दी है। इससे किसान लाभ उठा लेंगे। सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना के क्षेत्रों में एक हेक्टार भूमि वाले सीमान्त किसानों के लिए आदानों के लिये $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक की राज्य सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था है। एक मौसम के लिये अधिक से अधिक 100 रुपये एक वर्ष अथवा दो वर्षों के मौसमों के लिए 200 रुपये राजसहायता मिल सकती है।

चावल मिलरों और छोटे उत्पादकों से प्राप्त लेवी

299. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे**
श्री सरजू पांडे } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को सभी राज्यों में चावल मिलरों और छोटे उत्पादकों से कितनी लेवी प्राप्त हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है, जिसमें 1974–75 के चालू खरीफ विपणन मौसम के दौरान चावल और धान की अधिप्राप्ति का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है, इसमें विभिन्न राज्यों में निर्धारित की गई दरों के अनुसार मिल-मालिकों/व्यापारियों से चावल के बारे में और उत्पादकों से धान के बारे में प्राप्त की गई लेवी शामिल है।

विवरण

चालू खरीफ विपणन मौसम 1974–75 के दौरान चावल और धान की राज्यवार अधिप्राप्ति को बताने वाला विवरण।

(हजार मी० टन में)

राज्य	अधिप्राप्ति 1974–75		
	चावल	धान	कुल चावल (चावल के हिसाब से धान) (8-3-1975 की सूचना के आधार पर)
1. आन्ध्र प्रदेश	344	227	496
2. असम	—	129	86
3. बिहार	26	34	48
4. गुजरात	—	15	10
5. हरियाणा	231	Neg.	231
6. जम्मू तथा कश्मीर	—	36	24
7. कर्नाटक	—	117	78
8. केरल	—	23	15
9. मध्य प्रदेश	46	116	124
10. महाराष्ट्र	—	80	57
11. उड़ीसा	22	18	34
12. पंजाब	689	265	865
13. राजस्थान	—	12	8
14. तमिलनाडु	—	480	317
15. उत्तर प्रदेश	238	3	240
16. प० बंगाल	70	116	147
17. अन्य	1	17	12
जोड़	1,667	1,688	2,792

खन्डसारी पर लेवी लगाने के कारण उत्तर प्रदेश में खन्डसारी एककों का बन्द होना

300. **श्री निम्बालकर**
श्री एस० एन मिश्र } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है कि उत्तर प्रदेश में खण्डसारी पर लेवी लगाये जाने के बाद 1300 खण्डसारी एकक बन्द हो गये है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश खण्डसारी निर्माता संघों ने केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने तथा उधोग को बचाने के लिए खण्डसारी लेवी हटाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 652 खंडसारी यूनिट बंद हो गए थे , लेकिन 231 यूनिटों ने बाद में फिर पिराई शुरू कर थी ।

(ख) और (ग) यह मालूम हुआ है कि कुछ खंडसारी निर्माताओं के प्रतिनिधि उत्तर-प्रदेश सरकार से मिले थे, जोकि प्राधिकारी है और जिसने खंडसारी पर लेवी लगाने की नीति की समीक्षा करने के लिए निर्णय लिया था । सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने निर्णय में कोई भी परिवर्तन न करने का फैसला दिया है ।

नागार्जुन सागर परियोजना

*301. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर परियोजना में निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) (क) और (ख) नागार्जुन-सागर बांध का कार्य पूरा हो चुका है । दक्षिण तट पर नहर पर 91 किलोमिटर की लम्बाई तक तथा वाम तट पर नहर पर 115 किलोमिटर की लम्बाई तक कार्य पूरा हो चुका है और सिंचाई के लिए पानी छोड़ दिया गया है । नहरों के शेष भागों में कार्य प्रगति पर है ।

परियोजना के पूर्ण होने में देरी लागत में वृद्धि तथा पर्याप्त धनराशि मिलने के कारण हुई है ।

मत्स्य ग्रहण उद्योग के लिए पोलैंड द्वारा सहायता की पेशकश

2759. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड ने एक संयुक्त उद्यम भीन क्षेत्र प्रोसैसिंग एकक की स्थापना की शुरूआत के रूप में भारतीय तट का मत्सयग्रहण सम्बधीं सर्वेक्षण करने के लिए भारत में एक नौवहन निर्माण तथा अनुसंधान केन्द्र गठित करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) पोलैंड ने भारत के उत्तरी पश्चिमी तट पर मत्सय ग्रहण सम्बन्धी सर्वेक्षण करने और उसका खर्च वहन करने की पेशकश की है । पोलैंड ने भारत को केरल में 'ट्रालर निर्माण यार्ड' की स्थापना करने के सम्बन्ध में भी सहायता देने की पेशकश की है ।

(ख) इन प्रस्तावों पर जनवरी, 1975 में हुई भारत-पोलड सयुक्त आयोग के दसरे अधिवेशन के दौरान मत्स्य की और कृषि विषयक कार्यकारी दल की बैठक में विचार किया गया था सर्वेक्षण के सम्बन्ध में आपस में यह तय पाया कि पहले पक्षों के मात्स्य की विशेषज्ञों को सर्वेक्षण कार्य-क्रम, समन्वेषी मात्स्य की सर्वेक्षण जलयान की किस्म और सर्वेक्षण करने वाले जलयान के लिए उपस्करों की व्यवस्था करनें के बारे में विचार करना चाहिये । पोलैंड ने भारत से अनुरोध किया है कि मात्स्य की विशेषज्ञों का एक दल पोलैंड भेजा जाए । पोलैंड के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है । इस बात पर भी सहमति हो गई है कि मैर्सस पोलसर्विय, पोलैंड ही अपने खर्चे पर एक प्रारम्भिक सवक्षण दल भारत भेजेगा । यह दल केरल सरकार के विचारार्थ केरल में एक 'ट्रालर निर्माण यार्ड' की स्थपना करने के विषय में एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही शुरू करने के लिए उस पर विचार किया जायेगा ।

Use of Cow and Pig Tallow Industry

760. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether cow and pig tallow is used in many industries; and

(b) if so, the names of such industries and the steps taken by Government to check its use ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) and (b) The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Groundnut Development Scheme in Khargaon, M.P.

2761. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** and **Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2248 on 12th August, 1974 regarding groundnut development in Khargaon and Mandsaur, M.P. and state :

(a) whether the scheme regarding groundnut development scheme in Mandsaur and Khargaon, Madhya Pradesh has been approved by the Central Government; and

(b) if not, the reasons for delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and *Irrigation* (*Shri* Prabhudas Patel) : (a) The approval of the Government of India to the continuance of the Centrally sponsored Scheme for Oilseeds Development in Madhya Pradesh during 1974-75 has already been conveyed to the State Government. This includes Development of Groundnut in Khargaon and Mandsaur districts of the State.

(b) Does not arise.

लद्दाख में वेंत (विलो) बागान

2762. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **कृषि श्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख में वेंत बागान से कुल कितनी वार्षिक श्राय होती है ;

(ख) क्या उस जिले में बेंत बागान के श्रन्तर्गत श्रौर श्रधिक क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है; श्रौर

(ग) बेंत बागान के श्रन्तर्गत योजनावार कुल कितना क्षेत्र लाया गया है ?

कृषि श्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर राज्य से सूचना एकत्र की जा रही है श्रौर प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली दुग्ध योजना में दूध के टोकनों के लिए पंजीकरण की श्रेणियां श्रौर संख्या

2763. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **कृषि श्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में श्रावेदकों के नाम कितनी श्रौर किस किस श्रेणी में दर्ज किये जाते हैं ?

(ख) 15-2-75 को दिल्ली दुग्ध योजना में कुल कितने श्रावेदकों के नाम दर्ज थे; श्रौर

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में महीनेवार इन श्रेणियों में से प्रत्येक ने कितने कितने टोकन जारी किये गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) आवदन-पत्रों को निम्नलिखित सात श्रेणियों में दर्ज किया गया है :—

1. अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदन पत्र।
2. चिकित्सा के आधार पर डाक्टरों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदन पत्र।
3. रक्षा कर्मचारियों के आवेदन-पत्र।
4. सरकारी अधिकारियों के आवेदन-पत्र।
5. अन्य सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र।
6. विशेष तथा अत्यावश्यक परिस्थितियों के अन्तर्गत सिफारिश किए गए आवेदन पत्र।
7. सामान्य वर्ग।

(ख) 15-2-75 तक दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध के टोकनों के लिए 1,10,295 दर्ज किए हैं।

(ग) प्रत्यक श्रेणी के अन्तर्गत 1-4-74 से 28-2-75 तक की अवधि में अलग अलग महीनों में जारी किए गए टोकनों की संख्या का विवरण संलग्न है।

विवरण

1-4-74 से 28-2-75 तक प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत जारी किए गए टोकनों का विवरण।

माह	विशेष परिस्थितियां	अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति	चिकित्सा	सुरक्षा कर्मचारी	सरकारी कर्मचारी	कुल
4—74	281	225	189	8	2	705
5—74	322	112	115	25	—	574
6—74	197	84	126	8	—	415
7—74	251	111	165	19	—	546
8—74	356	147	190	17	—	710
9; 74	455	155	322	7	—	939
10—74	374	113	15	299	—	801
11—74	357	114	196	4	—	671
12—74	241	85	135	7	—	463
1—75	343	158	384	9	—	894
2—75	361	71	351	3	—	786
					कुल	7,509

सैन्ट्रल गवर्नमेंट फिशिंग सीमैन्स एसोसिएशन की ओर स अभ्यावेदन

2764. **श्री वयालार रवि : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को मत्स्य क्षेत्र (फिशरीज) विभाग के प्लवमान (फ्लोटिंग) कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट फिशिंग सीमन्स ऐसोसिएशन की ओर से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस का सार क्या है तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) सन्ट्रल गवर्नमेंट फिशिंग सीमेंस एशोसिएशन के अभिवेदनों की समय समय पर जांच की गई है । उनकी शिकायतें मुख्यत: निम्न बातों से संबंधित है। वेतनमानों में संशोधन, पूरे मंहगाई और नगर भत्ते की अदायगी, समुद्र में मात्स्यकी जलयानों पर रहने की अवधि में अधिकारियों को 10 रू० प्रति दिन और कियु के सदस्यों को 5 रू० प्रति दिन की दर से भोजन संबंधी भत्ते की अदायगी करना। पूरा मंहगाई और नगर भत्ता प्रदान करने और उपयुक्त दरों पर भोजन-संबंधी भत्ते की अदायगी करने के लिए उनकी मांग मंजूर की जा चुकी है तथा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये है। फ्लोटिंग स्टाफ के वेतनामों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Use of Hindi Medium in L.L.B. Examinations

*2765. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have issued an order to the effect that L.L.B. students in all the universities of the country can use Hindi as medium of their examination, if they so desire; and

(b) if so, the reaction thereon so far ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

स्कूलों में 'गीता' का पढ़ाया जाना

श्री के० मालन्ना : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक स्कूल में 'गीता' का अध्ययन अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संकृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चालू वर्ष में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की वसूली

2767. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चावल का उत्पादन अधिक हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष भारतीय निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने चावल की वसूली की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) विशेषकर गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, तमिलनाड्डु, उत्तर प्रदेश आदि के कई क्षेत्रों में सूखा पड़ने और बाढ़ आने के फलस्वरूप, खरीफ मौसम में धान की फसल के उत्पादन को धक्का लगा है। तदनुसार, देश के चावल के कुल उत्पादन में 1973–74 की तुलना में 1974-75 में गिरावट, आने की सम्भावना है ।

(ख) चालू खरीफ विपणन मौसम 1974-75 में जब तक, सरकारी एजेंसियों जिनमें भारतीय खाद्य निगम भी शामिल है, द्वारा राज्यवार अधिप्राप्त चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की मात्रा बताने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

चालू खरीफ विपणन मौसम 1974-75 के दौरान सरकारी एजेंसियों (जिन में भारतीय खाद्य निगम भी शामिल है) द्वारा राज्यवार अधिप्राप्त चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की माला ।

राज्य	1000 टन अधिप्राप्ति 1974–75 चावल (धान सहित) 8-3-1975 तक प्राप्त जानकारी पर आधारित
1. आन्ध्र प्रदेश	496
2. असम	86
3. बिहार	48
4. गुजरात	10
5. हरियाणा	231
6. जम्मू तथा कशमीर	24
7. कर्नाटक	78
8. केरल	15
9. मध्य प्रदेश	124
10. महाराष्ट्र	57
11. उड़ीसा	34
12. पंजाब	865
13. राजस्थान	8
14. तमिलनाडु	317
15. उत्तर प्रदेश	240
16. पं० बंगाल	147
17. अन्य	12
जोड़	2,792

Less Levy on Farmers having their own Tubewells

2768. **Shri Martand Singh** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state the names of the States which have less levy on the farmers having their own tubewells in comparison to those farmers who depend on public irrigation system and detailed information in regard to Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि

2769. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चावल के उत्पादन में शीघ्र ही भारी वृद्धि होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और इस बारे में यदि कोई कार्यक्रम बनाया गया है तो वह क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1966–67 से चावल की अधिक उत्पादन शील किस्मों की खेती प्रारम्भ करने से देश में चावल का कुल उत्पादन जो वर्ष 1965–66 में 3059 लाख मीटरी टन था वर्ष 1973–74 में बढ़कर 4374 लाख मीटरी टन हो गया । आगामी वर्षों के दौरान उत्पादन में और वृद्धि होने की सम्भावना है ।

(ग) वर्ष 1973–74 में 440 लाख मीटरी टन के उत्पादन को आधार स्तर मानते हुए पांचवी योजना के दौरान चावल के उत्पादन का लक्ष्य 540 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है । 100 लाख मीटरी टन के इस अतिरिक्त उत्पादन का अधिकांश भाग अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती से हो सकेगा । अनुमान है कि इन किस्मों की बुबाई का क्षेत्र जो वर्ष 1973–1974 में 100 लाख हैक्टर था, पांचवीं योजना की अवधि के अन्त में बढ़कर 165 लाख हैक्टर हो जाएगा । अच्छी किस्म के बीच, उर्वरक, वनस्पति-रक्षण रासायनिक तथा ऋण की सप्लाई करके इस कार्यक्रम को पूर्ण सहायता दी जाती है ।

अधिक उपज देने वाली उपलब्ध किस्में मुख्यत: रबी तथा ग्रीष्म के मौसमों और नियंत्रित सिचांई की परिस्थितियों के अन्तर्गत खरीफ मौसम में कुछ क्षेत्रों में सफल सिद्ध हुई है । खरीफ के मौसम के दौरान इस फसल को प्राय: मानसून की अनियमितताओं पर निर्भर रहना पड़ता है और इससे जल व्यवस्था की गम्भीर समस्याएं पैदा होती हैं । इसके अतिरिक्त, अन्य मौसमों की तुलना में खरीफ के मौसम के दौरान इस किस्मों पर कृमि तथा रोगों की अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है । अतः विभिन्न कृमि जलवायु संबंधी परिस्थितियों, कृमि तथा रोग प्रतिरोध

ठंड को सहनकर सकने वाली एंव आपेक्षिक रूप से अधिक प्रोटिन वाली उपयुक्त किस्मों के विकास के लिए अखिल भारितय समन्वित चावल सुधार परियोजना के अन्तर्गत अनुसंधान करने के लिए प्रयास किये जा रहे है । मिनिकीट कार्यक्रम के माध्यम से इन नई किस्मों को किसानों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है ।

कृषि तथा रोगों के आक्रमण की सूचना देने एंव किसानों को न्यूनतम कृषि नाशी औषधियों के प्रयोग से फसलों की सुरक्षा करने के संबध में जानकारी देने के लिए एक 'निगरानी कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है ।

तकनौलौजी के व्यापक प्रसार के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करने के लिए एक संचालनात्मक अनुसंधान परियोजना भी प्रारम्भ की गई है। इससे देश में चावल के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त, देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में धान की अगेती बुवाई करके और जल की सामायिक व्यवस्था करके और सामुदायिक नर्सरियां उगाकर फसल की उन्नत विधियों को प्रारम्भ किया जा रहा है।

केरल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिक्री डिपो का खोला जाना

2770. **श्रीराम चन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने केरल में अपना बिक्री डीपो खोला है :

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उपभोक्ताओं को मूल्य और उपलब्धतो सहित सभी दृष्टियों से लाभ हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वर्ष 1975-76 के लिए कीटनाशक औषधियों की आवश्यकता

2771. **श्री वीरभद्र सिंह**
श्री के० लकप्पा } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1975–76 के लिए देश में कीटनाशी औषधियों की आवश्यक्ता क्या होगी, और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां । अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1975–76 मे कृषि कार्य के लिए तकनीकी ग्रेड की लगभग 63,000 मीटरी टन औषधियों की आवश्यक्ता होगी इन जरूरतों में कुछ निम्नलिखित लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण कीटनाशी औषधियां भी शामिल हैं :—

	प्रौद्योगिक ग्रेड की सामग्री मीटरी टनों में
बी० एच० सी०	27,000
डी० डी० टी०	5,400
मैलाथियन	2,300
पैराथियन	600
एन्डरिन	500
एन्डोसलफैन	1,100
कारबरी	6,000

विदेश भेजे गये भारतीय सांस्कृतिक दल और सद्भावना मिशन

श्री रोबिन ककोटी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में सरकार द्वारा किन-किन देशों को भारतीय सांस्कृतिक दल और सद्भावना मिशन भेजे गये ; और

(ख) उन पर सरकार द्वारा क्या खर्च किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख एक विवरण संलग्न है जिसमें सांसंस्कृतिक विभाग के विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशों को भेजे गये सांस्कितिक प्रतिनिधिमण्डल और उनपर किये गयें खर्चे के संबंध में अपेक्षित सूचना दी गई है । इसमें अन्य मंत्रलायों और राज्य सरकारों अथवा इन मंत्रालयों और सरकारों के नियंत्रणाधीन संगठनों द्वारा विदेशों को भेजे गये सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल शामिल नहीं है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 9143–75)

आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम तथा गहन कृषि—क्षेत्र कार्यक्रम

2773. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचित क्षेत्र में 75732 हैक्टेयर की वृद्धि करके कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु उड़ीसा राज्य सरकार को केन्द्र ने 6.6 करोड़ रुपये मध्यावधि ऋण और 200 करोड़ रुपये लघु अवधि ऋण के रूप में दिये हैं ;

(ख) क्या जल भंडार परियोजनाओं और तालाबों के नवीकरण पर क्रमश; 571 लाख रु० और 41 लाख रू० खर्च किए गए ;

(ग) क्या न तो केन्द्रीय आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम और न ही गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम से उड़ीसा के कृषकों को कोई महत्वपूर्ण लाभ हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम, 1972–73 के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये मध्यकालीन ऋण के रूप में 6.6 करोड़ रुपये और कृषि आदानों के लिये अल्प-कालीन ऋण के रूप में 2 करोड़ रु० की सहायता दी गई थी।

(ख) 6.6 करोड़ रु० के मध्यकालीन ऋण में जल भंडार परियोजनाओं (जिसमें उठा सिंचाई शामिल है) के लिये 410 लाख रु० और तालाब के नवीकरण के लिये 40 लाख रु० की रकम शामिल है।

(ग) तथा (घ) आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए लघु सिंचाई कार्यक्रमों की क्रियान्विति के फलस्वरूप राज्य की सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है। ग्रीष्म कालीन धान तथा गेहूं की खेती का क्षेत्र 1971–72 में 1.62 लाख हेक्टार तथा 21,000 हैक्टार था जो बढ़कर 1972–73 में 1.83 लाख हैक्टार तथा 51,000 हैक्टार हो गया। जहां तक खाद्यान्न उत्पादन का संबंध है, गत वर्ष के मौसम की अपेक्षा रबी/ग्रीष्म मौसम 1972–73 के दौरान 1.53 लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई है।

जहां तक गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का सम्बन्ध है, राज्य के उन चार चुने हुए जिलों में, जहां वर्ष 1964–65 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, धीरे-धीरे इसे अपनाने वाले किसानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यह कार्यक्रम इन राज्यों में कुल 30 ब्लाकों में से 22 ब्लाकों में और कु० 3433 गांवों में से 2964 गांवों में लागू है।

Sugar levy from Khandsari Mills

2774. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the percentage of sugar levy from khandsari mills; and

(b) whether Sugarcane Purchase Act and other laws apply to fixation purchase centres, procurement of fixed quantity of sugarcane from farmers, payment of penalty in case of failure to procure the quantity, timely payment

and in case of failure to recover the dues of sugarcane growers from Khandsari mills etc. ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Central Government have not imposed any levy on the production of sugar by khandsari units. However, the Government of U.P. have issued, with the prior concurrence of the Central Government, the Uttar Pradesh Khandsari Sugar (Levy) Order, 1975 under the Defence of India Rules. Under this Order every producer of white crystaline sugar manufactured by sulphitation unit by open pan processing including abele, is required to sell to the State Government 1/3rd of the quantity manufactured by him in the first process.

(b) The supply of sugarcane to sugar fatories in U.P. is regulated under the U.P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953. There is no provision in this Act for fixation of purchasing centres procurement of fixed quantity of sugarcane from farmers, payment of penalty etc. in respect of sugarcane purchased by khandsari units. However, fixation of minimum price of sugarcane payable by khandsari units and regulation of supply of cane etc. for khandsari units can be done under Sugarcane (Control) Order, 1966 issued under the Essential Commodities Act, 1955.

Loonkaransar lift Irrigation Scheme in Rajasthan

*2775. **Shri Panna Lal Baruwal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether water in backward areas in Rajasthan, particularly in most of the villages in Loonkaransar; Bikaner Kolayat tehsil in Bikaner district is either saline or poisonous; and

(b) whether the Government of Rajasthan had forwarded to his Ministry, Loonkaransar lift irrigation scheme and some regional water supply schemes based on the source of water of Rajasthan canal costing about Rs. 5 crores and 51 lakhs for its technical approval which have been under consideration in his Ministry since December, 1973 and if so the action being taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K.N. Singh) : (a) The State Government has intimated that the ground water in these villages is highly saline.

(b) The Loonkaransar Lift Irrigation Scheme is a part of the Rajasthan Canal Project (Stage-I). The scheme already stands approved (1970) for an estimated cost of Rs. 8·26 crores and work on it is in an advanced stage of construction. The revised estimated cost of the project is about Rs. 19 crores and an expenditure of about Rs. 10·87 crores had been incurred up to March, 1974.

The State's Public Health Engineering Department had sent regional water supply schemes based on Rajasthan canal water source for Loonkaransar and Bikaner Tehsils costing Rs. 5·51 crores for technical approval to the Central Public Health and Environmental Engineering Organisation of the Ministry of Works and Housing. After discussion with the State authorities that Organisation has communicated the technical approval, with suitable modifications, to these schemes in January, 1975.

सूक्ष्म जीव विज्ञान सबन्धी अधुसन्धान में सुधार

2776. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में सूक्ष्म जीव विज्ञान सम्बधी अनुसंधान (माइक्रो-बायलोजिकल रिसर्च) में सुधार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

कृषि अर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीअण्णसाहब पी० शिन्दे (क) और (ख) सूक्ष्म जीव विज्ञान का अनुसंधान मोटे तौर पर मिट्टी सूक्ष्म जीव विज्ञान, डरी, पशु चिकित्सा, किण्वन प्रौद्योगिकी आदि के क्षत्रों में पड़ता है। अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न कृषि एवं पशु अनुसंधान संस्थानों, राज्य अनुसंधान संगठनों और कृषि तथा अन्य विश्वविद्यालयों में उपर्युक्त सभी क्षत्रों म अनुसंधान-कार्य किए जाते हैं। अनेक अखिल भारतीय समन्वित तथा अन्य अनुसंधान प्रायोजनाएं हैं, जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद चला रही है। इन प्रायोजनाओं में सूक्ष्म जीव विज्ञान में अनुसंधान का कार्य भी शामिल है। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फो-बैक्टरिन और सल्यूलोज विघटनकारी जीवों के लिए प्रभावकारी जीवों के छांटन और उनका आनुवंशिक सुधार करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कीपांचवीं योजना के प्रस्तावों के अन्तर्गत कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों में तीव्रता लाने का निश्चय किया गया है–

किसानों को उवर्रक के वितरण की व्यवस्ता

2777 **श्री वीरेंन्द्र सिह राव**
श्री मुख्तयार सिह मलिक } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उर्वरक के वितरण बिक्री हेतु क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि विद्यमान व्यवस्था से किसानों को उर्वरक उचित मूल्य पर मिलता है;

(ग) क्या इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि कुछ राज्यों में किसानों को घटिया किस्म के उर्वरक बेचे जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें ठीक किस्म के उर्वरकों की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्राभुदास पटेल) : (क) केन्द्रीय उर्वक पूल द्वारा आयात किए गए उर्वरकों का वितरण, राज्य सरकारों द्वारा सरकारी एजेंसियों, सहकारी और अन्य संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। देश में तैयार होने वाले उर्वरकों का वितरण संस्थागत और प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) किसानों को उचित दरों पर उर्वरकों की उपलब्धि करने के लिये सरकार ने अनेक नियंत्रण उपाय किए हैं। आयात किए हुए उर्वरकों के फटकर बिक्री मूल्य केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा निश्चित किये जाते हैं। आयातित या देश तीन उर्वरकों अर्थात, यूरिया एमोंनियम सलफेट और कैलशियम एमोनियम नाइट्रेट के अधिकतम बिक्री मूल्य, उर्वक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत, सरकार द्वारा निश्चित किए जाते हैं। सुपर फास्फेट का मूल्य, सरकार द्वारा स्वीकृत फार्मूले के अनुसार ,भारतीय उर्वरक संघ द्वारा निश्वित किए जाते है। देश में तैयार होने वाले उर्वरकों के मूल्य विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निश्चित किये जाते हैं, किन्तु इन पर सरकार द्वारा आयोतित और बेचे जान वाले इसी प्रकार के उर्वरकों के मूल्यों का प्रधाव पड़ता है।

(ग) और (घ) राज्यों में किसानों को बड़ी मात्रा में घटिया किस्म के उर्वकों की बिक्री की कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, कुछ राज्यों ने उर्वरकों की कमी का लाभ उठाने वाले और भ्रष्टाचार में लगे बेईमान विक्रेताओं ने कुछ मामलों के बारे में सूचित किया है।

राज्य सरकारों को, उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, मिलावट और अन्य कदाचारों में लगे अपराधी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने व मुकद्मा चलाने के लिये पर्याप्त अधिकार दियें गयें हैं। आवश्यक वस्तु, अधिनियम कें अन्तर्गत, उर्वर नियंत्रण आदेश को 'विशेष आदेश' के रूप में घोषित किया गया है, ताकि राज्य सरकारें दोषी व्यक्तियों पर मुकद्मा चला सकें। राज्य सरकारों द्वारा इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

आंशिक मध्य निषेध के बारे में विधेयक

2778. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में या संघ राज्य-क्षेत्रों में पूर्ण या आंशिक मद्य निषेध के बारे में 1975 के बजट सत्र या उससे बाद में कोई विधान लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) और (ख) मद्यनिषेध का विषय राज्य सूची में दिया गया है और मद्यनिषेध के संबंध में विधि निर्माण का राज्यों को अन्य अधिकार है।

2. जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, स्थिति नीचे दी गई है :—

(क) गोआ, दमन और दीव, पांडिचेरी तथा मिज़ोरम के अपने-अपने विधान मंडल हैं तथा मद्यनिषेध के संबंध में विधिनिर्माण उन्हें ही करना है।

(ख) अरुणाचल प्रदेश और लक्ष्यद्वीप में शराब की दुकानें नहीं हैं।

(ग) चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा दादरा और नगर हवेली में लागू किए जा रहे आबकारी कानूनों के द्वारा एल्कोहल वाले पेयों का उपयोग पर आंशिक प्रतिबंध हैं।

पांचवीं योजना में कृषि उत्पादन

2779. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाचवीं योजना में कृषि उत्पादन के लिये क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं;

(ख) उन परियोजनाओं में मुख्य बातें क्या हैं जो उक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिये बनाई गई हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को भली-भांति क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में कृषि उत्पादन के लिये निर्धारित किए गये वास्तविक लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :--

फसल	एकक	अधिक से अधिक लक्षित उत्पादन (1978-79)
चावल	10 लाख मीटरी टन	54.0
गेहूं	,,	38.0
मक्का	,,	8.0
ज्वार	,,	11.0
बाजरा	,,	8.0
अन्य धान्य	,,	7.0
दालें	,,	14.0
कुल खाद्यान्न	,,	140.0
तिलहन	,,	12.5
गन्ना	,,	170.0
कपास	10 लाख गांठें	8.0
पटसन और मेस्ता	10 लाख गांठें	7.7

(ख) कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल किए गये चुनींदर विकास कार्यवाही की रूपरेखा नीचे दी गई है :—

मद	एकक	1973–74 (अनुमानित स्तर)	1978–79 (लक्ष्य)
1. अधिक उत्पादनशील किस्मों का कार्यक्रम			
(1) धान	10 लाख हैक्टार	9.40	16.50
(2) गेहूं	,,	11.30	15.00
(3) मक्का	,,	0.65	1.00
(4) ज्वार	,,	1.10	2.50
(5) बाजरा	,,	3.00	5.00
		25.45	40.00
2. बोया गय सकल क्षेत्र	,,	169.00	180.00
3. सिंचाई			
(1) प्रमुख और मध्यम सिंचाई (उपयोग स्तर)	,,	19.40	29.80
(2) लघु सिंचाई	,,	23.50	29.50
4. कृषि भूमि पर मृदा संरक्षण कार्य	,,	16.60	25.00
5. रासायनिक उर्वरकों की खपत (एन पी और के)	(10 लाख मीटरी टन)	2.78	8.00
6. कीटनाशी औषधियों की खपत	(हजार मीटरी टन)	36.00	74.00

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि कार्यक्रम की क्रियान्विति को सुदृढ़ करने के लिये निम्नलिखित उपायों की व्यवस्था की गई है—केन्द्र में कृषि व्यवस्था को मजबूत करना, केन्द्र और राज्यों के बीच घनिष्ट तथा निरन्तर सम्पर्क स्थापित करना, विस्तार संगठनों के साथ-साथ

विभिन्न स्तरों पर राज्य के विभागों को मजबूत करना, क्षेत्र संबंधी समन्वित कार्यवाही के लिये सहयोगी विभागों और स्थानीय निकायों के साथ सम्पर्क स्थापित करने हेतु जिला, और खण्ड स्तरों पर उपयुक्त समन्वय मशीनरी की स्थापना करना, ऋण, उर्वरकों और कीटनाशी औषधियों आदि आदानों से संबंधित संस्थानों और संगठनों और सिंचाई, कृषि, सहकारिता मृदा संरक्षण जैसी विभिन्न शाखाओं के समस्त स्तरों पर क्षेत्रीय विकास के समन्वित कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त संगठनों का सृजन करना, राज्य सरकार के कृषि विभागों और राज्य के कृषि विश्व-विद्यालयों के कार्य कलापों के विषय में सहयोग सुनिश्चित करने के लिये उपायों को बढ़ावा, विभिन्न स्तरों पर कृषि में लगे लोगों की दक्षता को बढ़ाने के लिये उचित सेवांतरगत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

त्रिपुरा के अकाल से प्रभावित आदिवासियों को बेकारी अनुदान के लिए सहायता

2780. **श्री दशरथ देव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्द्रीय सरकार का त्रिपुरा सरकार को वहां के अकाल से प्रभावित आदिवासियों में से प्रत्येक की मासिक बरोजगारी अनुदान (डोल) देने के लिए सहायता देने का विचार है। जैसा कि वह भूतपूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों को अनुदान दे रहीं हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार भुखे मर रहे अपने नागरिकों को नकद बरोजगारी अनुदान क्यों नहीं दे रही है जबकि वह बंगला देश पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को मासिक नकद बेरोजगारी अनुदान दे रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

Expenditure on Crash Programme for Employment

2781. **Shri Narendra Singh**
Shri Jagannathrao Joshi
Shri Ishwar Chaudhry
Shri Phool Chand Verma
Shri Atal Bihar Vajpayee
Shri Hemendra Singh Banera
: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the State-wise expenditure incurred on the 'Crash Programme' for employment during 1973-74;

(b) the unemployment position in various States before and after the implementation of this programme;

(c) whether any cases about the misuse of funds meant for this programme have come to the notice of Government; and

(d) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shr Annasaheb P. Shinde) : (a) A statement showing state-wise expenditure incurred on the Crash Scheme for Rural Employment during 1973-74 is laid down on the table of the Sabha.

(b) The crash scheme was taken up for implementation in April, 1971 for a period of three years. No assessment of the unemployment situation in various states was made either before or after the launching of the crash Scheme for Rural Employment. The Committee on Unemployment have however, made an estimate of the unemployed persons for the year 1971. According to the Committee, the likely number of unemployed persons in 1971 may reasonably be taken as 18·7 million including 9·0 million who are unemployed, and 9·7 million who work less than 14 hours a week and who may be treated on par with the unemployed. These would include 16·1 million in rural areas (7·6 million male and 8·5 million female) and 2·6 million persons in urban areas (1·6 million male and 1·0 million female). No comparable figures are available for the year 1974 when the crash scheme for Rural Employment was discontinued.

(c) and (d) The Accountant General, Central Revenues made a review of C.S.F.E. The review was based on detailed audit conducted by the audi-parties of the Accountants General of various states. This review has since been included in the Supplementary Audit report for the Union Government (Civil) for 1972-73. The deficiencies pointed out in the review by A.G.C.P. also figure in the audit report of respective States/U.Ts. The States have since informed that they are seized of the deficiencies pointed out by Audil and they are taking appropriate action.

Statement (Rs. lakhs)

Sl. No.	States/Union Territories	Expenditure incurred on crash Programme for Rural Employment during 1973-74
1	2	3
1	Andhra Pradesh	324·84
2	Assam	90·00
3	Bihar	427·08
4	Gujarat	208·77
5	Haryana	78·03
6	Himachal Pradesh	118·19
7	Jammu & Kashmir	83·28

(Rs. lakhs)

1	2	3
8	Kerala	157·82
9	Madhya Pradesh	515·36
10	Maharashtra	273·53
11	Manipur	24·29
12	Meghalaya	22·00
13	Karnataka	199·05
14	Nagaland	27·23
15	Orissa	134·79
16	Punjab	123·13
17	Rajasthan	230·87
18	Tamil Nadu	249·52
19	Tripura	21·77
20	Uttar Pradesh	587·76
21	West Bengal	246·71
	UNION TERRITORIES	
22	A. & N. Islands	3·52
23	Arunachal Pradesh	20·43
24	Chandigarh	7·01
25	Dadra, Nagar Haveli	8·07
26	Delhi	9·35
27	Goa, Daman & Diu	10·71
28	Lakshadweep	4·53
29	Mizoram	8·66
30	Pondicherry	14·45
	All India	4230·75

राष्ट्रीय सेवा योजना

2782. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृतिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय इस आशय के स्पष्ट आश्वासन पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सेवा योजना चालू करने के लिय सहमत हुआ था कि स्वस्थता कोर के प्रशासनिक कार्यालयों को बन्द करके राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के संबंध में बचत नहीं की जायेगी;

(ख) क्या इस स्पष्ट आश्वासन के विपरीत राष्ट्रीय सेवा योजना के व्यय को छोड़ कर राष्ट्रीय स्वस्थता कोर पर वास्तविक व्यय दुगुना हो गया है;

(ग) यदि हां, तो यह भूल किस प्रकार हुई, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा ,जबकि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारी को एक भी पैसे का वित्तीय लाभ नहीं हुआ; और

(घ) इस बारे में वित्त मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) परिचालन के लिये विशिष्ट धनराशि के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना को एक अलग योजना के रूप में 1969–70 में आरम्भ किया गया था। परिकखित किया गया था कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के ऐसे कार्मिक जो राष्ट्रीय सेवा योजना की शर्तों को पूरा करते हों, उन्हें यथासम्भव योजना में ले लिया जाए और राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन में इस प्रकार हुई रिक्तियों को नहीं भरा जायेगा। तदनुसार, राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकांश पद राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के उपयुक्त कार्मिकों की भर्ती के द्वारा भरे गये हैं। राष्ट्रीय स्वस्थता कोर में इस क परिणामस्वरूप रिक्तियां नहीं भरी गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य उद्योग में संकट

2783. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मौसम में मच्छली बिल्कुल न पकड़े जाने या बहुत कम पकड़े जाने के कारण तटीय क्षत्र में अत्यधिक रोजगार प्रदान करने की क्षमता वाले मत्स्य उद्योग में गम्भीर संकट आया हुआ है;

(ख) क्या इससे इस उद्योग में लगे लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और भूखों मर रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) तक विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों पर सितम्बर, 1974 से जनवरी, 1975 तक की अवधि के दौरान समुद्र में सामान्य से कम मच्छली पकड़ी गई थी। राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे स्थिति पर निगाह रख रहे हैं।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के डिमान्स्ट्रेटरों और ट्यूटरों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

2884. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2/3 जून को हुई अपनी बैठक में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में लाइब्रेरियनों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर मद संख्या 32 में उल्लिखित विचार करने के लिये नियुक्त समिति के प्रतिवेदन पर पुर्नविचार किया है और भारत सरकार को यह सिफारिश करने का निर्णय किया है कि लाइब्रेरी असिस्टेंट/कालेज लाइब्रेरियन/तकनीकी असिस्टेंट के वेतनमान को 250–15–400 रुपये से 550–25–750–30–900 रुपये कर दिया जाये तथा सरकार ने उनको क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार डिमानस्ट्रेटरों टयुटरों के मामले की, जो 250–15–400 रुपये तथा 300–400 रुपये के वेतनमान पर थी तथा जिसके लिये आल इंडिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गनाइजेशन और बिहार स्टेट डिमानस्टेटरस एसोसिएशन ने भी ज्ञापन दिया था पुनः जांच करने तथा पुर्नविचार करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालयों के पुस्तकाध्यक्ष, उप पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, प्रलेख अधिकारी, पुस्तकालय सहायकों (व्यवसायिक सहायक/पुस्तकालय सहायक/तकनीकी सहायक) तथा कालिजों के पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमानों के परिशोधन के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है।

(ख) भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर तथा इस संबंध में प्राप्त ज्ञापनों और अभ्यवेदनों पर विचार करने के पश्चात, वर्तमान निदर्शकों को वेतनमानों को पहले ही मंजूर कर लिया है। सरकार का विचार इस मामले का पुनरीक्षण का करने अथवा उस पर पुनः विचार करने का नहीं है।

2785. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Mr. Justice K.K. Mitra had been appointed arbitrator to resolve the dispute between the management and workers of the Food Corporation of India; and

(b) if so, the reasons for going to the High Court against this decision ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes Sir.

(b) The award had not been published by the Arbitrator within the time stipulated for making it.

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने हेतु विभिन्न संगठनों की सहायता

2786. **श्री सरोज मखर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय का अनुसरण करते हुये भारत में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के लिये विभिन्न संगठनों को सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसे कौन से महिला संगठन तथा संघ हैं जो कि देश में ऐसे समारोह के साथ सम्बधित थे; और

(ग) इस कार्य के लिये समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग द्वारा कितनी राशि मंजूर की गयी है तथा उसका ब्यौरा क्या है। ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क), (ख) तथा (ग) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के लिये, सलंग्न सूची में उल्लिखित संगठनों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा गठित अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के लिये राष्ट्रीय समिति द्वारा एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। वित्तीय दबाद की सीमा के भीतर ही राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जायेगी।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, 1975 के कार्यक्रमों के सम्बन्ध स्त्रियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों की सूची

1. अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के लिये भारतीय समिति में निम्नलिखित 41 संगठन शामिल हैं जिन के नाम इस प्रकार हैं :—

1. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन।
2. अखिल भारतीय महिला स्वयं सेवी सेवा।
3. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
4. अखिल भारतीय छात्र संघ।
5. अखिल भारतीय युवा संघ।
6. अखिल भारतीय शान्ति तथा एकता संगठन।
7. अखिल भारतीय किसान सभा।
8. अखिल भारतीय इसाई महिला परिषद।
9. अखिल भारतीय इंडो० जी० डी० आर० मित्र एसोसिएशन।
10. भारत में मेडिकल महिलाओं की एसोसिएशन।
11. भारत में समाज-स्वास्थ्य की एसोसिएशन।

12. भारतीय ग्रामीण महिला संघ ।

13. भारतीय स्काउटस एण्ड गाइडस ।

14. भारतीय खेत मजदूर संघ ।

15. व्यापार एवं व्यावसायिक महिला एसोसिएशन ।

16. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ।

17. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ।

18. भोजन संबंधी आदतों के परिवर्तन से सम्बद्ध समिति ।

19. भारतीय कैथोलिक महिला राष्ट्रीय परिषद ।

20. गृह विज्ञान एसोसिएशन ।

21. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

22. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ।

23. भारत-सोवियत सोसाइटी ।

24. इंडियन फैडरेशन आफ यूनाइटिड नेशन्स एसोसिएशन ।

25. इंडियन फैडरेशन आफ इंडियन वीमेन लायर्स ।

26. भारतीय बाल कल्याण परिषद ।

27. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट ।

28. मोबाइल क्रैची आफ इंडिया ।

29. भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ ।

30. भारतीय राष्ट्रीय परिवार नियोजन एसोसिएशन ।

31. राष्ट्रीय महिला परिषद ।

32. नारी निकेतन ।

33. भारतीय राष्ट्रीय छात्र यूनियन ।

34. विश्वविद्यालय महिलाओं की एसोसिएशन की भारतीय संघ ।

35. माता-पिता एवं अध्यापक एसोसिएशन ।

36. भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन ।

37. महिला विभाग (अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) ।

38. वार विडोज़ एसोसिएशन ।

39. यंग विमैनस क्रिस्चन एसोसिएशन ।

40. युवा कांग्रेस ।

41. जोंटा क्लब, नई दिल्ली ।

2. अखिल भारतीय महिला केन्द्रीय खाद्य परिषद।
3. भारतीय समाज कल्याण परिषद्, बम्बई।
4. राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्।
5. दि ईस्टर्न इंडिया वीमेंस एसोसिएशन, गोहाटी।
6. गिल्ड आफ सर्विस, मद्रास।
7. हरिजन सेवक संघ।
8. महिला समन्वय परिषद्, कलकत्ता।
9. केन्द्रीय नागररिक परिषद्, नई दिल्ली।
10. दिल्ली विश्वविद्यालय महिला एसोसिएशन।

उड़ीसा में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए जल निकासी परियोजनाएं

2787. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तरी उड़ीसा के भोगाई जलेश्वर तथा बस्तर क्षेत्र और बूटूबिलगा से बाढ़ का पानी निकालने के तथा मयूरगंज में कन्द्रीय स्तर सरकार द्वारा स्वीकृत जल निकासी परियोजनाओं में कार्य अब आरंभ कर दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : राज्य सरकार ने सुवर्णरेखा तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर उड़ीसा में सुवर्णरेखा बैसिन को निचली पहुंचों में जिनमें भोगराई, जलेश्वर और बस्ता क्षेत्र सम्मिलित हैं, बाढ़ सुरक्षा तथा जल निकास में सुधार की स्कीमों को, अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। बहरहाल, राज्य सरकार ने 1.37 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर भण्डरिया खाल जल-निकास चैनल का मरम्मत का कार्य हाथ में ले लिया है और इसे जून, 1975 तक पूर्ण करना अनुसूचित है। 3.07 लाख रुपय के अनुमानित लागत वाली पामुलरेश्वर नाला मरम्मत स्कीम तैयार है तथा भूमि का कब्जा लेने के बाद इस पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार के पास इस समय बढ़ागसंफ नदी के लिए किसी जल निकास स्कीम का प्रस्ताव नहीं है।

नाट्य प्रदर्शन अधिनियम का निरसन

2788. **श्री एस० कतामुत्तु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या रंगमंच कलाकारों के एक दल ने नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 के निरसन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

75—M/S—1LSS—5

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 13–2–1975 को एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च ग्रुप नाम के कलाकारों के एक दल ने नाटक निष्पादन अधिनियम 1876 को रद्द कराने के लिए सभी संसद सदस्यों से अनुरोध किया था।

(ख) नाटक निष्पादन अधिनियम 1876 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 1956 में संविधान के विपरीत घोषित कर दिया था। "नाटक निष्पादन" राज्य का विषय है और इस संबंध में कार्रवाई करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जहां तक दिल्ली संघ शासित क्षेत्र का संबंध है, दिल्ली पर लागू किया गया, मद्रास नाटक निष्पादन अधिनियम, 1954 लागू है। दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में नाटक निष्पादन संबंधी विधान पेश करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

2789. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 267 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी और चौथी योजना में उड़ीसा की सालन्दी प्रमुख सिंचाई परियोजना और आनन्दपुर बांध परियोजना को क्रियान्व यन के लिए किस विशिष्ट समय में शुरु किया गया था और अद्यतन परियोजनाओं के लिए भिन्न-भिन्न किन विशिष्ट मदों पर व्यय किया गया है ;

(ख) क्या आनन्दपुर स्थित बांध के निर्माण के लिए स्थान की अन्तिम रुप से सहमति हो गई थी और वर्ष 1973 में इस प्रयोजन के लिए राज्य के संबंधित इंजीनियरों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के बालासौर जिले के सालन्दी सिंचित क्षेत्रों की प्रगति को देखने के लिए हाल में आए हुए विश्व बैंक के दल को इस बांध का स्थान दिखाया गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) सालन्द परियोजना का निर्माण कार्य तीसरी योजना के प्रारम्भ में शुरु किया गया था। यह परियोजना क्रेस्टगेट के प्रतिष्ठापन को छोड़कर, लगभग पूर्ण हो चुके हैं। इस परियोजना पर 1974–75 तक 14.42 करोड़ रुपये व्यय होने की प्रत्याशा है, जबकि इसकी अनुमानित लागत 16 करोड़ रुपये है।

आनन्दपुर बराज परियोजना मई, 1972 में स्वीकृत की गई थी। बराज के स्थल के संबंध में अंतिम निर्णय के होने तक, केवल कुछ प्रारम्भिक कार्य जैसे बराज-स्थल का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य, मुख्य नहर का संरेखन और मुख्य नहर क लिए भमि अनुसूची तैयार करना, हाथ में लिए गए हैं। प्रारम्भिक कार्यों पर 1974–75 तक लगभग 1.11 करोड़ रुपये खर्च होन की उम्मीद है।

(ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के संबंधित इंजीनियरों ने तीन स्थलों नामशः सुबसुदिया, बौरगोबिन्दपुर और कुमारिया को नवम्बर, 1972 में जांच की क्या सुदसुदिया स्थल के बारे में सुझाव दिया। तकनीकी तौर पर विचार करने के बाद केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग

ने बौरेगोबिन्द पुर स्थल की सिफारिश की। राज्य सरकार ने स्थल के चयन का फैसला करने के लिए नवम्बर, 1974 में इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी की रिपोर्ट पर इस समय राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ग) विश्व बैंक दल ने सालन्दी आयाकट का निरीक्षण किया तथा नवम्बर, 1974 **में** आनन्दपुर ब ज स्थल का प्रस्ताव किया।

कीटनाशक दवाओं के उत्पादन के लिए नई कच्ची सामग्री के बारे में अनुसंधान

2790. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अधिकाँश कीटनाशक व में पैट्रो-रसायनों पर आधारित हैं तथा इस समय व्याप्त ऊर्जा संकट के कारण कुछ आधारभूत कच्ची सामग्रियों की विश्वभर कमी है ;

(ख) क्या सरकार न काटनाशक दवाओं क उत्पादन के लिये गैकल्पिक कच्ची सामग्री का पता लगान हेतु कोई अनुसंधान किया है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन अनुसंधान सम्बन्धी प्रयासों पर कितनी राशि ख र्च की गई ;

(घ) इस संबंध में किये गये प्रयासों के क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) और (ख) प्रस्तुत प्रश्न सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र उसे सभा पटल पर रखा जायेगा।

भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में राज्यों के कानूनों को राष्ट्रपति की अनुमति

2791. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री राज्यों के भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने में विलम्ब के बारे में 16 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4598 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों के भूमि की अधिकतम सीमा के नए कानून राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरुप बना लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि केरल के ढंग की ग्राम स्तर सलाहकारी समितियां बनाने और गलत विवरण देने वालों एवं अधिकतम सीमा कानूनों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने वालों को कैद करने के लिए सांविधिक उपबन्ध बनाए जायें ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) कुछ छोटे अपवादों के सिवाय, उत्तर प्रदेश में भूमि की अधिकतम सीमा के कानूनों में संशोधन होने के पश्चात् अब वे पूर्णतः राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तो के अनुरुप हैं। जैसा कि दिनांक 16-12-74 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4698 के उत्तर में उल्लेख किया गया था, असम तथा महाराष्ट्र में अभी पूर्ण कानून नहीं बना हैं। तमिलनाडु के कानूनों में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों से कुछ भिन्नता है।

(ग) तथा (घ) जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्यों को यह अनुदेश दिये गये हैं कि वे उचित स्तरों पर गैर-सरकारी निकायों की स्थापना करें और जोत की अधिकतम सीमा के कानूनों की देखभाल करने के लिये सक्षम शासकीय संस्थाओं की स्थापना करें। किसानों के मज़बूत संगठनों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि ग्राम तथा ब्लाक स्तरों पर लाभानुभोगियों की समितियां स्थापित की जायें, ताकि भूमि सुधार के सब उपायों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में क्रियान्वयन करने वाले प्राधिकारी को सलाह दी जा सक और भूमि सुधार के लाभानुभोगियों की सहायता के लिए सुविधाएं दी जा सकें।

भारतीय खाद्य निगम में गत एक वर्ष के दौरान हुई हड़तालें

2792. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में गत एक वर्ष के दौरान कितनी बार हड़ताल हुई, किन-किन स्थानों पर हुई तथा उसके क्या कारण थे ; और

(ख) इन हड़तालों को समाप्त करने तथा वहां अनुशासन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारत सुरक्षा नियम के अधीन, 4-1-1975 से छः महीने की और अवधि के लिए भारतीय खाद्य निगम में किसी औद्योगिक विवाद के बारे में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है।

हरित क्रांती के परिणाम

2793. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित क्रांति के परिणामों का मूल्यांकन (क्वान्टी फाई) करने का कोई प्रयास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस दिशा में कोई प्रयास किया जाना है और यदि हां, तो कब तक ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क), (ख) तथा (ग) "हरित क्रांति" शब्दों का प्रयोग सामान्यतः 1966-67 में अपनाई गई नई कृषि नीति के बाद खाद्यान्नों के उत्पादन में प्राप्त हुई सफलता के संदर्भ में किया जा रहा है। इस नीति की मूलभूत बातों में यह शामिल हैं——अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की खेती व उर्वकों का उपयोग, भूमि तथा जल प्रबन्ध,

वनस्पिति रक्षण उपाय आदि । सिंचाई के लिये जल की सुनिश्चित सप्लाई और आश्वकतानुसार वनस्पति रक्षण उपाय करते हुए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों से अच्छी सफलता प्राप्त हुई है।

यद्यपि मौसप तथा ऋण और उर्वरकों की उपलब्धि और कीटों तथा रोगों के प्रकोप जैसी बातों को अलग करके इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि नई कृषि नीति से ही खाद्यान्नों का उत्पादन कितनी मात्रा में बढ़ा है, तथापि यह कहा जाता है कि नई रीति से खासकर गेहूं के मामले में अच्छा परिणाम प्राप्त हुए हैं। यह नीति अपनाए जाने से पहले खाद्यान्नों का सबसे अधिक उत्पादन 1964–65 में 894 लाख मीटरी टन हुआ था। यह नीति अपनाए जान के बाद 1970–71 में यह उत्पादन बढ़ कर 1084 लाख मीटरी टन हो गया। नई नीति अपनाए जाने से पहले 1965–66 के सूखे के वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन गिर कर 723 लाख मीटरी टन रह गया था। 1972–73 में भी ऐसा ही सूखा पड़ा, जबकि उत्पादन 970 लाख मीटरी टन हुआ। गेहूं का उत्पादन 1966–67 म 114 लाख मीटरी टन हुआ था जो कि 1971–72 में उसके दुगुने से भी बढ़कर 264 लाख मीटरी टन हुआ।

Reservation of seats for S.C. and S.T. in Universities, Institutions for Higher Education and Indian Institute of Science, Bangalore

*2794. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether twenty per cent seats are reserved for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students in the Universities, Institutions imparting higher education and the Indian Institute of Science, Bangalore;

(b) if so, since when; and

(c) the number of students belonging to these castes given opportunities on the basis of reservation during the last three years and the names of the institutions they were given seats?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan):

(a) and (b): The Ministry of Education and Social Welfare had requested all the States Governments and Universities in 1954 to reserve 15 per cent. of the seats for admission to institutions of higher education for Scheduled Caste students and 5 per cent. for Scheduled Tribe students. The matter has been pursued with the Universities from time to time. The Indian Institutes of Technology, Indian Institute of Science, Bangalore, etc., have also been requested to make similar reservations.

(c) The number of students belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe given opportunities on the basis of reservation during the last three years in various institutions, is not available. However, information relating to number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students at different levels of education for the year 1968-69 are given in the publication entitled "Progress of Education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes", a copy of which is available in the Parliamentary Library.

विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालयों प्रबन्धकों के बीच झड़पें

2795. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 1973 और 1974 के दौरान विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रबन्धकों के बीच झड़पें हुई ;

(ख) प्रत्येक मामले में उनके कारण क्या थे ; और

(ग) दोनों के बीच सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरुल हसन) : (क) से (ग) केन्द्र दवारा प्रायोजित कोई विश्वविदयालय नहीं है । केन्द्रीय विश्वविदयालयों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब में गेहूं उत्पादन के द्रुत कार्यक्रम की असफलता

2796. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में दो लाख टन तक गहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए सितम्बर, 1972 में चार द्रुत कार्यक्रम चलाये गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी रुपरेखा क्या है ;

(ग) क्या इन सभी चारों द्रुत कार्यक्रमों से लाभ नहीं हो सका है , और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं और क्या सरकार ने इस असफलता के कारणों का पता लगान के लिये कोई जांच की है यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (घ) : वर्ष 1972-73 क आयात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसे उस वर्ष के खरीफ मौसम के दौरान सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिये प्रारम्भ किया गया था, पंजाब सरकार ने वर्ष 1972–73 के रवी/ग्रीष्म के मौसम के दौरान खादयान्नों का उत्पादन बढ़ान की दृष्टि से लघु सिंचाई की निम्नलिखित चार योजनाएं क्रियान्वित की थी :—

(1) 15,000 नलकूपों का विदयुतीकरण ।

(2) 100 गहरे नलकूप लगाना ।

(3) बिजली वाले नलकूपों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 15,000 डीजल पम्पों की की खरीद ।

(4) 50% ऋण तथा 50% वित्तीय सहायता के आधार पर फीरोजपुर, अमृतसर तथा गुरदासपर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में 10,000 उथले नलकूप लगाना ।

इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रायः संतोषजनक रहा है और इनके लक्ष्य भी लगभग प्राप्त हो गये थे।

शुरु में पंजाब सरकार ने आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 8 लाख मीटरी टन गेहूं के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसी बीच उर्वरकों तथा बिजली की कठिनाई बढ़ जाने के फलस्वरूप सम्भावित उत्पादन के अनुमानों को घटा दिया गया और राज्य सरकार को आशा थी कि पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1972-73 के दौरान केवल 2 लाख मीटरी टन का अधिक उत्पादन होगा। यह आशा भी पूरी न हो सकी और मुख्यतः सिंचाई के लिये बिजली की अपर्याप्त उपलब्धि एवं गेरूआ रोग के व्यापक आक्रमण के कारण पंजाब में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1972-73 के दौरान गेहूं का वास्तविक उत्पादन 2.5 लाख मीटरी टन कम रहा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1972-73 में गेहूं की फसल अधिक क्षेत्र में बोई गई थी तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाया गया था। इन बातों के बावजूद भी उत्पादन में यह कमी हो गई।

रोहतक में एक विश्वविद्यालय की स्थापना

चौधरी राम प्रकाश : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हरियाणा में रोहतक में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर पुनः विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : जी हां। तथापि, विश्वविदयालय अनुदान आयोग ने प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया है।

धान पर लगे लेवी आदेशों को समाप्त करने के लिए रायपुर में प्रदर्शन

2798. **श्री विजय पाल सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उत्पादकों पर लगे धान की लेवी के आदेश समाप्त करने की मांग करते हुए केन्द्रीय योजना मंत्री के मार्ग में रुकावट डाली थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उत्पादकों पर लेवी राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार के परामर्श से लगायी जाती है; आवश्यक रूप से राज्य सरकार को ही यह निर्णय करना होता है कि राज्य में लगाई गई धान की लेवी की मात्रा में कोई परिवर्तन करना आवश्यक है अथवा नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासन कार्यक्रम का पुनर्गठन

2799. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आवासन कार्यक्रम के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्गठित आवास कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपयोग में आ रहे ट्रैक्टरों की प्रतिशतता

2800. **श्री मधु लिमये : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आज कुल कितने स्वदेशी एवं आयातित ट्रैक्टर हैं ;

(ख) उनमें से कितने प्रतिशत उपयोग में आ रहे हैं और कितने प्रतिशत मरम्मत के लिये पड़े हुए हैं ;

(ग) क्या यह सच है, इतनी अधिक संख्या में ट्रैक्टरों के मरम्मत के लिये पड़े होने का कारण पुर्जों की कमी है ; और

(घ) यदि हां, तो आवश्यक पुर्जों का भारत में निर्माण करने अथवा स्वदेशी प्रतिस्थापन पुर्जों के निर्माण होने तक लघु अवधि के आधार पर आवश्यक पुर्जों का पर्याप्त मात्रा में आयात करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : समस्त कृषि उद्योग निगमों को यह भी सलाह दी गई है कि वे उन सभी ट्रैक्टरों के फालतू पूर्जे भी प्राप्त करें जो उनके सम्बंधित राज्यों में चल रहे हैं ताकि किसानों को फालतू पुर्जों की अपनी आवश्यकतायें पूरी करने में कठिनाई न हो। कृषि उद्योग निगमों द्वारा फालतू पुर्जों के आयात तथा वितरण के अलावा अलग अलग किसानों को वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस के अंतर्गत एक सीमित मात्रा में फालतू पुर्जों का आयात करने की भी अनुमति दी जाती है।

जहां तक देशी ट्रैक्टरों का सम्बंध है ट्रैक्टर विनिर्माताओं को फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति देकर विक्रय के पश्चात ट्रैक्टरों की मरम्मत आदि का कार्य करने के लिए आवश्यक आयात सहायता भी दी जा रही है। ट्रैक्टर विनिर्माताओं को आवश्यकता पूरी करने के लिए कुछ चुने हुए सहायक मदों के सम्बंध में देशी क्षमता पर्याप्त नहीं है जिसके लिए सरकार द्वारा ऐसे मामलों में आवश्यक क्षमता सृजित करने के लिए उपाय किए जा चुके हैं।

(क) राष्ट्रीय व्यावहारिक तथा आर्थिक अनुसंधान परिषद्, जिसने पांचवीं योजना की अवधि के ट्रैक्टरों की सम्भावित मांग का जायजा लेने के लिये विस्तृत और क्रमबद्ध सर्वेक्षण किया है, ने अनुमान लगाया है कि 1971-72 के दौरान ट्रैक्टरों की कुल संख्या 1,85,738 थी। कृषि कार्य के लिये प्रयुक्त होने वाले ट्रैक्टरों की संख्या के सम्बन्ध में पशु संगणना करते समय जानकारी एकत्रित की जाती है। पिछली संगणना 1972 में की गई थी। इस संगणना की रिपोर्ट के अनुसार देश में अप्रैल, 1972 में ट्रैक्टरों की कुल संख्या लगभग 1,70,000 थी। तथापि, इन आंकड़ों में दिल्ली के सिवाय हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, पोंडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध ट्रैक्टरों की संख्या शामिल नहीं है।

(ख) आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में फालतू पुर्जों की कोई सामान्य कमी नहीं है । यद्यपि दो या तीन राज्यों में कुछ ट्रैक्टरों के बेकार पड़े रहने की सूचना प्राप्त हुई है । आयातित ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ट्रैक्टरों के साथ-साथ 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक फालतू पुर्जे आयात किये गये हैं । इसके अतिरिक्त राज्य कृषि उद्योग निगमों को भी अपने अपने राज्यों में कृषकों को वितरित करने के लिये फालतू पुर्जों का आयात करने की अनुमति दे दी गई है । अभी हाल में फालतू पुर्जों के सम्बन्ध में की गई समीक्षा से पता लगा है, कि 1971-72 से 1973-74 तक की अवधि में विभिन्न राज्य कृषि-उद्योग निगमों द्वारा किसानों को लगभग 3,88,00,000 रु० के मूल्य के फालतू पुर्जे वितरित किये गये हैं । सरकार ने देश में किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये फालतू पुर्जों का आयात करने हेतु कई लाख रुपये के लाईसेंस मंजूर किए हैं ।

नागपुर में साईल सर्वे इंस्टीट्यूट

2801. **श्री वसंत साठे**
श्री धामनकर } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मध्य में स्थित नागपुर जैसे स्थान पर एक साईल सर्वे इंस्टीट्यूट स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के तथ्य क्या है और मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां । वर्तमान अखिल भारतीय मिट्टी व भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन को सुदृढ़ और पुनर्गठित करके पांचवीं योजना के प्रस्तावों के अंतर्गत 3.75 करोड़ रुपये के खर्च से अखिल भारतीय मिट्टी और भूमि उपयोग सर्वेक्षण निदेशालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है । इस निदेशालय को नागपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

निदेशालय के मुख्य उद्देश्यों में मिट्टी और भूमि के साधनों का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक निर्धारण तथा भूमि-उपयोग की वैज्ञानिक योजना के लिए मिट्टी-दर्शक नक्शे तैयार करना शामिल है । यह निदेशालय मिट्टी की जांच पड़ताल के लिए स्वतंत्र रूप से मिट्टी सर्वेक्षण करेगा और भूमि का उपयोग करने वालों के लिए उपयुक्त स्केल में मिट्टी सर्वेक्षण नक्शे और रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य के मिट्टी सर्वेक्षण संगठनों के सहयोग से विस्तृत रूप से मिट्टी के सर्वेक्षण का काम भी करेगा । वैज्ञानिक मिट्टी सर्वेक्षण कार्य में सुविधा के लिए हवाई फोटो, उपग्रह-फोटो और अन्य दूर-संवेदन साधनों का उपयोग अंतरिक्ष अनुप्रयोग अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से किया जायेगा । मिट्टी की उत्पत्ति को अच्छी तरह से समझने के लिए अनुसंधान कार्यों में तीव्रता लायी जायेगी, ताकि भूमि के युक्ति संगत उपयोग के निमित्त मिट्टियों के लक्षण-निर्धारण, वर्गीकरण, उनके परस्पर संबंध और अर्धनिर्णय के मानदंड को सुधारा जा सके । पांचवीं योजना के प्रस्तावों का कार्यान्वियन होने पर देश के विभिन्न प्रदेशों से 6 प्रादेशिक मिट्टी परस्पर संबंध केन्द्र काम करने लगेंगे । प्रत्येक केन्द्र से उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 20 क्षेत्र-दल होंगे ।

कर्नाटक राज्य में शैक्षणिक विश्वविद्यालयों के लिए मांग

श्री पी० ग्रार० शिनाय : क्या **शिक्षा समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में ऐसे कालेजों के लिये नये शैक्षणिक विश्वविद्यालय खोलने की मांग केन्द्रीय सरकार से की गई है जो इस समय दूरवर्ती विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ग्रौर इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) ग्रौर (ख) विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग को कर्नाटक में नये शैक्षणिक विश्वविद्यालय स्थापित करने से सम्बन्धित कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुग्रा है ।

केन्द्रीय योजना के ग्रधीन मछुग्रों के तटवर्ती गांवों में ग्राधार-भूत ढांचे का विकास

2803. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुग्रों के तटवर्ती गांवों में ग्राधार-भूत ढांचे के विकास के लिये एक योजना कृषि मन्त्रालय के ग्रधीन केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में सम्मिलित की गई है ;

(ख) केरल के मछुग्रों के तटवर्ती गांवों में कितनी सड़कें बनाये जाने का विचार है ; ग्रौर

(ग) इस योजना के ग्रधीन केरल सरकार को कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल सरकार का ग्रन्य निर्माणाधीन 55 तटवर्ती सड़कों को पूरा करने के ग्रतिरिक्त 55 नई तटवर्ती सड़कों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

(ग) मछुग्रों के तटवर्ती गांवों में ग्रवस्थापना सुविधाग्रों के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की गई है ग्रौर इस योजना के ग्रंतर्गत गांवों में सड़कों ग्रौर कुग्रों का निर्माण करने की व्यव्स्था की है । इस योजना के ग्रंतर्गत, बढ़े हुए उत्पादन के लिए सड़कों, परिसंस्करण संयंत्रों ग्रौर कारगर विपणन की व्यवस्था करके तटवर्ती राज्यों में मछुग्रों के बड़े गांवों का समेकित ढंग से विकास करने का प्रस्ताव है । इस मामले पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल में भुखमरी

2804. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्रोज्क्ट टाईगर' की गणना के ग्रनुसार सुन्दरबन में लगभग 40 'रायल बंगाल टाईगर' बेचे हैं ग्रौर इस बात के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि यह संख्या कम न होने

(ख) क्या सुन्दरबन के ग्रतिरिक्त क्षेत्रों में जाते समय ऐसे गांवों से गुजरना होता है जहां सूखी घास के बीजों से बनी रोटियों ग्रौर शोरबों से हो रहे कुपोषण के कारण बच्चे मर रहे हैं; ग्रौर

(ग) ग्रांड सुन्दरबन विकास बोर्ड का विचार इन चालिस शेरों के साथ-साथ भूख से मर रहे हजारों व्यक्तियों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ियों का कलकत्ता में असंतोषजनक खेल

2805. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेबल टेनिस के भारतीय खिलाड़ियों ने कलकत्ता में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में असंतोषजनक खेल खेला ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों के असंतोषजनक खेल के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच समिति गठित की है ; और

(ग) उक्त समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क), (ख) और (ग) फरवरी, 1975 में कलकत्ता में आयोजित 33वें टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने 15वां स्थान प्राप्त किया । इस प्रकार से उन्होंने विश्व भर में 16 चोटी के टेबिल टेनिस संघों के ग्रुप–1 में अपनी स्थिति बनाए रखी । अन्तर्राष्टीय स्तर पर टेबिल टेनिस के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए पुरुषों और महिला दलों दोनों का उन 62 देशों में से जिन्होंने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, 15 वां स्थान प्राप्त करके निषादन असन्तोष-जनक नहीं है, यद्यपि सरकार को भारतीय टीमों से और बेहतर निषादन की आशा थी ।

राज्यों में भूमि हथियाना

2806. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमि हथियाने के मामलों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में तथा विषेशकर राजस्थान में भूमि हथियाने के कितने मामले हुए हैं तथा भूमि हथियाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों क विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विभिन्न राज्यों में धान की वसूली मूल्य

2807. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और अन्य चावल उत्पादक राज्यों में धान के क्या वसूली मूल्य निर्धारित किए गए हैं ?

(ख) विभिन्न राज्यों में धान उत्पादन की निम्नतम लागत निर्धारित किए जाने के क्या आधार हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में धान की वसूली मूल्य 74 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है ;

(घ) क्या अमाऊ धान की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत वास्तव में लगभग 100 रु० तथा बोरो धान की लगभग 120 रुपया है ;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने चावल मिलरों को खुले बाजार से 120 रुपया प्रति क्विंटल चावल खरीदने की अनुमति दी है ; और

(च) यदि हां, तो क्या छोटे और मध्यम स्तर के किसानों को एक मात्र उचित साधन से होने वाली आय से वंचित करने की बजाय सरकार भी खुले बाजार में धान खरीदेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) खरीफ विपणन मौसम, 1974-75 के लिए सभी राज्यों के लिए धान का (मोटी किस्म) अधिप्राप्ति मूल्य समान रूप से 74 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है ।

(ख) विभिन्न राज्यों में धान की पैदावार की न्यूनतम लागत को निर्धारित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जाते हैं ।

(ग) जी हां । अमन साधारण किस्म के लिए जोकि मोटी किस्म की है ।

(घ) अमन और बोरो धान की उत्पादन लागत के अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ङ) और (च) : पश्चिम बंगाल में, धान के उत्पादकों पर क्रमिक लेवी लगाई गई है । लेवी सम्बन्धी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद, उत्पादक अपनी लेवी मुक्त धान को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं और मिल मालिक भी उसे बाजार भाव पर खरीदने में स्वतन्त्र हैं । धान उत्पादकों पर लेवी लगाते समय, छोटी जोत के किसानों के हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में विशेष सावधानी बरती गई है ।

Construction of Canal under Kosi Project

2808. **Shri G.P. Yadav:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the amount spent so far on the construction of canal under Kosi project in Bihar State and the share of the Central Government in this project;

(b) whether due to sand silting of Kosi canal waterway, this project is proving to be useless; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri K. N. Singh): (a) The amount spent on the construction of the Eastern Kosi Canal system of the Kosi Project upto the end of December, 1974, was about Rs.66·96 crores. There is no share of the Central Government therein.

(b) and (c) Some difficulties are being experienced on the Eastern Kosi Canal system on account of the heavy silt content of the Kosi waters but this has not rendered the canal system ineffective for irrigation purposes.

The Government of Bihar have taken several measures to overcome the problem.

As a result of improvements undertaken, the silt deposits in the canal have now reduced in recent years.

तिलहनों के वायदा व्यापार पर रोक

2809. **श्री शरद यादव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहनों के वायदा व्यापार पर रोक को लागू किया है/जारी रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 में तिलहनों और तेल के मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां । सरकार ने समय समय पर विभिन्न तिलहनों के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लागू किया है/जारी रखा है ।

(ख) तिलहनों तथा तेलों के मूल्य सामान्यत: सप्लाई तथा मांग पर निर्भर करते हैं । तिलहनों तथा तेलों के वायदा व्यापार पर रोक लगाने का उद्देश्य उन मूल्यों को बढ़ाने से रोकना है जो अभाव की स्थिति में भारी मांग होने पर वायदा व्यापार जारी रहने से बढ़ सकते हैं । रबी की तिलहनों की अच्छी फसल होने तथा कुछ अन्य बातों के कारण इस समय तिलहनों तथा तेलों के मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा प्राय: कम हैं ।

श्यामलाल कालेज, दिल्ली में पुनः पठन-पाठन आरम्भ करने के लिये पुलिस सहायता

2810. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्याम लाल कालेज में पठन-पाठन पुन: आरम्भ करने क लिय पुलिस की सहायता मांगी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार छात्रों के एक दल तथा कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा उपद्रवों के कारण कालेज को जनवरी, 1975 में कुछ दिन के लिए और फिर 11 फरवरी से 14 फरवरी तक और 17 और 18 फरवरी , 1975 को बन्द कर दिया गया था । 3 विद्यार्थियों को 14 फरवरी 1975 को निलम्बित कर दिया गया था और प्रिंसिपल द्वारा कालेज में उनका प्रवश अगले आदेशों तक रोक दिया गया था । इस बात की आशंका के कारण कि कालेज के पुन: खुलने पर हिंसा की और वारदातें हो सकती हैं, कालिज द्वारा 19 फरवरी, 1975 के बाद में पुलिस संरक्षण की मांग की गई थी जिसे स्वीकार कर लिया गया ।

राष्ट्रीय डेरी विकास निगम के अधिक दुग्ध केन्द्रों के बारे में असंतोष

2811. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास निगम द्वारा दूध की सप्लाई के लिय अधिक केन्द्र खोले जाने पर दिल्ली दुग्ध योजना असन्तोष व्यक्त कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

World Hindi Convention

†2812. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the resolution passed at the World Hindi Convention organised in India recently;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) whether Government are also aware that some Hindi loving participants of foreign countries have expressed views in this convention that unless Hindi is given a place of honour in its own country, it will serve no purpose to accord recognition in the foreign countries; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a),(b),(c)&(d) : A proposal asking for the acceptance of Hindi as one of the official languages of the U.N. was adopted by acclamation by the Convention. Government considers this as a welcome development. The Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha, which organised the Convention, has not brought to the notice of the Government, the views stated to have been expressed by participants from foreign countries. However, Hindi is already the official language of the Union of India and the Central Government continues to take special steps for its spread and development as the link language of the country, in view of its special responsibility under Article 351 of the Constitution.

Starvation Conditions in Masturi Development Block in Madhya Pradesh

2813. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in an Indore daily dated the 6th October, 1974 to the effect that a couple died of starvation in Mulatar village in Masturi Development Block of Bilaspur in Madhya Pradesh;

(b) whether six Panchs of the village have stated that the condition of hundreds of people there is precarious; and

(c) if so, the action taken in this regard and the measures proposed to be taken to deal with the starvation conditions?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a), (b) & (c) : the information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

शिक्षा डिग्रियों की समानता के बारे में बुलगारिया के साथ समझौता

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री अनादि चरण दास
श्री श्रीकिशन मोदी
श्री पी० गंगा देव
श्री डी० डी० देसाई

: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बुल्गारिया ने शिक्षा डिग्रियों की समानता के बारे में 15 जनवरा को किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) । (क) शैक्षणिक डिग्रियों की समकक्षता के बारे में भारत और बुल्गारिया के बीच 15 जनवरी, 1975 को एक संलेख (प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

संलेख (प्रोटोकोल) क अनुसार, भारत सरकार तथा बुल्गारिया जनवादी गणतंत्र न दोनों देशों में निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताओं की अध्ययन, प्रशिक्षण, अथवा अध्यापन क प्रयोजन हेतु, अथवा शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्थाओं एवं अनुसंधान तथा अन्य प्रतिष्ठानों में किसी भी रोजगार के प्रयोजन हेतु पारस्परिक आधार पर मान्यता देने की सहमति प्रदान की है ।

बुलगारिया जनवादी गणतंत्र	भारत गणतंत्र
(क) माध्यमिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाणपत्र	
(1) बुल्गारिया में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने का प्रमाणपत्र	भारत में उच्चतर माध्यमिक पूर्व विश्व-विद्यालय प्रमाणपत्र ।

(ख) मानविकी, प्राकृतिक/सामाजिक विज्ञान की डिग्रियां

(1) बुल्गारिया में विश्वविद्यालयों/ उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उच्चतर शिक्षा पूरी करनें पर दिया गया डिप्लोमा।	भारत में विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उसी विषय में प्रदान की गई मास्टर्स डिग्री ।
(2) बुल्गारिया में विश्वविद्यालयों/ उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक डिग्री "विज्ञान का उम्मीदवार"	भारत में विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उसी विषय में प्रदान की गई पी० एच० डी० की डिग्री।
(3) बुल्गारिया में विश्वविद्यालयों/ उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक डिग्री "डाक्टर ऑफ साईंस"	भारत में विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई उसी विषय में "डाक्टर आफ साईंस"

(ग) इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी/कृषि/पशुचिकित्सा विज्ञान/कृषि इंजीनियरी की डिग्रियां

(1) बुल्गारिया में विश्वविद्यालयों/ उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक डिग्री "विज्ञान का उम्मीदवार"	भारत में विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अध्ययन के उसी क्षेत्र में प्रदान की गई "पी० एच० डी० की डिग्री"
(2) बुल्गारिया में विश्वविद्यालय/ उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक डिग्री "डाक्टर ऑफ साईंस"	भारत में विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अध्ययन के उसी क्षेत्र में प्रदान की गई "डाक्टर ऑफ साईंस" की डिग्री ।

चम्बल नहर से सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई

2815. **श्री हुकुम चन्द कछवाय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के काश्तकारों को सिंचाई के लिये चम्बल नहर से समय पर तथा पर्याप्ति मात्रा में पानी नहीं मिल पाता ; और

(ख) यदि हां, तो उन की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) चम्बल नहर से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिंचाई के लिए पर्याप्त और समय पर जल की सप्लाई न मिलने के संबंध में भारत सरकार को अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान लिवर द्वारा वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि

2816. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1975 के दूसरे सप्ताह में मूल्य नियंत्रण हटाने की सरकारी घोषणा के तुरन्त पश्चात् देश में वनस्पति के प्रमुख उत्पादनकर्ता मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर ने अपने वनस्पति उत्पादों के मूल्य में भारी वृद्धि की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

(ग) गत दो वर्षों में वनस्पति उत्पादों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि करने की अनुमति दी गई ;

(घ) प्रत्येक बार कितनी-कितनी वृद्धि हुई और इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण थे ;

(ङ) हाल की मूल्य वृद्धि के पक्ष में उक्त कम्पनी के क्या तर्क हैं ; और

(च) क्या सरकार कम्पनी के तर्कों से सहमत है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 5 जनवरी 1975 को सांविधिक नियंत्रण हटाने के बाद हिन्दुस्तान लीवर लि० ने अपने वनस्पति के मूल्यों को लगभग एक सप्ताह तक अपरिवर्तित रूप में बनाए रखा। उसके बाद, 19 जनवरी, 1975 को औसतन 64 पैसे प्रति किलो (जोनल विभिन्नताओं के साथ) की वद्धि की गई और 24 फरवरी, 1975 को औसतन 35 पैसे प्रति किलो के हिसाब से कमी की गई। कई अन्य फैक्ट्रियां भी न्यूनाधिक इसी आधार पर वृद्धि और कमी कर रही हैं।

(ग) पांच बार मूल्यों में वृद्धि की गई और दो बार कमी की गई।

(घ) जितनी वृद्धि/कमी की अनुमति दी गई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

पैसे प्रति किलो

	उत्तरी जोन	दक्षिणी जोन	पूर्वी जोन	पश्चिमी जोन
2-1-1973	(+) 40	(+) 40	(+) 40	(+) 40
1-6-73	(+) 75	(+) 75	(+) 75	(+) 75
16-7-73	(+) 75	(+) 75	(+) 75	(+) 75
16-11-73	(–) 20	(–) 20	(–) 20	(–) 20
1-12-73	(–) 20	(–) 20	(–) 20	(–) 20

				पश्चिमी जोन (गुजरात के अलावा)	पश्चिमी जोन (गुजरात)
1-2-74	(+) 55	(+) 60	(+) 56	(+) 60	(+) 54
15-6-74	(+) 185	(+) 195	(+) 220	(+) 195	(+) 180

उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए गए तेलों और केवल उसी हद तक जिस हद तक आयातित तेलों के इस्तमाल के स्तर में समायोजन करने के माध्यम से जून, 1975 में जिसका इस्तमाल अन्ततः बंद कर दिया गया था, के मूल्यों में उतार/चढ़ाव के कारण ही प्रमुखतः मूल्यों में वृद्धि/कमी करना आवश्यक हो गया था।

(ङ) फर्म ने बताया है कि उन्हें 13 जनवरी, 1975 को मूल्यों में इसलिए वृद्धि करनी पड़ी थी क्योंकि टैरिफ आयोग द्वारा उद्योग के मल्य ढांचे की पिछली जांच करने से (1) पैकिंग लागत (2) कैमिकल्स की लागत; और बिजली, कोयले और भट्टी के तेल की लागत में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी ।

(च) विनियंत्रण के कुछ समय पूर्व वनस्पति उद्योग अधिसूचित मूल्यों की अपर्याप्तता के विरुद्ध शिकायत करता रहा है और कुछेक फैक्ट्रियों ने तो इन मूल्यों को न्यायालय में भी चुनौती दी थी। इस दृष्टि से, विनियंत्रण क बाद मूल्यों में कुछ वृद्धि होने की सम्भावना थी।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को अनुमानित लागत

2817. **श्री के० एल० राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन की लागत 50 करोड़ रुपयों से अधिक है तथा जो निर्माणाधीन हैं तथा जिन को पूर्ण क्षमता के विकास के लिए शीघ्रता से आगामी तीन वर्षों में क्रियान्वित किया जा सकता है ;

(ख) उक्त परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता क्या है और अब तक कितनी क्षमता प्राप्त कर ली गई है ; और

(ग) कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा कितनी खर्च की जानी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन ऐसी वृहत सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे जिनकी पूर्ण शक्यता अगले तीन वर्षों के दौरान विकसित की जा सकती है ।

करोड़ रुपये/हजार हैक्टेयर

क्रमांक	परियोजना का नाम	अंतिम अनुमानित लागत	चतुर्थ योजना के अंत तक व्यय	शेष लागत	अंतिम सिंचाई शक्यता	चतुर्थ योजना के अंत तक शक्यता	शेष विकसित की जाने वाली शक्यता
1.	उकई	120.00	93.25	26.75	158.00	24.00	134.00
2.	धटापभा चरणन्दो	61.33	38.87	22.46	47.00	22.00	25.00
3.	रामगंगा	98.79	92.61	6.18	575.00	170.00	405.00
4.	कंगसावती	60.00	45.21	14.79	402.00	190.00	212.00

खाद्यान्नों से भरे रेल माल डिब्बों से खाद्यान्न उतारा जाना

2818. **श्री श्रीकिशन मोदी**
श्री पी० गंगादेव : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने हाल में अनिश्चित काल के लि हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्यान्नों से भरे 3500 रेल माल डिब्बे रेलवे स्टेशनों पर खाद्यान्न उतारे जाने के लिए खड़े हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली के खाद्य भण्डारण डिपों के विभागीय कर्मचारी 27 जनवरी 1975 से गैर कानूनी हड़ताल पर हैं ।

(ख) जी नहीं । खाद्यान्न ले जा रही वैगनों का इस समय कोई असामान्य जमाव नहीं है ।

बारपेटा, आसाम में भुखमरी

2819. **श्री नुरुल हुडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बारपेटा सबडिवीजन, का मरुप जिला, आसाम के बागबोर-मण्डिया क्षेत्रों में एक हजार व्यक्तियों की भूख के कारण मृत्यु हुई है और निकट भविष्य में और अधिक लोगों के मरने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों को खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तयें तुरन्त भेजने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दी के प्रचार के लिए उड़ीसा को अनुदान

2820. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के प्रचार के लिए उड़िसा को 1973-74, 1974-75 और 1975-76 में कितनी कितनी राशि का अनुदान दिया गया ; और

(ख) इन अनुदानों से क्या क्या कार्य किया गया तथा ये अनुदान किन्हें दिये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

हिन्दी के प्रसार के लिए उड़ीसा को दिए गए अनुदान

क्र० सं०	योजना जिसके अन्तर्गत अनुदान दिया गया	वर्ष	अनुदान की राशि	अनुदान किसको दिया गया	किया गया कार्य
1	2	3	4	5	6
			रु०		
1.	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति	1973–74	21,00,000·00	उड़ीसा सरकार	वर्ष 1966–67 से चौथी योजना के समाप्त होने तक नियुक्त किए गए हिन्दी शिक्षकों का वार्षिक अनुरक्षण खर्च
		1974–75	12,00,000·00	–वही–	नए शिक्षकों की नियुक्ति
2.	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना	1973–74	1,50,000·00	–वही–	उड़ीसा में कार्य कर रहे दो प्रशिक्षण कालेजों का वार्षिक अनुरक्षण खर्च
		1974–75	—		अनुदान के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है
3.	छात्रवृत्तियां	1973–74	42,775·00	छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले छात्र	उत्तर मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का अध्ययन
		1974–75	55,400·00 (फरवरी,75 तक)	वही	

1	2	3	4	5	6
4.	स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों की सहायता	1973–74	34,425·00	उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा सभा कटक और उड़ीसा	हिन्दी शिक्षण केन्द्रीय हिन्दी टाइपराइटिंग की कक्षाओं को चलाने तथा हिन्दी शिक्षकों/प्रचारकों के वास्ते पुनश्चर्या
		1974–75	34,425·00	राष्ट्रभाषा परिषद् जगन्नाथ धाम, पुरी।	पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए।

वर्ष 1975–76 के लिए अनुदान आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान दिए जायेंगे ।

महाराष्ट्र में भुखमरी

2821. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में हाल में भण्डारा और चन्द्रपुर जिलों में भूख से पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ;

(ख) क्या इन्हीं जिलों में हजारों लोग भूख से मरने वाले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें भुखमरी से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र के भंडारा और चन्द्रपुर जिलों में भुखमरी से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल द्वारा मांगी गई तथा उसे सप्लाई की गई राशन की वस्तुएं

2822. **श्री रानेन सेन**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में राशन व्यवस्था की बहुत बिगड़ी हुई स्थिति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य को राशन की वस्तुएं सप्लाई करने में कठोर रवैया अपना रही है ; और

(ग) यदि हां, तो गत छः महीनों में राज्य सरकार द्वारा मांगी गई तथा उसे प्राप्त हुई राशन की वस्तुओं की मात्रा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, अन्य कमी वाले राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, मंडी में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकारी वितरण प्रणाली की उचित मांगों को पूरा करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को प्रति माह यथासम्भव अधिक से अधिक खाद्यान्न सप्लाई किया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हालांकि भारतीय खाद्य निगम के विभागीय मजदूरों की हड़ताल के कारण वृहत्तर कलकत्ता में राशनिंग प्रणाली पर काफी भार पड़ा है फिर भी स्थिति में अब सुधार हो गया है क्योंकि सभी दुकानों को राशन वाली वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई की गई है। पिछले छः महीनों (सितम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक) के दौरान, पश्चिमी बंगाल सरकार ने 2.4 लाख मी० टन चावल और 7.4 लाख मी० टन गेहूं की मांग की थी जिसके प्रति उनको 1.25 लाख मी० टन चावल और 6.5 लाख मी० टन गेहूं (फरवरी के सप्लाई आंकड़े अस्थायी हैं) की सप्लाई की गई थी।

सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार

2823. **श्री अण्णासाहेब गोटखिण्डे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री पांचवीं योजना में सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम के परिव्यय के बारे में 22 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7683 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस तिथि को 54 जिलों को सदा सूखाग्रस्त रहने वाला क्षेत्र माना गया था ;

(ख) अन्य 18 जिलों में पड़ौसी क्षेत्रों को किस-किस तिथि को, जिलावार और क्षेत्रवार, सदा सूखाग्रस्त रहने वाला क्षेत्र माना गया ;

(ग) क्या इस बात की बहुत दिनों से मांग की जा रही है कि महाराष्ट्र में इसी प्रकार के अतिरिक्त क्षेत्रों में उक्त कार्यक्रम लागू किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 56 जिलों (54 यूनिटों) का चयन अप्रैल, 1970 से अक्तूबर, 1970 तक की अवधि में किया गया था।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में दो, हरियाणा में दो, मध्य प्रदेश में दो और राजस्थान में तीन, जिनका चयन मई, 1972 में किया गया था, छोड़कर अधिकांश पड़ौसी इलाकों का चयन मुख्य जिलों के साथ ही अप्रैल, 1970 से अक्तूबर, 1970 तक की अवधि में किया गया था।

(ग) व (घ) जी हां,। राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत और इलाके लाने का प्रस्ताव किया था, किन्तु संसाधनों की कमी के कारण उसे स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है।

आदिवासियों द्वारा गैर-आदिवासियों को भूमि की बिक्री पर प्रतिबन्ध

2824. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासियों द्वारा गैर-आदिवासियों को भूमि बेचने और उसके अन्तरण पर प्रतिबन्ध लगाने और इसे अखिल भारतीय आधार पर लागू करने के लिये विधान लाने का है ;

(ख) क्या भूमि की बिक्री और अन्तरण से सम्बन्धित बेनामी सौदों की जांच करने, जिससे आदिवासी अपनी जीविका के एकमात्र साधन से वंचित हो जाते हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने का भी विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) तक देश के विभिन्न भागों में घोषित किए गए आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकार में भूमि गैर-आदिवासियों को बेचने और अन्य प्रकार से अन्तरण करने के विरुद्ध पहले से कानूनी प्रतिबन्ध मौजूद हैं। इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र की भी व्यवस्था की गई है। आदिवासियों से भूमि के अवैध हस्तान्तरण के मामलों की राज्य सरकारें समय-समय पर जांच कराने और ऐसी भूमि आदिवासियों को बहाल करने के लिए कदम उठाती हैं।

बेकरी उद्योग का विकास

2825. **श्री धामनकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बेकरी उद्योग के विकास के लिए, जिसमें रोजगार उपलब्ध कराने की अत्यधिक क्षमता है, कोई भावी योजनायें बनाई गई हैं ;

(ख) क्या उक्त उद्योग की बेकिंग, पोषण, आदि के लिए गेहूं, विभिन्न प्रकार की कच्ची देशी वस्तुओं के अधिक वैज्ञानिक उपयोग से संबंधित तकनीकी समस्याओं का समाधान करने में उद्योग की सहायता करने के लिए बेकरी अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) वर्तमान स्थिति की तुलना में पांचवीं योजना के अन्त में डबल रोटी की कितनी मांग होने का अनुमान है और क्या यह मांग पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) बेकरी उद्योग अनुसूचित नहीं है और इसलिए, उद्योग के लिए उत्पादन के कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) देश में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आदि जैसे वर्तमान संस्थानों में बेकरी टैक्नोलोजी के क्षेत्र में पहले ही अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। मार्डन बेकरीज (इंडिया) लि० जोकि एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है, जिन्होंने डबलरोटी तैयार करने के यूनिट स्थापित किए हैं, अपनी कम्पनी के अधीन एक अनुसंधान और विकास विंग स्थापित करने का विचार रखता है।

(ग) देश में डबलरोटी की मांग के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। संगठित क्षेत्र में डबलरोटी का अनुमानित उत्पादन लगभग 80,000 मी० टन प्रतिवर्ष है। आशा है कि पांचवीं योजना के अन्त तक डबलरोटी का अनुमानित उत्पादन लगभग 4 लाख मी० टन प्रतिवर्ष हो जायगा।

केरल में सिंचाई सुविधाओं का विकास

2826. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए आगामी वर्ष 1975-76 के लिए कौन सी योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) उनकी लागत कितनी है और केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने उनका अनुमोदन कर दिया है, यदि हां, तो उनमें कोई परिवर्तन किये गये हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) केरल सरकार ने, 1975-76 के लिए अपने प्रस्तावों में 24,000 हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता का निर्माण करने के लिए 9.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है। बहरहाल, योजना आयोग के कार्यकारी दल ने 13.80 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है।

सिंचाई राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों को अपने समस्त विकासात्मक योजनाओं के चौखटे में करनी होती है। राज्य योजनाओं में केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों की शक्ल में दी जाती है और यह किसी खास परियोजना अथवा विकास-शीर्ष से जुड़ी नहीं होती।

बहरहाल, केरल को 1975-76 के लिए वार्षिक योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पश्चिम बंगाल के नदी पत्तन रायचौक का विकास

2827. **श्री कुमार माझी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के नदी पत्तन, रायचौक का विकास करने की कोई योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने नवम्बर 1973 में रायचौक में गहन समुद्र मात्स्यकी बन्दरगाह का निर्माण करने के लिए 241.50 लाख पये की धन राशि मंजूर की है। इसके अतिरिक्त रायचौक मात्स्यकी बन्दरगाह पर बर्फ के कारखाने,

शीतागार हिमीकरण संयंत्र तथा मत्स्यचूर्ण संयंत्र की लागत पूरी करने के लिए 20.85 लाख रुपये की राशि विशेष रूप से मंजूर की गई थी।

(ख) इस परियोजना में जेटी, जलावतरण-मंच, लंगर-स्थल, पहुंचने के लिए सड़क, हिम संयंत्र का निर्माण करने का विचार है। इससे इस बन्दगाह से 15 जलपोत चलाए जा सकेंगे।

Per capita availability of foodgrains and quantity needed by labourers

2828. **Shri Atal Bihari Vajpayee**
Shri Jagannathrao Joshi
Shri R. V. Bade
Shri Hamendra Singh Banera } : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the per capita minimum availability of foodgrains State-wise, during each of the last 3 years; and

(b) the average quantity of foodgrains needed by the poorl abourers engaged in hard manual labour and the arrangement made to make the foodgrains available to them easily ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The per capita availability of foodgrains for human consumption during 1972 and 1973 was 171·1 kg. and 155·0 kg. per year respectively. In the absence of complete data on imports and changes in stocks, it is not possible to indicate firm figures of per capita availablility for 1974. However, considering the increase in production of foodgrains in 1973-74, it is hoped that the per capita availability in 1974 would be higher than in 1973.

(b) According to the recommendation of the Nutrition Expert Group the balanced daily diet for labourers engaged in hard manual labour is 730 gms. of foodgrains, including pulses, for an adult man and 545 grams for an adult woman.

The distribution of foodgrains within the State is the responsibility of the State Government. Keeping in view the overall availability of foodgrains in the Central pool, relative needs of the States, market availability and other elevant factors, maximum possible allotments of foodgrains are being made to the States for meeting the reasonable requirements of the public distribution. It is left to the State Governments to distribute the foodgrains allotted by the Central Government and the quantities locally procured in the most equitable manner keeping the local conditions and requirements in view.

Population without houses

2829. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the percentage of the population of the country that has no houses to live in; and

(b) the percentage of the population that lives in rented houses ?

The Deputy Minister of Works and Housing (Shri Dalbir Singh) : (a) According to the provisional data of 1971 Census, the percentage of houseless population in the country was estimated to be 0·36%. This does not include the households who are sharing accommodation with others.

(b) According to the data collected at the time of house-listing operations of the Population Census of 1971, the percentage of population living in rented houses was estimated at 15·4%.

गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के गेज रीडरों के वेतन-मान

2830. **श्री रेणुपद दास :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के अधीन गेज रीडरों को वही वेतन मान न दिये जाने के क्या कारण हैं जो फरक्का बांध परियोजना के अधीन गेज रीडरों को दिये जाते हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के अधीन गेज रीडर के पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम आठवीं श्रेणी पास होना अनिवार्य है। इसकी ड्यूटी भी वही है जो कि इस संगठन के श्रेणी-चार वर्क चार्ज स्टाफ के ऐसे ही वर्ग के लिए हैं। इसलिये यह वेतनमान इस संगठन में गेज-रीडर के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं तथा ड्यूटी के अनुरूप है।

मैक्सिको के सहयोग से मछली पकड़ने वाली नौकाओं का निर्माण

2831. **श्री कुमार मांझी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैक्सिको के सहयोग से मछली पकड़ने वाली नौकाएं बनाने की कोई योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मोटी रूप-रेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) 50 मत्स्य नौकाओं के आयात की योजना के अन्तर्गत 20 मत्स्य-नौकाओं को आयात करने के लिये चुने गये देशों में से मैक्सिको भी एक देश है। चुनी गई भारतीय पार्टियों ने आयात के आवंटन के अनुसार मत्स्य-नौकाओं की सप्लाई करने के लिए चुने गये मैक्सिकन शिपयार्ड (मेसर्स आस्टीलेरस आइमे सा, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको) के साथ करारों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश के शिपयार्ड में इसी प्रकार की मत्स्य-नौकाओं का निर्माण करने के लिये मत्स्य नौकाओं की किस्मों के डिजायन और शाप फ्लोर ड्राइंग की मुफ्त सप्लाई करने के लिये भी मैक्सिकन शिपयार्ड से एक करार किया है। इस करार में मैक्सिकन शिपयार्ड द्वारा आवश्यकतानुसार अपने एक या अधिक विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करके देश में मत्स्य-नौकाओं के निर्माण में मार्गदर्शन एवं जानकारी देने की भी व्यवस्था है। इन विशेषज्ञों पर होने वाला व्यय भारतीय शिपयार्डों द्वारा वहन किया जा रहा है। इस करार में यह भी व्यवस्था है कि शिपयार्ड डिजायन तथा शाप फ्लोर ड्राइंग तैयार करने एवं मीन-ग्रहण मत्स्य नौकाओं के निर्माण करने में मैक्सिकन शिपयार्ड में सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देगा। ऐसे कार्मिक अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

विश्व बैंक से सहायता

2832. **श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक राज्य में बड़े पैमाने पर मत्स्य उद्योग स्थापित करने के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है और;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) मात्स्यकी के विकास (कर्नाटक सहित) के लिये विश्व बैंक दल से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है। सर्वेक्षण करने वाले एक दल ने कुछ समय पूर्व भारत का दौरा किया था। दल अनेक राज्यों में गया। उसने कर्नाटक का दौरा करते समय गालपे व मंगलौर का भी भ्रमण किया। दल को इस बात से अवगत किया गया था कि बन्दरगाह के निर्माण तथा समेकित ढंग से मात्स्यकी का विकास करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी आदेशों पर न्यायालयों में मामले

2833. **श्री समरगुह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के सम्बन्ध विभागों द्वारा जारी किये गये भूमि अधिग्रहण आदेशों के विरुद्ध न्यायालयों से सहायता लेने के लोगों के प्रयास से पुलों का निर्माण, रेल लाइन बिछाने के कार्य, सड़क तथा सिंचाई नहरें बनाने क विकास कार्य रुक जाते हैं और उन में असाधारण विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो न्यायालयों में अनिर्णीत ऐसे मामलों के तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या न्यायालय में ऐसी शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का विचार आवश्यक कानूनी उपाय करने अथवा नये कानून बनाने का है ;

(घ) क्या भूमि अधिग्रहण के मामलों में न्यायालयों द्वारा निर्णय दिये जाने में विलम्ब के कारण विकास कार्यों में, वर्षों तक असाधारण विलम्ब होता है और ऐसे कार्यों के लिय राज्यों को कन्द्र के नियतन में बहुत सी कानूनी तथा प्रतिक्रियात्मक बाधायें सामने आ जाती हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कानूनी बाधायें दूर करने के लिये सभी उपायों की जांच करने हेतु एक समिति गठित करन का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) यह सर्वविदित है कि न्यायालयों द्वारा देर से निर्णय होन क कारण पुलों, रेलव लाइनों, सड़कों, सिंचाई की नहरों, आदि विकास के कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में देरी होती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत देश भर में जहां असंतुष्ट पार्टियां अदालती हस्तक्षेप चाहती हैं, कार्यवाही की जाती है इस सम्बन्ध में संख्या का उल्लेख करना असंभव नहीं है, क्योंकि ऐसी कार्यवाही अनेक प्रशासनिक एककों तथा न्यायालयों में होती है।

(ग), (घ) तथा (ङ) श्री ए० एन० मुल्ला की अध्यक्षता में गठित भूमि अधिग्रहण पुनरीक्षण समिति ने भमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही के समस्त पहलुओं पर विचार किया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में व्यापक संशोधन करने की दृष्टि से समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है। यद्यपि, अधिग्रहण की कार्यवाही में देरी होने के प्रश्न को ध्यान में रखा जायगा इस बात को भी ध्याग में रखा जायगा कि इनसे व्यक्ति विशषों के अधिकार जुड़े हैं, अतः भूमि अधिग्रहण करने से पहले असन्तुष्ट पार्टियों को कार्यवाही करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

Irrigation Schemes lying incomplete

†2834. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the irrigation schemes undertaken during the 1st, 2nd, 3rd and 4th plan which are still lying incomplete ; and

(b) the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh) : (a) The major and medium irrigation schemes undertaken during various plans upto the end of the Fourth plan are as under :—

Plan period	Major Schemes	Medium Schemes
1st Plan	21	210
2nd Plan	26	113
3rd Plan	22	80
Annual Plans 1966—69 ..	12	51
4th Plan	16	59
Total ..	97	513

Upto the end of 4th Plan, 22 major and 358 medium schemes were completed leaving a balance of 75 major and 155 medium schemes which spilled over into the Fifth Plan.

(b) It is proposed to give priority to the continuing schemes and allocate adequate funds for them. It is expected that all the continuing medium schemes and 64 out of 75 major continuing schemes would be completed during the Fifth Plan.

Oilseeds development under Chambal Command Project in M. P.

2835. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 324 on the 12th August, 1974 regarding scheme for oilseeds development in Command Project of Madhya Pradesh and state :

(a) the action taken on the scheme ; and

(b) if so, at what stage the matter stands ?

The Deputy Minister in the Miny. of Agri. & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) & (b) The approval of the Government of India to the continuance of Centrally Sponsored Scheme for Oilseeds Development in Madhya Pradesh during 1974-75 was communicated to the Government of Madhya Pradesh on 18-9-1974. This approval included implementation of the Scheme in Bhind and Morena districts which fall within the Chambal Command area

प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियां

2837. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में राज्यवार, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रही पृथक-पृथक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या सुविधाएं दे रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) यद्यपि अलग से कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया है फिर भी वर्ष 1968–69 की जो सांख्यिकीय सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त हुई है वह अनुबन्ध में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2837/75)

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् इस समय एक अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों की 31–12–73 को दाखिल की स्थिति के बारे में सूचना भी शामिल होगी।

(ग) शिक्षा एक राज्य विषय है। अत: अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए शिक्षा की विशेष सुविधायें राज्यों की योजनाओं में शामिल हैं। पांचवी पंच वर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत समाज के उपेक्षित वर्गों के बच्चों तथा विशेषकर लड़कियों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा, जैसे प्राथमिक स्कूलों में पुस्तकें तथा वर्दियों का निशुल्क दिया जाना अनुसुचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए

अलग आवासीय आश्रम स्कूल भी हैं। पांचवी योजना में ऐसे और भी स्कूल खोले जाने की आशा है। अन्य योजनाएं, जो प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले की संख्या बड़ाने में सहायक होंगी वे निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम एक महिला अध्यापक का होना :

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों के लिए मकानों की व्यवस्था ;

(3) महिला अध्यापकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की योजनाएं ;

(4) महिला अध्यापकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित अध्यापकों के लिए आयु तथा शैक्षणिक योग्यताओं में विशेष रियायतें ;

(5) युवा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था जिससे वे मिडिल तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षा पूरी कर सकें तथा यथा-समय अध्यापक व्यवसाय को अपना सकें ;

(6) प्राथिमिक स्कूलों से बालबाड़ी अथवा शिशुसदन सम्बद्ध करना ताकि बड़ी आयु की लड़कियां अपने छोटे-भाई-बहिनों की देखभाल के लिए घर पर रहने की जरुरत के बिना, स्कूलों में जा सकें।

गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

2838. **श्री आर० पी० दास :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन में कर्मचारियों को प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियमों के अनुरूप किया जाता है ; और

(ख) अब तक हैड क्लर्क के पद के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को नियुक्ति/पदोन्नति की गयी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हैड क्लर्क क पद को उच्च श्रेणी क्लर्कों को तरक्की देकर ही भरा जाता है।

नियमों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उच्च श्रेणी क्लर्क को हैड क्लर्क के ग्रेड में तरक्की नहीं की जा सकी क्योंकि कोई भी ऐसा अधिकारी उस समय पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था जबकि हैड क्लर्क का आखिरी पद भरा गया था।

गंगा बेसिन संशोधन संगठन के कार्य-प्रभारित कर्मचारी

2839. **श्री आर० पी० दास :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में कोई सेवा नियम लागू होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवा-शर्तों पर निम्नलिखित नियम लागू होते हैं :

1. वित्त मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित का० ज्ञा० सं० 11/21–ई तीन/62 दिनांक 29–12–62 के अनुसार वेतन निर्धारण ।
2. वित्त मंत्रालय के, समय-समय पर यथा संशोधित का० ज्ञा० सं० 3(2)–ई चार/61 दिनांक 11–5–71 के अनुसार कार्यग्रहण समय/कार्य ग्रहण समय वेतन देना ।
3. वित्त मंत्रालय के, समय-समय पर यथा संशोधित का० ज्ञा० सं० 5(44)/ई–चार (बी)/ : 60 दिनांक 6–8–60 के अनुसार यात्रा-भत्ता ।
4. वित्त मंत्रालय के, समय-समय पर यथा संशोधित का० ज्ञा० एफ० 7(76)–ई–चार(ए)/60, दिनांक 14–7–60 और सं० एफ० 13(2)–ई–चार–(ए)/67, दिनांक 31–3–67 के अनूसार अस्पताल छुट्टी ।
5. वित्त मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित का० ज्ञा० 5 (109)/ई–चार/57 दिनांक 11–7–1960 और एफ० 16 (ए)/(19)–ई–बी–(ए)/60, दिनांक 30–11–60 के अनुसार कार्य निवृत्त होने पर यात्रा-भत्ता तथा उसकी पेशगी ।
6. भूतपूर्व निर्माण-कार्य, खान तथा विद्युत मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित का० ज्ञा० सं० ई० 16(1), दिनांक 17–8–1946 के अनुसार साईकिल खरीदने के लिए पेशगी ।
7. छुट्टी-वेतन पेशगी
8. छुट्टी-यात्रा रियायत पेशगी
9. त्यौहार पेशगी
10. टी० ऐ० और टी० टी० ए० पेशगी
11. पंखा खरीदने के लिए पेशगी

} सामान्य वित्त नियमावली 1963 के संबंधित नियमों के अनुसार

ग्रेच्युटी देने, मृत्यु-एवं सेवा निवृत्ति लाभ, विभिन्न प्रकार के भत्ते, छुट्टी अंशदायी भविष्य निधि, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा सुविधाओं आदि के संबंध में इन कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

गंगा बेसिन जल संसाधन के एक कार्यकारी अभियन्ता के विरुद्ध एक मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना

2840. **श्री आर० पी० दास :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सम्पत्ति का दुरुपयोग किये जाने के आरोप में गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के एक कार्यकारी अभियंता के विरुद्ध कोई मामला केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन के आधार पर अपराधी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कदार नाथ सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जल संसाधन सर्वेक्षण डिवीजन संख्या 6 का स्थानान्तरण

2841. **श्री आर० पी० दास :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के अधीन जल संसाधन सर्वेक्षण डिवीजन-संख्या-6 को निकट भविष्य में बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) से अन्यत्र कहीं ले जाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थान कौन सा है तथा उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु राहत के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को राज सहायता

2842. **श्री वेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पशु राहत उपायों के लिए गुजरात राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वयंसेवी एजेंसियों को कोई राज सहायता दी गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों को प्रतिदिन प्रति-पशु कितनी राशि दी गयी तथा प्रत्येक एजेंसी को कुल (अधिकतम) कितनी राशि दी गयी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

आवास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

2843. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार उन आवास योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष के ौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गयी है ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी साहयता दी गयी है ; और

(ग) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए इस प्रकार की कोई और योजनायें परिचलित की गयी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता-प्राप्त आवास योजना ही केन्द्रीय क्षेत्र की एक आवास योजना है जिसके अधीन निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों को चालू वित्तीय वर्ष (1974–75) में दी गई केन्द्रीय सहायता का एक विवरण-पत्र संलग्न है। इस मंत्रालय की सभी अन्य सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में होने के कारण सभी राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, जिनमें सामाजिक आवास योजनाएं भी शामिल हैं, एक मुश्त समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी योजना, परियोजना विशेष अथवा विकास-शीर्ष से संबद्ध नहीं होती है। राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए उनके द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार नियतन करने तथा उपयोग करने में स्वतंत्र हैं।

(ग) इस समय कोई भी नई आवास योजना निर्माण और आवास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अधीन राज्य सरकारों को 1974–75 में दी गई निधियों का विवरण।

क्रम संख्या	राज्य	दी गई राशि (लाख रुपयों में)		
		ऋण	सहायता	कुल
1.	असम	20.00	15.00	35.00
2	पश्चिम बंगाल	15.00	10.50	25.50
3	कर्नाटक	10.00	8.00	18.00
4	तमिल नाडु	1.00	0.50	1.50
		46.00	34.00	80.00

राज्यों में 12 वर्षीय स्कूल पद्धति

2844. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के बारे में 24 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 904 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा की नई पद्धति को कार्यरूप देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों ने यह कहा है कि शिक्षा की नई पद्धति के कार्यान्वियन क लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। तथापि, भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत, विशेष रुप से, नई पद्धति अपनाने के लिए सहायता दी जा सके। केन्द्रीय सहायता राज्यों की पंचवर्षीय योजना के एक मुश्त अनुदान में समिलित है। तथापि, क्योंकि शिक्षा की 10+2+3 पद्धति में शामिल मुख्य परिवर्तनों में से उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम का व्यवसायीकरण एक है, इसलिए पांचवीं योजना के प्रारुप में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय योजना शामिल की गई है।

सहायता प्राप्त करने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शर्तों का पूरा किया जाना

2845. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री अनुदानों और सहायता के लिए मिथिला विश्वविद्यालय से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 2 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिथिला विश्वविद्यालय दवारा अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के बारे में बिहार सरकार से और कालिदास विद्यापति कालेज, बेनीपट्टी को विश्वविदयालय अनुदान आयोग अधि-नियम की धारा 2 (च) के अधीन लाने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने, मिथिला विश्विविद्यालय को, जो अब ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय, दरभंगा के नाम से विख्यात है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(क) के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने की पात्र संख्या के रुप में घोषित करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आपेक्षित सूचना अब भेज दी है। आयोग इस प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

जहां तक कालिदास विद्यापति कालेज, बेनीपट्टी का संबंध है मिथिला विश्वविद्यालय ने उक्त कालेज की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2 (च) में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

कृत्रिम तरीकों से पानी चढ़ाकर पश्चिम कोसी नहर का मार्ग निर्धारित करना

2846. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री 2 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2766 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में अर्जित भूमि पर 'मदाई' और 'धान' की खड़ी फसल की कटाई करने के उपरान्त खुदाई कार्य प्रगति पर है और यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1975 तक पूरा हो जाएगा; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) भारतीय प्रदेश में पंचायत-वार कुल कितने एकड़ क्षेत्रफल भूमि पहले ही अर्जित की गई है अथवा की जा रही है तथा क्या उसमें कोई कठिनाई आई है ; और

(ग) क्या पश्चिम कोसी नहर के प्रस्तावित मार्ग निर्धारण को कृत्रिम तरीकों से पानी चढ़ा कर और आगे उत्तर की ओर ले जाने का है ताकि यह जयनगर के निकट कमला नदी पर बने बाध के उत्तर की ओर जा सके ; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एन० सिंह) : (क) उन ठेकेदारों ने जिन्हें पहले नेपाल में 15 कि० मी० रीच (उपलब्ध किये गये भाग) तक नहर की खुदाई का काम सौंपा गया था, काम को अधूरा छोड़ दिया। अत : राज्य सरकार को नये टेंडर आमांत्रित करने पड़े। टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और उनकी संवीक्षा की जा रही है। उसके बाद खुदाई का कार्य नये ठेकेदारों को सौंपा जायेगा।

नेपाली सीमा में नहर का निर्माण कार्य जिसके लिए 1975 तक पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, अब विलम्ब से पूरा होगा।

(ख) भारत-नेपाल सीमा से 27 कि० मी० तक भारतीय सीमा में पश्चिमी कोसी नहर के लिए स्थायी रुप से अर्जित की जाने वाली भूमि लगभग 700 एकड़ है और अस्थाई रुप से अर्जित की जाने वाली भूमि लगभग 200 एकड़ है। भूमि अर्जत में कुछ कठिनाईयां हैं। परन्तु कतिपय भागों में विशेषरुप से लोकाही और खौताना क्षेत्र में शान्तिपूर्ण कब्जे के बाद काम शुरु हो गया है। भूमि अर्जन के पंचायत वार आंकड़ों के बारे में सूचना बिहार सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथासम्भव सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राज्य सरकार ने आँशिक रुप से प्रस्ताव पर विचार किया है और यह अभी तक आर्थिक रुप से व्यवहारिक नहीं समझा गया है। तथापि वर्तमान सीध के अग्रेतर उत्तर में क्षेत्र को सिंचित करने के प्रस्ताव की राज्य सरकार द्वारा अलग से जांच की जा रही है।

ईस्ट मोतिया बाग सराय रोहिल्ला दिल्ली-7 को विनियमित करने सम्बन्धी योजना

2847. **श्री पी० वेंकटा सुब्बैया : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को ईस्ट मोतिया बाग सराय रोहिल्ला, दिल्ली-7, को विनियमित करने सम्बन्धी योजना के बारे में आयुक्त, दिल्ली नगर निगम से दिनांक 9 जुलाई, 1971 का पत्र संख्या 1322/एस० एस० प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य सिफारिशें और बातें क्या हैं ; और

(ग) आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) : जी नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण को आयुक्त, दिल्ली नगर निगम से 9 जुलाई, 1971 का पत्र संख्या 1322/एस० एस० का ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, आयुक्त ने पत्र संख्या 1322/सी० तथा सी० नगर निगम के सचिव को भेजा था। उस पत्र में ईस्ट मोतिया बाग सराय रोहिल्ला

के नियमितीकरण के बारे में उन्होंने सुझाव दिये थे। स्थायी समिति ने, जिस ने मद पर विचार किया था, प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया, लेकिन 16 दिसम्बर, 1971 के अपने संकल्प सं० 725 द्वारा उसे आयुक्त को वापस भेज दिया। अत : आयुक्त, दिल्ली नगर निगम के उपर्युक्त पत्र में दिये गये प्रस्ताव के कार्यान्वियन का प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों के बढ़िया उत्पादन को देखते हुए भंडारण क्षमता में वृद्धि

2848. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़ी फसलों से बढ़िया उत्पादन की सम्भावनायें बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या उसके परिणामस्वरुप खाद्यान्नों की कीमतों में भी कमी हुई है : और

(ग) क्या उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए सरकार अपनी भंडारण क्षमता में वृद्धि करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 के दौरान उतरी राज्यों के कई क्षेत्रों में वर्षा होने से रवी की फसलों, विशेषतया गेहूं की फसल को लाभ पहुंचा है। मौजूदा संकेतों के अनुसार, यदि मौसम-स्थिति अनुकूल बनी रहती है, तो आशा है कि इस वर्ष अच्छी पैदावार हो सकती है।

(ख) खरीफ की फसल की जल्दी आमद शुरु होने से, अक्तूबर, 1974 के शुरु से ही खाद्यान्यों के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति आई। सितम्बर के अन्त और दिसम्बर, 1974 के बीच अनाज के थोक मूल्यों के सूचकांक में 9.4 प्रतिशत की गिरावट आई। तब से अनाजों के थोक मूल्यों के सूचकांक में मामूली वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में बहुत कम है।

(ग) इस वर्ष अधिक पैदावार की सम्भावनाओं के संदर्भ में भण्डारण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी एजेंसियों के पास इस समय पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। तथापि, दीर्घकालीन योजना के एक अंग के रुप में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का भी निर्माण किया जा रहा है।

अत्यावश्यक वस्तुओं की मांग और सप्लाई के अन्तर को कम करने के लिए खाद्य नीति में परिवर्तन

2849. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **कृषि** और **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अत्यावश्यक वस्तुओं की मांग और सप्लाई के अन्तर को कम से कम करने के लिए खाद्य नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्य नीति का मूल उद्देश्य उत्पादक को बराबर प्रोत्साहन मूल्य देना और उपभोक्ता को उपयुक्त मूल्यों पर खाद्यान्न सप्लाई करना रहा है। इस नीति की बराबर समीक्षा की जाती है।

संसद भवन और संसदीय सौंध को जोड़ने वाले भूमिगत मार्ग का निर्माण

2850. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद भवन और संसदीय सौंध को जोड़ने वाले भूमिगत मार्ग के निर्माण के बारे में क्या स्थिति है ?

निर्माण और अवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है ।

उड़ीसा में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम

2851. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात का पता चला है कि ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम पर उड़ीसा सरकार ने करोड़ों रुपये बरबाद कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । ग्राम रोजगार की त्वरित योजना 3 वर्षों अर्थात 1971–72, 72–73 और 73–74 की अवधि में उड़ीसा में सन्तोषजनक रूप से कार्यान्वित की गई थी । निधियों का आबंटन, दी गई धनराशि, किया गया व्यय और पैदा किया गया रोजगार नीचे दिया गया है :

(लाख रु० में)

वर्ष	निधियों का आबंटन	धनराशि दी गई	व्यय किया गया	रोजगार पैदा किया गया (लाख श्रम दिन)
1971–72	183.00	126.87	120.94	44.99
1972–73	183.00	177.66	174.33	62.05
1973–74	159.00	149.74	134.79	42.51

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं योजना में सिंचाई विस्तार का लक्ष्य

2852. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में सिंचाई विस्तार के लक्ष्य रखे गये हैं ;

(ख) लक्ष्य प्राप्ति हेतु बनाई गई परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं की क्रियान्विति को प्रभावी बनाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । बहरहाल, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 12.2 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का निर्माण करना परिकल्पित है । जिसमें से 6.2 मिलियन हैक्टेयर बृहत तथा मध्यम स्कीमों से तथा 6 मिलियन हैक्टेयर लघु सिंचाई स्कीमों से प्राप्त होगी । बृहत तथा मध्यम स्कीमों से मिलने वाली 6.2 मिलियन हैक्टेयर शक्यता में से 5.5 मिलियन हैक्टेयर जारी स्कीमों से तथा बाकी 0.7 मिलियन हैक्टेयर नई स्कीमों से मिलनी है ।

(ग) जारी स्कीमों के लिये पर्याप्त रकम देने का प्रस्ताव है ताकि जारी सभी मध्यम स्कीमों तथा बृहत स्कीमों में ऐसी अधिकतर स्कीमों को पूरा किया जा सके जो कि निर्माण की प्रौढ़ावस्था में हैं । उनकी प्रगति पर पूरी निगरानी रखने, बाधाओं का पता लगाने तथा उपचारी उपाय करने के उद्देश्य से एक अलग प्रबोधन (मोनिटरिंग) संगठन की स्थापना करके पुनरीक्षण प्रक्रिया को और कारगर करने का प्रस्ताव है ।

इसी प्रकार, लघु सिंचाई के क्षेत्र में, अधिक धन की व्यवस्था करके जारी स्कीमों के पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जाएगी । इसके अतिरिक्त विभिन्न स्संस्थाओं से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने, कृषि कार्यों के लिये बिजली तथा पम्पों के लिये डीजल की समय पर सप्लाई करने की प्राथमिकता देने और स्कीमों के आयोजन, अधिकल्प, निर्माण, प्रचालन तथा प्रबंध में और परिष्कार करने तथा इस उद्देश्य के लिये राज्यों और केन्द्र के संगठनों को और मजबूत बनाने के प्रयत्न भी किये जायेंगे ।

दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भूमि हथियाये जाने का मामला

2853. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** :
श्री आर वी० बड़े :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूफ्रैन्डस कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसइटी से सम्बद्ध दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भूमि हथियाये जाने के मामले में क्या आरोप लगाये गये थे ।

(ख) क्या इस मामले में जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ग) उस के निष्कर्ष क्या हैं, और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) : सरकार ने, न्यूफ्रैन्डस कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, नई दिल्ली के आबंटन तथा उसकी अन्य अनियमितताओं की जांच के लिये अभी कोई आदेश नहीं दिये हैं; मामला अभी न्यायाधीन है ।

काजू उत्पादन के लिए केन्द्रीय सहायता

2854. **श्री समर गुह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–74 में राज्यों को, राज्यवार, काजू के उत्पादन के लिये क्या केन्द्रीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या मिदनापुर जिले के कांटाई और झाड़ग्राम सब-डिवीजनों तथा पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में भी काजू का उत्पादन होता है ; और

(ग) यदि हां, तो काजू उत्पादन के विकास हेतु पश्चिम बंगाल को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) सम्बन्धित जानकारी को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सलंग्न है।

(ख) जी हां। परन्तु अस्थायी अनुमानों के अनुसार पश्चिम बंगाल में काजू क अन्तर्गत केवल 2,742 हैक्टेयर क्षेत्र है, जोकि देश में काजू के कुल क्षेत्र का लगभग 0.7 प्रतिशत है।

(ग) देश में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से फसल में सुधार करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। सम्बंधित राज्य सरकारों के प्रयासों के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने, 75 लाख रु० के परिव्यय से चौथी योजना में "पैकेज कार्यक्रम" नामक एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना की क्रियान्विति की है। इसके बाद, कुछ राज्यों के विभागीय क्षेत्रों में काजू के विकास के लिये एक अन्य योजना शुरू की गई थी। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, वहां पहली योजना शुरू की गई थी और देश में इस योजना पर व्यय किये गये 46.13 लाख रु० के कुल व्यय में से 0.32 लाख रु० पश्चिम बंगाल में खर्च किये गये थे, जोकि कुल राशि का 0.7 प्रतिशत था। अन्य योजना का बंगाल की काजू की फसल से कोई सम्बन्ध नहीं था, इसलिये उक्त राज्य में उसे शुरू नहीं किया गया। पांचवीं योजना के दौरान, 300 लाख रु० के कुल परिव्यय में से, पश्चिम बंगाल में काजू की खेती प्रारम्भ करने के लिये 1.66 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में, उपलब्ध स्रोतों से लाभ उठाकर और विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत करके काजू के विकास की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण

केन्द्रीय सहायता की मात्रा (लाख रुपये)

राज्य का नाम	1971–72		1972–73	
	पैकेज कार्यक्रम	विभागीय क्षेत्रों में विशेष विकास कार्यक्रम	पैकेज कार्यक्रम	विभागीय क्षेत्रों में विशेष विकास कार्यक्रम
आन्ध्र प्रदेश	2.644	4.360	1.968	6.250
केरल	3.194	–	1.092	1.523
कर्नाटक	1.132	–	2.079	6.25
महाराष्ट्र	2.024	–	1.975	–
उड़ीसा	3.504	–	2.225	7.812
तमिलनाडु	7.718	4.000	5.200	7.000
गोवा	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	0.121	–	0.120	–
बिहार	0.045	–	0.045	–

केन्द्रीय सहायता की मात्रा (लाख रुपये)

राज्य का नाम	1973–74		योग	
	पैकेज कार्यक्रम	विभागीय क्षेत्रों में विशेष विकास कार्यक्रम	पैकेज कार्यक्रम	विभागीय क्षेत्रों में विशेष विकास कार्यक्रम
आन्ध्र प्रदेश	1.810	5.920	6.422	16.530
केरल	1.758	0.200	6.044	1.727
कर्नाटक	1.440	4.700	4.651	10.950
महाराष्ट्र	0.905	—	4.904	-
उड़ीसा	1.668	5.972	7.397	13.784
तमिलनाडू	2.770	3.390	15.688	14.390
गोवा	0.600		0.600	–
पश्चिम बंगाल	0.080	–	0.321	–
बिहार	0.015	–	0.105	–

आलू के बीजों का निर्यात

2855. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को आलू के बीजों का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) वर्तमान निर्यात नीति के अन्तर्गत, आल के बीजों की केवल दो किस्मों अर्थात् कुफरी सिंधुरी और कुफरी चन्द्रमुखी का देश से निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है। राज्य सरकारों द्वारा आल के बीजों की इन किस्मों के निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। परन्तु जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, वर्ष 1959 से राज्य के बाहर आलू के बीजों का निर्यात करने पर रोक लगा दी गई है। दार्जलिंग जिले के कुछ क्षेत्रों में आलू की फसलों को मस्सा रोग से नुकसान पहुंचा था और इस रोग को देश के अन्य आलू उगाने वाले क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिये पश्चिम बंगाल से आलू के बीजों के निर्यात पर रोक लगाने हेतु अक्तूबर 1959 में डिस्ट्रक्टिव इन्सेक्टस एण्ड पेस्टस एक्ट, 1914 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गई थी। राज्य में इस रोग की मौजूदगी के सम्बन्ध में समय-समय पर पुनरीक्षण किये जा रहे हैं। यह रोग दार्जलिंग जिले के कुछ नये क्षेत्रों में फैला हुआ है, अतः इस प्रतिबन्ध को जारी रखने का निर्णय किया गया है। इस प्रतिबन्ध को केवल उसी समय समाप्त किया जा सकता है, जब सर्वेक्षणों से यह पता लग जाए कि इस रोग का पूर्णतया उन्मूलन हो गया है।

Acreage of land under minor Irrigation Schemes

2856. **Shri R. V. Bade :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) the State-wise area of land covered by the minor irrigation schemes :

(b) the steps taken in each State during the last three years, year-wise for encouraging these schemes : and

(c) the suggestions given by the Centre for encouraging these schemes during the coming years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) A statement giving the level of achievement under minor irrigation schemes at the end of 1974-75 (anticipated) is given in the Annexure I. [Placed in Library **Sec.** No. L.T.4145/75]

(b) The States have, in general, taken the following steps during the last three years for encouraging minor irrigation schemes :

(i) making maximum provisions possible for minor irrigation schemes within the financial resources of the state Plans ;

(ii) making concerted efforts to mobilise additional financial resources from the institutional agencies ;

(iii) giving emphasis on completion of irrigation schemes already in hand ; and

(iv) making electric power available for irrigation pumping on priority basis.

In addition, the following steps were also taken by the States during the three years :

1972-73

Stepping up minor irrigation programme under an Emergency Agricultural Production Programme to combat drought situation with additional financial resources to the extent of Rs. 148·136 crores made available by the Central Government. State-wise break-up is given in Annexure II.

1973-74

(i) The States of Bihar, Orissa, Punjab, U.P. and West Bengal accelerated minor irrigation programme with an additional financial resources to the extent of Rs. 14·40 crores made available by the Central Government as advance action for the Fifth Plan. State-wise details are given in Annexure III.

(ii) Strengthening State ground water organisations with a total outlay of Rs. 80 lakhs available as grants by the Central Government under the programme of National Surveys of natural resources survey of ground water resources. State-wise details are given in the Annexure IV.

1974-75

Besides taking steps for making available electric power for irrigation pumping on a priority basis, some States also introduced quota system for allocation of diesel oil to pump irrigators on a priority basis.

(c) The Centre has been giving the following suggestions for encouraging these schemes during the future years :—

(i) making as liberal provisions as possible for minor irrigation schemes within the State plans ;

(ii) setting up of special Cells in the States to formulate and actively follow up minor irrigation schemes for mobilising institutional investment.

(iii) giving priority to lift irrigation schemes which can be completed quickly and at a lesser cost and also provide assured irrigation.

(iv) giving emphasis to community works like large size open wells, medium size tubewells etc. for providing benefits to groups of farmers including small farmers.

(v) Giving stress on integrated use of surface and ground waters by encouraging supplemental irrigation through ground water schemes like wells, tubewells etc. in the command of surface water irrigation projects.

(vi) Strengthening State surface water minor and ground water organisations in key disciplines in which presently expertise has been lacking.

राजस्थान नहर के कमान्ड क्षेत्र में कृषि आय

2857. **डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के कमान्ड क्षेत्र में लगभग चार वर्षों में कृषि आय को दोगुना करने के लिये एक समन्वित आयोजना तैयार की गई है,

(ख) यदि हां, तो आयोजना में सम्मिलित की गई योजनाओं की मुख्य बातें और उनकी लागत क्या है ;

(ग) क्या आयोजना विश्व बैंक विशेषज्ञों के निष्कर्षों पर आधारित है और यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं, और

(घ) योजनाओं की कुल अनुमानित लागत क्या है और उस में केन्द्र सरकार का हिस्सा क्या है और योजना को अन्तिम रूप से कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये सिंचाई संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने चुने हुए सिंचाई कमांड क्षेत्रों में एक समन्वित कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शरू किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पुर्ननिर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से भी सहायता ली जा रही है। राजस्थान नहर कमान्ड एक ऐसा ही कमान्ड क्षेत्र है जिसका इस कार्य के लिये चुनाव किया गया है। राजस्थान नहर क्षेत्र के विषय में एक परियोजना रिपोर्ट वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को भेजी गई थी। संघ के एक मिशन द्वारा परियोजना का मूल्यांकन करने के बाद भारत तथा संघ के बीच एक विकास ऋण सम्बन्धी करार और राजस्थान राज्य तथा संघ के बीच एक परियोजना करार पर 31–7–74 को हस्ताक्षर हुए थे। ये करार 12–12–74 से लागू हुए। यह परियोजना पहले से शरू है और 30–6–80 तक पूरी होने की सम्भावना है। इस परियोजना में राजस्थान नहर परियोजना के चरण 1 के दो ब्लाकों की 200,000 हैक्टेयर सिंचाई योग्य भूमि और 35,000 हैक्टेयर ऊंचे रेतीले टीलों का क्षेत्र आता है। इस के निम्नलिखित भाग हैं :–

1. **भूमि विकास**

(i) लगभग 32,000 हैक्टेयर भूमि को समतल करना ;

(ii) लगभग 17,000 हैक्टेयर क्षारीय भूमि का सुधार करना ;

(iii) पानी के लिये लगभग 5,800 कि० मी० लम्बी पक्की नालियों का निर्माण करना।

2. **नहरों को पक्का करना**

नहरों की क्षमता बढ़ाने और पानी की हानि को रोकने के लिये लगभग 915 कि० मी० लम्बी नहर को पक्का करना ;

3. **वनरोपण**

वनरोपण जिसमें लगभग 5700 कि० मी० लम्बी नहरों तथा सड़कों के साथ साथ रक्षा पट्टी लगाना; सिंचित क्षेत्रों के अन्दर और उनके आस पास के लगभग 35,000 हैक्टेयर में फैले रेतीले टीलों पर नियंत्रित चराहगाह का विकास करना और जलाने की लकड़ी के पेड़ों का लगाना भी शामिल है।

4. **सड़कें**

लगभग 430 मेजर मारकीट फीडर तथा गांवों की सड़कों का निर्माण करना;

5. **जलपूर्ति**

लगभग 100 गांवों में पीने के पानी के लिये मशीनें लगाना;

6. **गाड़ियां, उपकरण तथा भवन**

(1) परियोजना प्रशासन के लिये गाड़ियों और उपकरणों की व्यवस्था करना और उन्हें उपयोग में लाना, निर्माण कार्य करना और कृषि सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था करना।

(2) निर्माण कार्य के दौरान कार्यालयों तथा कर्मचारियों के आवास के लिये अस्थायी भवनों का निर्माण करना ।

7. उर्वरक

46,000 टन उर्वरकों की खरीद करना और परियोजना क्षेत्र के किसानों के फार्मों में विकास कार्य पूरे हो जाने पर तीन वर्षों के दौरान उसे वितरित करना ।

8. अनुसंधान विस्तार, परिचालन तथा रखरखाव

परियोजना क्षेत्र में कृषि अनुसंधान तथा विस्तार कार्यों में सुधार करना और परियोजना सिंचाई और सड़कों के रखरखाव के स्तरों में सुधार करना ।

2. परियोजना के कारण कृषि उत्पादन में होने वाली सम्भावित वृद्धि के विषय में निम्न-सारणी में जानकारी दी गई है ।

सारणी

	वर्ष 6		
	मौजूदा उत्पादन	परियोजना से पहले का उत्पादन	परियोजना के बाद का उत्पादन
	('000 टन)		
फसलें			
खरीफ			
गन्ना	—	—	—
कपास	22.8	33.3	82.8
मिलेट (बाजरा)	5.3	9.6	25.1
दालें	9.6	14.6	33.5
चारा (चरी)	100.0	134.5	390.0
मूंगफली	4.0	8.3	20.0
धान	2.2	5.1	13.2
रबी			
गन्ना	45.0	46.5	135.0
गेहूं	38.4	70.4	207.0
सरसों	6.3	9.6	26.8
चना	22.6	31.3	98.0
चारा (बरसीम)	25.0	27.5	115.5
आलू	—	7.7	15.0

3. परियोजना में निर्दिष्ट विभिन्न मदों में लागत सम्बन्धी अनुमान नीचे दे दिये गये हैं।

मद	कुल लागत (करोड़ रु०)
नहर को पक्का करना	27.60
सड़कें	6.08
वृक्ष रोपण	4.48
ग्रामीण जल-सप्लाई	1.60
भूमि विकास	29.28
उर्वरक	15.76
परियोजना के संचालन की लागत	6.96
वास्तविक आनुषंगिक व्यय	6.00
अनमानित मूल्य वृद्धि	41.44
योग	139.20

4. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 830 लाख अमरीकी डालर का ऋण दिया है। इससे परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा (471 लाख अमरीकी डालर और स्थानीय लागत का 28 प्रतिशत, अथवा कुल परियोजना लागत की 48 प्रतिशत आवश्यकता पूरी हो जाएगी। परियोजना को स्थानीय लागत के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता, कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी योजना के अनुसार दी जायेगी।

गेहूं के लेवी मूल्यों में वृद्धि की मांग

2858. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा अन्य कृषि उत्पादक देशों ने गेहूं के लेवी मूल्यों में वृद्धि की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने क्या मांग की है और उसके समर्थन में क्या कारण बताये हैं; और

(ग) सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। गेहूं उत्पादक राज्यों ने सामान्यत: उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण आगामी रबी मौसम के लिये गेहूं के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की है।

(ग) आगामी रबी मौसम 1975–76 की मूल्य तथा अधिप्राप्ति संबंधी नीति राज्य सरकारों से परामर्श कर तैयार की जा रही है और रबी का कटाई-मौसम शुरू होने से पूर्व उसकी घोषणा कर दी जाएगी।

दिल्ली में गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की क्रियान्वति

2859. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकार** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अधिकांश मान्यता प्राप्त परन्तु गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 में प्राविधिक प्रबन्ध योजना की अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है और इन स्कूलों के प्रबन्धक, अपनी बैठकों में प्राध्यापक, अध्यापकों के प्रतिनिधियों अभिभावक-अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों तथा शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं करते हैं ;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली के शिक्षा निदेशक ने प्रबन्ध समिति में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा शिक्षा निदेशालय के दो सदस्य मनोनीत नहीं किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली के विभिन्न गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क), (ख) और (ग) सभी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों से अनरोध किया गया है कि दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अपेक्षित अपनी प्रबन्ध योजनाएं प्रस्तुत करें। अल्प संख्यक अधिकारों का दावा करने वाले स्कूलों को छोड़कर अधिकांश मान्यता प्राप्त स्कूलों ने अपनी अपनी प्रबन्ध योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं जिनकी दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। शिक्षकों, अभिभावकों तथा शिक्षा निदेशक को अपनी बैठकों में नहीं बुलाए जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

दिल्ली स्कूली शिक्षा नियम, 1973 के नियम 59 (ख) के अनुसार प्रबन्ध समिति अन्य व्यक्तियों के साथ दिल्ली स्कूली शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा मनोनीत किये गये दो सदस्य, तथा शिक्षा निदेशक द्वारा नामित दो सदस्य होंगे जिनमें से एक शिक्षाविद तथा दूसरा शिक्षा निदेशालय दिल्ली का एक अधिकारी होगा। उन स्कूलों के मामले में अपेक्षित नामांकन कर दिये गये हैं जिनकी प्रबन्ध योजनाएं अनमोदित कर ली गई हैं।

उन स्कूलों को छोड़कर जिन्होंने उच्च न्यायालय में समावेश याचिकाएँ दायर कर दी हैं तथा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं, बाकी के स्कूलों में अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

वास्तुविद् परिषद्

2860. **श्री एच०के०एल०भगत** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तुविद् परिषद् (कौंसिल आफ आर्किटेक्ट) का गठन कब हुआ था ; और

(ख) क्या उक्त परिषद् के पंजीयक (रजिस्ट्रार) की नियुक्ति वास्तुविद् अधिनियम के अधीन हुई थी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) वास्तुविद् परिषद् का 31–12–1973 को गठन किया गया था ।

(ख) वास्तुविद् अधिनियम 1972 की धारा 12(2) के अन्तर्गत एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है और उसके द्वारा शीघ्र कार्य भार संभालने की आशा है ।

मल-मूत्र निष्कासन के लिए कम लागत वाला उपकरण

2861. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक अनुसन्धान संस्थान ने मल-मूल निष्कासन के लिये एक कम लागत वाले उपकरण का विकास किया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा इसके लाभ क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

क्रिकेट टैस्ट मैचों के लिए कार्यक्रम

2862. **श्री एच० के० एल० गत** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष भारत में क्रिकेट टैस्ट मैचों के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी मख्य रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) भारत के क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड ने यह सूचित किया है कि उसने 1976 के दौरान आस्ट्रैलिया और पाकिस्तान को अलकालिक दौरे के लिये आमन्त्रित किया है । सम्बन्धित क्रिकेट प्राधिकारियों द्वारा निमन्त्रण की स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।

खरकई तथा स्वर्णरेखा बांधों की ऊंचाई

2863. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की खरकई तथा स्वर्ण रेखा बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का अधिकार दिया गया है ताकि बिहार उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल स्वर्ण रेखा के पानी का अधिकाधिक उपयोग कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बांध की ऊंचाई क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा 29-1-1975 को बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों

के साथ स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए अन्त-र्राज्यीय बैठक की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि बिहार द्वारा प्रस्तावित दो बांध स्थलों नामशः सुवर्णरेखा पर चाडिल में तथा खरकई पर, में संयचन क्षमता को बढ़ाने की संभावना को अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की जाए।

अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा तीनों मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में बिहार की परियोजना को स्वीकृति देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

"प्रिंसीपल वाज़ टाइड विद होज पाइप" शोर्षक से प्रकाशित समाचार

2864. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 फरवरी, 1975 के स्थानीय दैनिक में 'प्रिंसीपल वाज़ टाइड विद होज पाइप' शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना के बारे में कोई जांच कराई गई है ;

(ग) इस बारे में की गई जांच के क्या परिणाम रहे और इस प्रकार की आवांछनीय घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) घटना की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

दिल्ली के कालेजों में जरूरतमन्द छात्रों को जारी पाठ्य पुस्तकों की वापसी

2865. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या शिक्षा, समाज़ कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ कालेजों में छात्र सहायता निधि से जरूरतमन्द छात्रों को दी गई पाठ्य पुस्तकें फरवरी मास में ही वापिस ले ली जाती हैं जब कि वार्षिक परीक्षाएं अप्रैल, मास में होती हैं ;

(ख) क्या इस प्रणाली के कारण छात्रों के अध्ययन में भारी वाधा पड़ती है ;

(ग) क्या मोती बाग, नई दिल्ली स्थित हस्तिनापुर कालेज में उन छात्रों के रोल नम्बर रोक लिए गए हैं जो अपनी पुस्तकें फरवरी, 1975 तक वापस नहीं कर सके हैं ; और

(घ) सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ताकि छात्र परीक्षाओं के समाप्त होने तक पाठ्य पुस्तकें अपने पास रख सकें ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस ० नुरुल हसन) : (क), (ख) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के बारे में गोष्ठी

2866. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री राम सहाय पाण्डे : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा सम्बन्धी सुधारों पर विचार करने के लिए नई दिल्ली में फरवरी, 1975 के दूसरे सप्ताह में एक गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण सोसाइटी ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसका शिक्षक समुदाय पर प्रभाव' नामक विषय पर 16 फरवरी, 1975 को नई दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया था ।

(ख) सेमिनार की रिपोर्ट, तथा उसकी सिफारिशें अभी प्रकाशित नहीं की गई हैं ।

चीनी के कारखानों के उपलब्ध ऋणों पर प्रतिबन्ध

2867. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री राम सहाय पाण्डे : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिल संघ ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चीनी के कारखानों को ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये राष्ट्रीय बैंकों को दिये गये निदेश पर आपत्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) सीमांत आवश्यकताओं और अधिक सीमा की अनुमति देने के बारे में चीनी उद्योग को लागू चुनींदा ऋण नियंत्रण उपायों में ढ़ील देने के लिए भारतीय चीनी मिल्स एसोसिएशन समय समय पर अनुरोध करती रही है ।

(ख) इस मामले पर वित्त मंत्रालय और भारत के रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

तमिलनाडु को विदेशों से चावल का आयात करने की अनुमति

2868. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने विदेशों से चावल का आयात करने हेतु अनुमति देने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार के अनुरोध अन्य राज्यों से भी प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं ; और

(ग) देश में चावल की इस समय कितनी कमी है तथा प्रत्येक राज्य को उस की मांग के समक्ष कितनी कम सप्लाई की जा रही है और इस स्थिति में कब तक सुधार होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को केवल यह सुझाव दिया है कि विदेशों से चावल का आयात करने की सम्भावना का पता लगाया जाए। विदेशों से चावल आयात करने के लिए किसी भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ग) 1974-75 के लिए चावल के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, कुछ राज्यों में बाढ़ें आने से और वर्षा न होने से अनुमान है कि 1974-75 के दौरान चावल का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम होगा। केन्द्र के पास इस समय उपलब्ध स्टाक से तथा चालू खरीफ विपणन मौसम के दौरान की गई अधिप्राप्ति से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव होगा।

राज्यों से चावल के लिए कोई नियमित विशेष मासिक मांग प्राप्त नहीं होती है तथापि एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा जहां कहीं किसी मास विशेष के लिए चावल की, की गई मांग और उनको नवम्बर, 1974 से जनवरी, 1974 की अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल से सप्लाई की गई मात्रा का ब्यौरा दिया गया है।

खाद्यान्नों का रक्षित (बफर) भण्डार

2869. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के रक्षित भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) वर्ष 1975 और वर्ष 1976 में कितना रक्षित भण्डार बनाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उस में कितनी मात्रा अमरीकी बाजार से खरीद कर रखी जायेगी और कितनी मात्रा स्वदेशी उत्पादन से प्राप्त की जायेगी ; और

(ग) क्या प्रत्येक राज्य के लिये इस प्रकार के भण्डार बनाने की सम्भावना पर विचार किया गया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) केन्द्र और राज्य सरकारों के पास इस समय पड़े खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही न्यूनाधिक आवश्यकता होती है। 1975 और 1976 के दौरान बफर स्टाक तैयार करने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाकर और यथासम्भव मात्रा में उन देशों से जहां से भारत को बहुत लाभकारी शर्तों पर खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं, वहां से खाद्यानों का आयात कर स्टाक की भरपाई और उसमें वृद्धि करने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं।

दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों पर चावल न दिया जाना

2870. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशनकार्ड धारियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चावल नहीं दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण हैं और स्थिति में कब तक सुधार हो सकेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दिल्ली के केन्द्र शासित प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण करना दिल्ली प्रशासन की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय पूल से चावल देने संबंधी उनकी मांग को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है। फरवरी के महीने के दौरान, भारतीय खाद्य निगम के विभागीय मजदूरों द्वारा अचानक गैर कानूनी हड़ताल कर देने के कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से वास्तव में चावल की सप्लाई करने के कार्य में कुछ बाधा हुई थी और दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर, चावल की कम सप्लाई के स्थान पर गेहूं सप्लाई करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को प्राधिकृत किया गया था। सार्वजनिक वितरण के लिए दिल्ली प्रशासन को चावल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारती खाद्य निगम के दिल्ली में स्थित डिपो में चावल के पर्याप्त स्टाक रखे जा रहे हैं।

खाद्यान्न मूल्यों को घटाने का आश्वासन

2871. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही खाद्यान्नों के मूल्य घटाये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो उस का सारांश क्या है; और

(ग) देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां, उन्होंने कहा है कि हाल में दूर-दूर तक हुई वर्षा से खाद्यान्नों के मूल्यों में और अधिक गिरावट आएगी जिसमें पहले ही गिरावट आ चुकी है। उन्होंने यह भी विश्वास प्रकट किया है कि रबी फसलों की कटाई होने पर खाद्य-स्थिति और भी ठीक हो जाएगी।

(ग) आवश्यक जिन्सों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा किए गए उपायों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार करने और उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

1. खाद्यान्नों को निर्धारित मूल्यों पर मुहैया करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से सरकारी वितरण की व्यवस्था में सुधार लाना और उसे सशक्त बनाना,
2. अतिथि नियंत्रण आदेश लागू कर और होटलों तथा अन्य भोजनालयों में परोसे जाने वाले पदार्थों की संख्या सीमित कर खाद्यान्नों की फजूल खपत को रोकना,
3. मोटे अनाजों के अन्तर-क्षेत्रीय संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना ताकि अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों को इन जिन्सों का अबाध संचलन हो सके,

4. जमाखोरी और चोर-बाजारी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए विभिन्न नियंत्रण आदेशों तथा भारत सुरक्षा नियमों और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों को लागू करना। केन्द्रीय और राज्य सरकारें व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रख रही है ताकि वे जमाखोरी न करें,

5. कृषि पैदावार बढ़ाने और खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति बढ़ाने के लिए सभी प्रयत्न करना ताकि सरकारी वितरण-प्रणाली को उचित स्तर पर बनाए रखा जा सके,

6. तिलहनों और तेलों के स्टाक को सट्टेबाजी के लिए की जा रही जमाखोरी को रोकना और इस आशय के आवश्यक आदेश जारी करना कि व्यापारी तथा मिल मालिक तिलहनों तेलों के स्टाक को घोशित करें और उनके मूल्य प्रदर्शित करें, और

7. ऋण नियंत्रण और अन्य आर्थिक उपायों को कड़ा करना।

Unemployed Agricultural graduates and scheme for their Employment

2872. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the number of unemployed agricultural graduates is increasing each day;

(b) if so, the State-wise break-up, thereof;

(c) whether Government have forumlated any scheme for providing employment to these graduates ; and

(d) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) The position regarding job-seeking unemployed Agricultural graduates including post graduates on the live register of the Employment Exchanges as 31-12-1971, 31-12-1972 & 31-12-1973 is given below which is self-explanatory :—

Date	No. of Agricultural graduates including Post graduates
31-12-1971	.. 8,007
31-12-1972	.. 9,902
31-12-1973	.. 9,872

(b) Statement showing the Statewise number of agricultural graduates including post graduates on the live register of Employment Exchanges as on 31-12-1971 is attached.

(c) & (d) No specific scheme for the employment of agricultural graduates has been formulated. However, various self-employment/employment opportunities are likely to be created for about 6800 agricultural graduates under the schemes for (i) strengthening agricultural extension and administrative

machinery at District & Block level, (ii) Extension Training and farmers training, (iii) Inservice training for extension personnel, (iv) Agro-Service Centres Scheme and (v) National Seeds Corporation etc.

STATEMENT

Statement showing the statewise number of agricultural graduates including post graduates on the live register of employment exchanges at the end of 31st December, 1973.

State/Union Territories	No. of agricultural graduates including post graduates on the live register as on 31-12-1973
1. Andhra Pradesh	682
2. Assam	3
3. Bihar	790
4. Gujarat	270
5. Haryana	168
6. Himachal Pradesh	47
7. Jammu and Kashmir	16
8. Karnataka	217
9. Kerala	84
10. Madhya Pradesh	195
11. Maharashtra	2,142
12. Manipur	..
13. Meghalaya	..
14. Orissa	10
15. Punjab	180
16. Rajasthan	449
17. Tamil nadu	23
18. Tripura	..
19. Uttar Pradesh	3,386
20. West Bengal	612
21. Chandigarh	..
22. Delhi	569
23. Goa	..
24. Lakshadweep	..
25. Mizoram	..
26. Pondicherry	19

N.B. 1. Exclude information in respect of University Employment Information and Guidance Bureax (Except for two is Delhi viz. Delhi and Jamia Millia Universities).

2. All the job-seekers on the Live Register of Employment Exchanges are not necessarilly unemployed.

लेक्चररों और डिमान्ट्रेटरों के संशोधित वेतनमान

2873. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 2 नवम्बर, 1974 के अपने पत्र संख्या 1-4-74 यू०आई० के अनुबन्ध (4) के पैरा (6) द्वारा राज्य सरकारों के शिक्षा आयुक्त को यह कहा है कि 700–1600 रुपए का संशोधित वेतन प्राप्त उन लेक्चररों को भी दिया जाना चाहिए जिन के पास सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा लेक्चरर के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त उल्लिखित संशोधित वेतनमान उन कनिष्ठ लेक्चररों को भी देने की अनुमति दी गई थी जिन का आरम्भिक वेतन चौथी योजना में केवल 300 रुपए था।

(ग) यदि हां, तो विश्वविद्यालय और कालेजों के केवल डिमान्स्ट्रेटरों को 500-*900* रुपये का वेतनमान देने का क्या औचित्य है, जिनका आरम्भिक वेतन 300 रुपए (द्वितीय श्रेणी में एम० ए० डिग्री धारी) और 250 रुपए (एम० एस० सी० और बी० एस० सी० आनर्स) हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में तथा आल इंडिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी कालेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन और बिहार स्टेट डिमान्स्ट्रेटर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों के आधार पर भी मामले की पुन: जांच करने तथा पुनर्विचार करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों के परिशोधित वेतनमानों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निर्णय की सूचना भेजते समय सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्त निर्धारित की हैं :—

> "कालेजों में जिन वर्तमान लेक्चररों के पास उनकी आरम्भिक भर्ती के समय सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं नहीं हों, उन्हें परिशोधित वेतनमान के अन्तर्गत आने की तारीख के पांच वर्षों की अवधि में इन योग्यताओं को प्राप्त कर लेना जरूरी होना चाहिए। यदि वे इस अवधि के दौरान ऐसा कर सकने में असमर्थ हों तो उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की वेतनवृद्धि अर्जित करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वे इस शर्त को पूरा न करें।"

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अभिशासन सम्बन्धी समिति (सेन समिति) ने "अध्यापक" नामक अपनी रिपोर्ट के दूसरे भाग में अन्य बातों के साथसाथ इस बात की भी सिफारिश की थी कि "विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों (ट्यूटरों) और निर्देशकों (डिमान्स्ट्रेटरों) की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान पदधारियों के लिए वर्तमान वेतनमान को परिशोधित करके 300–600 रुपए का कर दिया जाए। तथापि, उन्हें सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि अन्त: लेक्चररों के रूप में नियुक्ति की दृष्टि से वे अपनी योग्यता में सुधार कर सकें।"

भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर तथा उस सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापनों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात वर्तमान निर्देशकों के वेतनमानों को पहले ही मन्जूर कर दिया है। सरकार का विचार इस मामले का पुनरीक्षण करने अथवा उस पर पुन: विचार करने का नहीं है।

'डिमान्स्ट्रेटरों' की अर्हता में वृद्धि करने के लिए सुविधा

श्री रामावतार शास्त्री : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री कालेजों और विश्वविद्यालयों में 'डिमान्स्ट्रेटरों' की भर्ती के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के बारे में 4 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1754 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्हता में वृद्धि करने के लिए 'डिमान्स्ट्रेटरों/ट्यूटरों को सविधाओं से सम्बन्धित सिफारिशों राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को क्रियान्वित हेतु भेज दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों ने ये सुविधाएं डिमान्स्ट्रेटरों को प्रदान कर दी हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी विश्वविद्यालयों और कालेजों के अभिशासन सम्बन्धी समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि वर्तमान निर्देशकों शिक्षकों को अपनी-अपनी योग्यता में सुधार करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि बाद में उनको लेक्चररों के रूप में नियुक्त किया जा सके। सरकार भी इस सिफारिश से सहमत है। निदर्शकों/शिक्षकों सहित अपने अध्यापकों की योग्यताओं में सुधार करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु किसी सिफारिश को कार्यान्वित करना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है।

Tear Gas on agitated mob of E.C.T. Employees

875. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item "tear-gas on agitated mob of employees of Food Corporation" appearing in a daily paper dated 6-2-1975 published from Banaras ;

(b) whether heavy tear-gas shelling and firing has been resorted to on employees of Food Corporation at Howrah and Siliguri ; if so, the reasons thereof and

(c) the action taken by Government to provide relief to workers keeping in view this injustice?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A news item had appeared in the Fabruary 5th issue of "Aaj", Banaras, alleging use of tear-gas and lathi charge by the Police against the striking workers of Food Corporation of India who were obstructing the movement of foodgrains from one place to another and hampering the public distribution system.

(b) The striking workers having turned violent the police had to resort to tear-gas shelling, lathi charge and firings. In this process some police officials and labourers were injured.

(c) : Sympathetic consideration is always given to genuine demands of workers but as the latter took recourse to violence, the situation had to be controlled by the State authorities in order to maintain law and order.

Implementation of agreement between F.C.I. and its workers' union.

2876. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether any agreement was reached between the Food Corporation of India and its workers' Union on 23rd May, 1973 ;

(b) if so, the broad outlines thereof ; and

(c) whether it has been fully implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Agriulture and Irrigation *(Shri* **Annasheb P. Shinde**) : (a)&(b) : Discussions were held at New Delhi on 23rd May, 1973, between the Food Corporation of India and the Food Corporation of India Workers Union on the various demands made by the Union, the broad outlines of the results of the discussions are as below :—

(i) Introduction of departmentalisation in FCI owned (large sized depots in Assam, Bihar, Orissa, and Delhi with effect from 15-6-1973.

(ii) Introduction of departmentalisation at Durgapur and Silliguri and Railway sidings namely, Kalighat Shyam Nagar Howrah and Shalimar with effect from 1-7-1973 provided that the West Bengal Government had no objection to the Corporation doing so.

(iii) Introduction of departmentalisation in the remaining owned depots of the Corporation in the States of Assam, Bihar and Orissa, w.e.f. 1-11-1973.

(iv) Abolition of Contract System and introduction of direct payment system in the F.C.I. owned godowns and those hired from privates parties directly managesd by the F.C.I. Staff w.e.f., 15-6-1973 in Assam, Bihar and Orissa.

(c) Even though there are practical difficulties. the F.C.I. is taking the necessary steps for implementing the decisions to the extent possible.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

2877. **श्री वयालार रवि** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ द्वारा सुझाई गई एक राष्ट्रीय नीति की क्रियान्विति के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) तथा (ख) पांचवीं पचवर्षीय योजना के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करते समय और उपलब्ध साधनों की सीमा में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के 37वें अधिवेशन द्वारा सिफारिश की गई नीतियों के अन्तर्गत संदर्भित सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है : । सिफारिशों के ब्यौरे, अधिवेशन की कार्यवाहियों, के सारांश के पृष्ठ 42-54 पर देखे जा सकते हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान महिलाओं में समाज कल्याण कार्य के लिए निर्धारित धनराशि

2878. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में समाज कल्याण संगठनों के माध्यम से महिलाओं में समाज कल्याण कार्यों के लिये काफी धनराशि निर्धारित करने का विचार है; और

(ख) उडीसा के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और किन संगठनों ने अनुदान के लिये मांग की ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1974-75 और 1975-76 के लिए पांचवीं योजना प्रारूप और वार्षिक योजनाओं में महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये उपबन्ध किये गये हैं। चालू वर्ष में केवल समाज कल्याण संगठनों के माध्यम से व्यय के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष परिव्यय निर्धारित करने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में धान की वसूली

2879. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चालू खरीफ वर्ष में धान की वसूली का लक्ष्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसम क्या रुकावटें थीं और उड़ीसा में रबी की फसल की क्या सम्भावनाए हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) और (ख) चालू खरीफ मौसम 1974-75 से चावल/धान की अधिप्राप्ति 31 अक्तूबर, 1975 तक जारी रहेगी और इस समय यह नहीं बताया जा सकता है कि किस हद तक लक्ष्यों की प्राप्ति हो पायेगी। तथापि-मानसून के असफल रहने के कारण, खरीफ की धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है जिसके परिणामस्वरूप मंडी में कम आमद हुई है और मूल्यों में वृद्धि हुई है। अतः कम अभिप्राप्ति होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उड़ीसा में रबी की फसल की सम्भावनाएं अब तक अनुकूल बतायी जाती हैं।

स्वर्ण-रेखा नदी के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

2880. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने स्वर्ण रेखा नदी के बारे में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन को अब तक स्वीकार कर लिया है ; यदि नहीं, तो उनको आपत्ति क्या है ;

(ख) परियोजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ग) क्या कार्य प्रारम्भ हो गया है ; और यदि हां, तो कितना हो गया है ; और

(घ) उस पर कुल कितना व्यय होगा और उसमें राज्य सरकार का क्या अंश है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) स्वर्णरेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :–

(1) बिहार को राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना में शामिल चांडिल में बांध में बाढ़ पानी के संचय की व्यवस्था की जाए; बिहार परियोजना को स्वीकृति के समय वास्तविक संचय का फैसला किया जाए। इस बांध का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

(2) बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में नीचे की ओर तटबंध का निर्माण किया जाए।

(3) उड़ीसा में जलखोरी और चित्तई नालों पर जल-निकास स्कीमें प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित की जाएं।

(4) समुद्र को सीधे जल मार्गों का निर्माण करके निचली पहुंचों में नदी के सुधार की व्यवहार्यता की जांच की जाए।

(5) चूंकि बिहार में चांडिल जलाशय के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कुछ वर्ष लग सकते हैं और बाढ़ जलमग्नता के प्रति सुरक्षा का कार्य विशेषकर पश्चिम बंगाल में तत्काल करना है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार अपने तटबंध का निर्माण कार्य हाथ में ले सकती है। उड़ीसा सरकार भी पश्चिम बंगाल के तटबंध के क्रम में रेलवे लाइन तक बाएं तटबंध का निर्माण कार्य हाथ में ले सकती है। यदि बहुत जरूरी समझा जाए तो रेलवे लाइन के अनुप्रवाह में जहां नुक्सान पहुंचने का डर हो, उन जगहों पर दक्षिण तटबन्ध का निर्माण भी हाथ में लिया जा सकता है।

(6) बाढ़ संचय के लगातार का बटवारा तीनों सरकारों के बीच बहुउद्देशीय बांधों की लागतों के बंटवारे के संबंध में सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार तय किया जाए।

(7) जहां तक बाढ़ों को कम करने का संबंध है, चांडिल जलाशय का प्रचालन बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों के मुख्य इंजीनियरों को एक स्थायी समिति के निर्देशन पर किया जाए। इस समिति के केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को भी सहयोजित किया जाए। यथा संभव प्रचालन की विस्तृत मैनुअल तैयार की जाए।

(8) स्वर्णरेखा नदी के संबंध में बाढ़ पूर्व सूचना देने का कार्य पहले ही केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य ऐसे ही किया जाता रहे और जब जलाशय का प्रचालन शुरु हो जाता है बाढ़ पूर्व सूचना कार्य स्थायी समिति के निर्देशों के अनुसार किया जाए।

उड़ीसा की राज्य सरकार उपर्युक्त (1) से (4) सिफारिशों पर निम्नलिखित टिप्पणी के साथ सहमत हो गई है ;

(1) चांडिल बांध में किए जाने वाले बाढ़ संचय की व्यवस्था केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति पर ही की जाएगी और निर्माण शुरु करने से पूर्व समस्त स्वर्णरेखा परियोजना को उड़ीसा सरकार को सहमति प्राप्त हो जानी चाहिए।

(2) संचय जलाशय पहले पूर्ण होना चाहिए तथा तटबंध उसके बाद।

वे सिफारिश (5) की पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को, जब तक चाडिल बांध पूर्ण नहीं हो जाता, अपने क्षेत्र में तटबंध का कार्य करने की अनुमति दे दी जाए, पर सहमत हो गए हैं।

सिफारिश (6) लागत के बटवारे के संबंध में राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि बाढ़ संचय की पूरी लागत केन्द्र द्वारा दी जाए।

राज्य सरकार सिफारिश (7) और (8) पर सहमत हो गई है।

(ग) और (घ) समिति द्वारा सुझाई गई किसी भी स्कीम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र में चीनी के नये कारखाने

2881. **श्री निम्बालकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी संयंत्रों के लगाने की अवधि की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण सहकारी क्षेत्र में चीनी के नये कारखाने की स्थापना लगभग असम्भव हो गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सहकारी क्षेत्र में नये चीनी कारखानों की सहायता हेतु कोई नई नीति बनाने का है ; और

(ग) क्या कोल्हापुर चीनी मिल को एक सहकारी चीनी करखाने में बदल जाने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : संयंत्र और मशीनरी की अधिक लागत होने और उनको लगाने तथा स्थापित करने में भी अधिक लागत होने के कारण सहकारी क्षेत्र की नई लाइसेंसशुदा चीनी फैक्ट्रियों की सामान्यता कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का अध्ययन करनें और नयी फैक्ट्रियों को लाभकारी आत्मनिर्भर यूनिट बनानें के लिए विभिन्न प्रोत्साहन देने और अन्य उपाय करने के बारे में सुझाव देने के लिए सरकार ने एक समिति स्थापित की थी। इस समिति की रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें कोल्हापुर शुगर मिल्स को खरीदने के बारे में सहकारी समिति का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस मामले की जांच करने के लिए उन्होंने अक्तूबर, 1974 में एक मूल्यांकन समिति गठित की है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीद के लिए निर्धारित की गई चीनी की अतिरिक्त मात्रा

2882. **श्री निम्बालकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी के कुछ उत्पादन का कोटा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या इस मात्रा का अधिकांश भाग राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीद के लिए निर्धारित किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) 1974-75 मौसम के लिए चीनी की मुक्त बिक्री अनुपात को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है ;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिए ली जाने वाली मुक्त बिक्री की चीनी की मात्रा का अन्दाजा उत्पादन के रूख और देश में खपत संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद लगाया जाएगा।

Central Institute of Indian Languages, Mysore

2883. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the steps taken by the Central Institute of Indian Languages, Mysore for the research and improvement of teaching of different Indian languages and the number of research scholars and students who were imparted training during the last three years ; and

(b) the names of places where this Institute has its Centres and the steps being taken by Government for their development ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) With a view to improving teaching of different Indian Languages, the Institute conducts research in the methodology of teaching of these languages, trains language teachers, and produces teaching materials. The Institute has trained approximately 1100 language teachers, and has held 19 conferences, seminars and workshops, were approximately 600 scholars from universities, Government and non-Government institutions have been trained. The Institute has also brought out 95 publications. The Institute has its centres at Bhubneswar, Poona, Patiala, Mysore and Solan. With a view to developing further the Institute and its centres, a Plan provision of Rs. 150 lakhs has been proposed for the Fifth Five Year Plan period, as against an expenditure of about Rs. 94 lakhs during the Fourth Plan.

Annual budget of I.C.A.R. and its expenditure on research of wheat Rice and Paddy

2884. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the annual budget of the Indian Council of Agricultural Research and the expenditure incurred on research and establishment respectively out of it ;

(b) whether the Indian Council of Agricultural Research has recently made any research in respect of paddy, wheat, maize jawar and cotton ; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation: (Shri Annasaheb P. Sinde) : (a), (b) & (c) : A statement is attached. [Placed in Library. See No. L.T. 9146:75)

गत दो वर्षों के दौरान राज्यों को उर्वरकों का वितरण

2885. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को गत दो वर्षों के दौरान कुल कितना उर्वरक सप्लाई किया गया ; और

(ख) क्या हरियाणा राज्य ने सरकार से राज्य के लिये उर्वरक की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) (क) वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दौरान, विभिन्न राज्यों को सप्लाई हुए आयातित और देशीय उर्वरकों के सम्बन्ध में संलग्न अनुबन्ध 1 और 2 में जानकारी दी गई है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9147/75)

(ख) जी, नहीं। वास्तव में हरियाणा सरकार, चालू खरीफ के मौसम (फरवरी-जुलाई 75) के लिये अब तक अलाट हुए पूर्ण उर्वरक को उठाने के लिए तैयार नहीं है।

गन्ना उत्पादकों को अदा किया जा रहा मूल्य

2886. **श्री मधु लिमये**
श्री शरद यादव } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू, पिराई मौसम में देश के विभिन्न चीनी जोनों अथवा प्रदेशों में गन्ना उत्पादकों को क्या वास्तविक मूल्य अदा किये जा रहे हैं ;

(ख) इस वर्ष कितनी चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ग) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने निर्यात के लिए चीनी की मात्रा के सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्रालय से कोई बातचीत की थी ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की और इस बारे में क्या निर्णय किए गए ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें दरवाजों पर चीनी फैक्ट्रियों द्वारा वास्तव में गन्ने के दिये जा रहे मूल्यों के रेंज का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) मौजूदा रुख के अनुसार, चालू मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन 1969–70 मौसम में प्राप्त किए 42.62 लाख मीटरी टन के मौजूदा रिकार्ड उत्पादन को भी पार कर सकता है ।

(ग) और (घ) निर्यात करने सम्बन्धी सम्भावनाओं के बारे में स्थिति की समीक्षा करने के लिए समय समय पर विचार विमर्श किया जाता है । देश के अन्दर खपत की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही यथासम्भव अधिकतम मात्रा में चीनी का निर्यात करने के प्रयत्न किए जाएंगे ।

विवरण

(आंकड़े रुपये/क्विंटलों में)

राज्य	1974–75
उत्तर प्रदेश	12.25 से 14.50
बिहार	12.25 से 13.75
पंजाब	12.60 से 14.35
हरियाणा	12.50 से 13.75
असम	11.00
पश्चिम बंगाल	12.50
उड़ीसा	8.50 से 12.50
मध्य प्रदेश	13.00 से 14.50
राजस्थान	12.50 से 14.25
महाराष्ट्र	9.00 से 20.00*
गूजरात	10.00* से 15.00*
आन्ध्र प्रदेश	8.61* से 12.00
तमिलनाडु	8.80* से 11.50*
कर्नाटक	12.00* से 17.50*
केरल	8.00* से 10.00*
पांडिचेरी	9.50
नागालैण्ड	11.00
गोआ	8.50*

* ये मूल्य, जो अग्रिम के रुप में (अधिकांशतः सहकारी कारखानों द्वारा) दिए जा रहे हैं जब तक कि मूल्यों का अन्तिम रूप से निर्धारण नहीं होता ।

खुले बाजार में बिकने वाली चीनी की प्रतिशतता में वृद्धि से उद्योग को लाभ

2887. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में बिकने वाली चीनी में 5 प्रतिशत की वृद्धि से 40 लाख टन अनुमानित उत्पादन पर उद्योग को 60 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ नहीं होगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो उद्योग को वास्तव में कितना लाभ होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) और (ख) मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे में 5 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय केवल इसलिए किया गया था ताकि लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि करने से बचा जा सके ; यह बताना जल्दबाजी होगी कि इससे उद्योग को अतिरिक्त लाभ होगा भी कि नहीं और यदि होगा तो कितना होगा। पूरे साल में मुक्त बिक्री की चीनी को बेचने से उद्योग को होने वाले लाभ के औसत पर ही यह निर्भर करेगा ।

अध्यापकों को राजनैतिक अधिकार

2888. **श्री मधु लिमये**
श्री एन० ई० होरो : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की
श्री अर्जुन रोही कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ध्यान राज्यों के नए विश्वविद्यालय विषय की ओर दिलाया गया है जिसके अन्तर्गत अध्यापकों के राजनैतिक अधिकार समाप्त किए जाएंगे ; और

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार राज्यों को ऐसे आदेश जारी करने का है कि वे ऐसा कोई कार्य न करें जिससे विश्वविद्यालय अध्यापकों का भाषण, अभिव्यक्ति तथा संगठन सम्बन्धी स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त समाप्त हो ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) इस प्रश्न पर कि क्या जो अध्यापक, संसद अथवा राज्य विभाग सभा के लिए चुन लिया जाता है उसको अपने अध्यापन पद से त्यागपत्र देने अथवा विश्वविद्यालय या कालेज से छुट्टी लेने के लि बाध्य किए बिना अध्यापन कार्या जारी रखने के लिए अनुमति दी जाए, विश्वविद्यालय अनुदा आयोग ने विचार किया है। आयोग ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि "जो अध्यापक संसद/राज्य विधान सभाओं के लिए या तो चुन लिए जाते हैं अथवा नामजद किए जाते हैं, उनको अपने शैक्षिक पद से त्यागपत्र देने अथवा अपनी सदस्यता की अवधि के दौरान लम्बी छुट्टी लेने के की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय, ऐसे अध्यापकों के लिए न्यूनतम दिन निर्धारित कर सकता है। जिन दिनों के लिए इनको विश्वविद्यालय में अपने अध्यापन और अनुसन्धान कार्य के लिए उपस्थित ोना पड़ेगा। जिससे अध्यापन कार्य को क्षति नहीं पहूंचे। ऐसे अध्यापकों को जब तक वे संसद/

विधान सभाओं के सदस्य हैं, उस अवधि के दौरान कोई प्रशासनिक पद/जिम्मेदारियां नहीं संभालनी चाहिए। "आयोग के इस विचार से जिससे भारत सरकार सहमत है, सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को अवगत करा दिया गया है। स्वतन्त्रता अध्ययन और अनुसन्धान करने और इनको प्रकाशित करने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में बोलने और लिखने की अध्यापकों की शैक्षिक स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

नागपुर में बीज उद्योग के लिये विश्व बैंक से सहायता

2889. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर क्षेत्र में एक बीज उद्योग की स्थापना करने के लिये विश्व बैंक से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) मामला किस अवस्था पर है ; और

(घ) प्रस्ताव को गति देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) विश्व बैंक को सुझाव दिया गया है कि वह विश्व बैंक की सहायता से एक बीज परियोजना शुरु करे। परियोजना रिपोर्ट के प्रारूप पर विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जा चुका है और वह बैंक के विचाराधीन है। भारत सरकार ने देश के कुछ राज्यों में सुघटित बीज उत्पादन एजेन्सियों की स्थापना करने के लिए एक राष्ट्रीय बीज परियोजना तैयार करने का भी निर्णय किया है। विश्व बैंक सिद्धान्त रूप से ऐसी बीज परियोजना को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। अतः महाराष्ट्र बीज परियोजना को राष्ट्रीय बीज परियोजना की एक उप-परियोजना के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

आयातित उर्वरक का मूल्य और उसकी बिक्री

2890. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में (अब तक) कुल कितना उर्वरक बेचा है, ;

(ख) इन वर्षों में बेचे गये आयातित उर्वरक की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) विभिन्न प्रकार के उर्वरक समय समय पर किस मूल्य पर बेचे गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 (अप्रैल-जनवरी) में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा बेचे गए उर्वरकों के विषय में जानकारी नीचे दे दी गई है :—

(हजार मीटरी टन)

उर्वरक का नाम	1972–73	1973–74	1974–75 (जनवरी, 75 तक)
अमोनियम सल्फेट	236.4	245.4	209.6
यूरिया	277.8	251.3	249.8
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	55.8	47.0	20.8
कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट	216.8	249.6	134.5
सुफाला	259 4	213.5	157.73
एन० पी० के०	1.2	—	—
अमोनियम नाइट्रो फोस्फेट	9.9	206.0	83.9
कुल	1;057.2	1,212.8	856.3

नोट :—उपर्युक्त आंकड़ों में आयातित माल भी शामिल है ।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा बेचे गए कुल उर्वरकों में से उसने 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 (अप्रैल-जनवरी) में अपने बीजाई कार्यक्रम के भाग के रूप में, जो आयातित उर्वरक बेचा है, उसकी प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

1972–73	2.7 प्रतिशत
1973–74	17.0 प्रतिशत
1974–75 (अप्रैल-जनवरी)	10.1 प्रतिशत

(ग) एक विवरण संलग्न है **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 9148/75)

नई गहूं नीति की असफलता

2891. **श्री राम सहाय पाण्डे : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी व्यापारियों के कहने और आरवासन देने पर अप्रैल, 1974 में बनाई गई गेहूं नीति असफल हो गई है क्योंकि व्यापारियों न अपने आश्वासन के अनुसार जनता को 160 रुपय प्रति क्विटल की दर से गेहूं नहीं बेचा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अखिल भारतीय व्यापारी एसोसिएशन के फैडरेशन द्वारा दिये गये संकेतों के फलस्वरूप व्यापारियों पर लवी से गेहूं की प्राप्ति और जिस मूल्य पर खुले बाजार में गेहूं उपलब्ध होगा, के बारे में कुछ अपवादात्मक प्रश्न उठाए गये थे। तथापि, चालू वर्ष के दौरान गेहूं के उत्पादन-स्तर विक्रय अधिशेष की उपलब्ध मात्रा और अन्य खाद्यान्नों के चल रहे मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुये यह कहना ठीक नहीं होगा कि 1974 में तैयार की गई गेहूं की नीति का अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है।

जो उपचारात्मक कार्यवाही की गई है उनमें ये उपाय शामिल हैं--अधिशेष तथा कमी वाले राज्यों में गेहूं के अधिकतम थोक तथा खुदरा मूल्य को निर्धारित करना, पंजाब तथा हरियाणा में प्राइवेट व्यापारियों को निर्यात-परमिट देना बंद करना, व्यापारियों तथा किसानों की स्टाक सीमा को कम करना, अधिप्राप्ति मूल्यों से अधिक मूल्य पर सरकारी एजेंसियों द्वारा उत्पादकों से सीधे ही खरीदारी करना और जमा किए गए स्टाक को बाहर निकलवाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अभियान चलाना।

आगामी रबी मौसम के लिए गेहूं की नई नीति तैयार करते समय 1974-75 विपणन मौसम में किए गए अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वृहत् डेरी परियोजना

2892. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आपरेशन फ्लड" नामक परियोजना के अन्तर्गत सहकारी डेरी फैडरेशनों के आयोजना और क्रियान्वयन बोर्ड की पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में वृहत-डेरी परियोजना चालू है जो विश्व की सबसे बड़ी डेरी परियोजनाओं में से एक होगी ;

(ख) क्या उच्च परियोजना में ढोर विकास, दुग्ध वसूली वैज्ञानिक ढंग से परिष्करण और वितरण आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) क्या उक्त परियोजना आरम्भ में वाराणसी मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया जिलों के लिए चालू की जायेगी और इस वर्ष तक आरम्भ की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) प्रतिदिन 1.0 लाख लिटर दूध संभालने की क्षमता वाले एक डेरी संयंत्र तथा प्रतिदिन 5.0 टन स्प्रटा दुग्ध चूर्ण का निर्माण करने के लिये एक संयंत्र विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 618 (आपरेशन फ्लड) के अंतर्गत वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है और आशा है यह संयंत्र 1975 के अंत तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा। इस परियोजना के लिए कुछ वित्तीय सहायता भारतीय डेरी निगम से तथा कुछ सहायता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जायेगी। प्रजनन पशु स्वास्थ्य सेवा, आहार, चारा विकास एवं विस्तार क्रिया-कलापों को संगठित करने के लिये एक परियोजना स्वीकृत की गई है, ताकि वाराणसी, बलिया मिर्जापुर तथा गाजीपुर जिलों के प्रजनन योग्य काफी पशुओं को परियोजना के अंतर्गत लाया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रतिदिन 100 मीटरी टन संतुलित पशु आहार के निर्माण की क्षमता वाले एक संयंत्र भी वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए पूरी लागत भारतीय डेरी निगम द्वारा दी जायेगी। ये परियोजना उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी डेरी फैडरेशन के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

काष्ठ उत्पादों और पैनलों के निर्माण में अनुसंधान के लिए संस्थान

2893. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकड़ी के पैनलों सम्बंधी थर्ड वर्ल्ड कन्सल्टेशन ने काष्ठ-उत्पादों और पैनलों के निर्माण में अनुसन्धान का विस्तार करने और प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय काष्ठ उत्पादों की किस्म और उनकी डिजाइनों म पर्याप्त सुधार होने की संभावना है ; और

(ग) क्या भारत, के विशाल इमारती लकड़ी के संसाधनों का इससे उपयोग होने की संभावना है, जिन का पर्याप्त औद्योगिक समर्थन के अभाव में पूरा उपयोग नहीं किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां । प्रस्ताव की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

"कन्सल्टेशन ने बहुत विकासशील देशों के वन उद्योगों में और विशेषकर लकड़ी पर आधारित पैनल उद्योगों में विशेषज्ञों की भारी कमी का अनुभव किया । व्यावसायिक तथा तकनीकि स्तरों पर प्रदर्शन तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाओं सहित राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी सुझावों का पूरी तरह से समर्थन किया है । ताकि वन उद्योगों को प्रोत्साहन देकर उनका तेजी से विकास किया जा सके । ऐसे केन्द्रों की सभी विकासशील देशों में व्यवस्था नहीं हो सकती । अतः यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक मुख्य क्षेत्र में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए । कन्सल्टेशन ने सिफारिश की है कि संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों को चाहिए कि वे ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने के लिए और उनके द्वारा काम शुरु किए जाने के लिए आर्थिक सहायता दें ।

(ख) यद्यपि भारत में निर्मित पैनल उत्पादों की क्वालिटी विश्व के अन्य विकसित देशों में निर्मित उत्पादों की तुलना में किसी तरह से घटिया भी नहीं है, तथापि क्षेत्र में अपनाई गई तकनीकियों द्वारा डिजाइनों तथा निर्माण प्रक्रिया में सुधार होना सम्भव है । इसी प्रकार विभिन्न रूप में उत्पादों को तैयार करने से कच्ची सामग्री का पूरी तरह उपयोग किया जा सकता है ।

(ग) नई तकनौलौजी तथा जानकारी को अपनाकर और विभिन्न उत्पाद तैयार करके कम महत्व वाली उष्णा प्रदेशीय इमारती लकड़ी का पूरी तरह उपयोग किया जा सकता है । इस प्रकार पर्याप्त औद्योगिक समर्थन प्राप्त होने पर वनों के यूनिट क्षेत्र से अधिक उत्पादन हो सकेगा ।

कारखानों के पास चीनी का स्टाक

2894. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1974 में कारखानों के पास चीनी का कुल कितना इति स्टाक था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 1973–74 मौसम (पहली अक्टूबर, 1973 से 30 सितम्बर, 1974) के दौरान 39.48 लाख मीटरी टन का चीनी का उत्पादन हुआ था जबकि 1972–73 मौसम में 38.73 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था ।

(ख) 30 नवम्बर, 1974 को फैक्ट्रियों के पास कुल 5.95 लाख मीटरी टन चीनी का इतिशेष स्टाक था ।

पश्चिम बंगाल में बाराचौका बेसिन जल निकासी योजना

2895. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सिंचाई मंत्री डा० के० एल० राव ने योजना आयोग द्वारा मंजूर शुदा बाराचौका बेसिन जल निकासी योजना पर बिना किसी विलम्ब के कार्य आरम्भ करने के लिए अनेक बार पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया था और क्या यह मामला लोक सभा में अनेक बार उठाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में गत आठ वर्षों के दौरान अस्थायी राहत और बाढ़ से हुई क्षति के पुनर्निर्माण कार्यों पर इस योजना के लिये अनुमानित धनराशि से दुगुनी से अधिक राशि खर्च कर दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में बाराचौका बेसिन जल निकासी योजना का क्रियान्वयन कार्य इस वर्ष आरम्भ कर दिया जायेगा ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल से कुछ आदरणीय सदस्यों क अनुरोध पर भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्री डा० के० एल० राव ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखा था । उसमें यह सुझाव दिया था कि बार-बार बाढ़ों द्वारा होने वाली हानि, राहत उपायों पर किये जाने वाले व्यय तथा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए बाराचौका बेसिन जल-निकास स्कीम का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाए, जिसकी उस समय अनुमानित लागत 32 लाख रुपये थी । लोक सभा में भी इस स्कीम को शीघ्र क्रियान्वित करने पर बल दिया गया था ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1973–74 वर्ष में इस स्कीम पर कार्य हाथ में ले लिया गया था तथा 1974–75 वर्ष के लिए 4 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । इस स्कीम की अद्यतन अनुमानित लागत 94 लाख रुपये हैं ।

पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों की वसूली

2896. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब-डिवीजन और 24 परगना के सम्बन्ध में धान और अन्य खाद्यान्नों की वसूली से संबंधित सांविधिक आदेश जारी किए थे ;

(ख) वसूली लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में भारत सरकार की नीति क्या है ;

(ग) पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब-डिबीजन के लिए 33,000 एम० टी० और 24 परगना के लिए केवल 25,000 एम० टी० के वसूली लक्ष्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं जबकि इन दोनों जिलों के धान के अनुमानित उत्पादन में अधिक अन्तर नहीं है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकार का कन्टाई सब-डिवीजन के वसूली लक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की सलाह देने का है जहां पिछले आठ वर्षों के दौरान पांच बार भयंकर बाढें आई थी और एक पूरा सूखा पड़ा था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल मे केवल धान और चावल की अनिवार्य रूप से अधिप्राप्ति की जाती है । सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों और दार्जिलिंग जिले के कुछ एक भागों को छोड़कर राज्य के सभी उत्पादकों पर क्रमिक लेबी लगा कर धान की अधिप्रात्ति की जाती है । सारे राज्य की चावल मिलों पर 50 प्रतिशत लेवी और चावल की अधिप्राप्ति की जाती है । केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार ने इस प्रयोजन हेतु सांविधिक आदेश जारी किए हैं ।

(ख), (ग) और (घ) : फसल की सम्भावनाओं और अन्य सगत बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार राज्य सरकार के परामर्श से अधिप्राप्ति के राज्यवार लक्ष्य निर्धारित करती है । यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है कि वे स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति के जिला-बार लक्ष्य निर्धारित करें और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे यदि आवश्यक हो, तो इन लक्ष्यों की समीक्षा करें ।

तिलहनों और सरसों के बीजों के उत्पादन का अनुमान

2897, **श्री शरद यादव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974–75 क रबी खरीफ और मौसमों के दौरान तिलहन उत्पादन का मोटा अनुमान लगया है ;

(ख) क्या यह सच है कि मूंगफली और सरसों के बीजों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी कुछ महीनों में खाने वाले तलों के मूल्य कम करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) वर्ष 1974–75 के खरीफ और रबी तिलहनों के उत्पादन के अंतिम अनुमान विभिन्न राज्य सरकारों से उपलब्ध नहीं हुए हैं । तथापि, वर्तमान संकेतों के अनुसार खरीफ मौसम के दौरान प्रमुख तिलहनों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में कमी होने की संभावना है । खरीफ मौसम के तिलहनों में बड़ा भाग मूंगफली का होता है । गत वर्ष इन तिलहनों का उत्पादन 57.4 लाख मीटरी टन हुआ था । उत्पादन में कमी विशेष रूप से गुजरात और तमिलनाडु में प्रतिकूल मौसम होने के कारण हुई । रबी मौसम के

दौरान प्रमुख तिलहनों के उत्पादन में 1974–75 में वृद्धि होने की संभावनाएं है। इस मौसम के प्रमुख तिलहन तोरिया और सरसों हैं और 1973–74 में इस मौसम में 29.4 लाख मीटरी टन तिलहनों का उत्पादन हुआ था :

(ग) तथा (घ) अगस्त-सितम्बर, 1974 से आमतौर तर खाने के तेलों/तिलहनों के मूल्यों में कमी हुई है। यह कमी विशेष रूप से रबी के तिलहनों और तेलों के मूल्यों में हुई है। इनके मूल्यों की स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है और स्थिति के अनुसार आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में बने बनाये मकान देने की योजना का त्याग करना

2898. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में विभिन्न वर्गों के लोगों को बने बनाये मकान देने की वर्तमान योजना त्याग दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व स्तर पर खाद्यान्न रक्षित भण्डार प्रणाली

2899. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्रों ने लन्दन में अपनी हाल की बैठक में विश्व स्तर पर खाद्यान्न रक्षित भण्डार प्रणाली पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली की रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) विश्व के प्रमुख अनाज उत्पादक, खपतकार और व्यापार करने वाले देशों की एक तदर्थ बठक 10 और 11 फरवरी 1975 को लंदन में हुई थी ताकि अन्तर्राष्ट्रीय खाद्यान्न का आरक्षित भण्डार तैयार करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। यह बैठक अनौपचारिक ढंग की थी जिसमें बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बीच स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए कहा गया और उनके अपने संबंधित प्राधिकारियों की ओर से बिल्कुल कोई वायदा नहीं करना था। अन्वटाड, गाट जैसे सम्बन्धित फोरमों में हुए विचार-विमर्श के परिणाम पता लगने के बाद ही इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा।

कुष्ट-रोग पीड़ितों के लिए पुनर्वास गृह

2900. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कुष्ट रोग से पीड़ित भिखारियों के कुल कितने पुनर्वास गृह हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुष्ट-रोगों से पीड़ित भिखारियों के लिए गृहों की वर्तमान संख्या अपर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो पांचवी योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने पुनर्वास गृह बनाए जाएंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम्) : (क) गुजरात, महराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुष्ट-रोग से पीड़ित भिखारियों के लिए पुनर्वास गृहों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है (विवरण पत्र–1)। अन्य राज्यों में कुष्ट रोग से पीड़ित भिखारियों के लिए कोई अलग संस्थागत सेवाएं नहीं हैं।

(ख) और (ग) भिक्षावृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण राज्य विषय है। कुछ रोग से पीड़ित भिखारियों के लिए गृहों आदि की स्थापना से सम्बन्धित कार्यक्रमों का कार्यान्वियन राज्य सरकारों के क्षेत्र के भीतर आता है। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए स्थापित की गई संस्थाओं का राज्यवार बटवारा दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है (विवरण-पत्र-2) । (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 6 149/75)

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

2901. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1970 तक दिल्ली में बनी उन अनधिकृत कालोनियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें नियमित कर दिया गया है या जिन्हें वर्ष 1974–75 में नियमित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) ऐसी अनधिकृत कालोनियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक नियमित किया जाना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलवीर सिंह): (क) तथा (ख) 1967 तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 1 फरवरी, 1967 तक दिल्ली में 204 अनधिकृत कालोनियां बनी थीं। 204 अनधिकृत कालोनियों में से जो 1 फरवरी, 1967 से पूर्व बन गई थीं, 171 कालोनियों को सरकार की निर्णीत नीति के अनुसार नियमित किया गया है। शेष 33 कालोनियों को नियमित नहीं किया जा सका क्योंकि ये हरिता/असम-विन्यास क्षेत्रों में स्थित हैं और इसलिए ऐसी कालोनियों के नियमितिकरण की निर्धारित नीति के अन्तर्गत नहीं आतीं।

सभी अनधिकृत कालोनियों विशेषकर जो 15 जून, 1972 से पूर्व दिल्ली में बन गई थीं के कालोनी बार अध्ययन हेतु सरकार ने अगस्त, 1974 में एक समिति का गठन किया था ताकि ऐसी कालोनियों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

Government employees having their own houses in Delhi

2902. **Shri Janeshwar Mishra** : Will be Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of Central Government and Delhi Administration employees working in Delhi whose families have their own houses in Delhi (Union Territory); and

(b) the number among them who have been allotted Government accommodation also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh) : (a) and (b) : The information in respect of the Central Government employees as it stands now is-being collected. As the allotment to the employees of Delhi Administration has been suspended, information in respect of them is not available.

Out -of-turn allotment to employees of Directorate of Estates

2903. **Shri Janeshwar Mishra**
Shri Virbhadras Singh : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the percentage of employees of Directorate of Estates who have been allotted Government accommodation on out-of-turn basis ; and

(b) whether this percentage is higher than the percentage of allotment on this basis in each of the other Department ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) : Based on the demand, the percentage of **ad hoc** allotment s sanctioned during the last three years, in the case of employees of the Directorate of Estates, in Delhi/New Delhi, is 3·2 % approximately, as against 2·3% in respect of other Departments.

Blind relief Fortnight

2904. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture,** be pleased to state :

(a) whether a blind relief fortnight was observed in January ;

(b) if so, the programmes held during this fortnight ; and

(c) the amount spent by the Government for the welfare of the Blind during the last year and the welfare projects undertaken ?

The Deputy Minister in the the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) Yes, Sir. It was organised in Delhi by a voluntary organisation known as Louis Braille Memorial Committee, to coincide with the 166th Anniversary of Louis Braille.

(b) Only one function was held to focus special attention on the problems of the blind. The speeches were made by blind students to explain their point of view and a variety entertainment programme by blind students was the highlight of the function. A compaign for raising funds for the welfare of the blind was also lodged.

(c) A total amount of Rs. 33,28,500 approximately was spent on the following major programmes for the welfare of the blind :—

(1) Administration of the National Centres for the Blind, Dehra Dun.

(2) Grants to voluntary organisations.

(3) Award of scholarships to blind students.

(4) Administration of four centres for the training of teachers of the blind.

Import of Foodgrains under P.L. 480

2905. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Agricultural and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there is likelihood of early import of foodgrains under P.L. 480 ;

(b) if so, the quantity of food grains likely to be imported under this agreement ; and

(c) the values thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Agricultural and Irrigation (Shri Annasaheb P. Sindhe) : (a), (b) & (c) : Negotiations with the U.S. Government for the import of foodgrains on long term credit are in progress. The terms and conditions of the import as well as its quantity and value are still under discussion.

गुजरात के अभावग्रस्त गांव

2906. **श्री डी० पी० जदजा**
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें सरकार ने वर्ष 1974–75 के लिए जिलावार अभाव/अर्द्ध अभाव की स्थिति घोषित की है ; और

(ख) इन क्षेत्रों में सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : वर्ष 1974–75 के दौरान, 19-2-1975 के अनुसार अभाव/अर्द्ध-अभाव की स्थिति के अनुसार घोषित गुजरात में गावों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	अभावग्रस्त घोषित किए गए गांवों की संख्या	अर्द्ध-अभावग्रस्त घोषित किए गए गांवों की संख्या
1	कच्छ	1,018	–
2	जाम नगर	662	18
3	राजकोट	815	18
4	मेहसाना	855	114
5	सुरेन्द्र नगर	405	255
6	बनसकांठा	1,377	1
7	जूनागढ़	702	48
8	अमरेली	331	223
9	सबरकंथा	173	553
10	अहमदाबाद	574	107
11	भावनगर	660	75
12	कैरा	265	188
13	बड़ौदा	26	217
14	पंचमहल	1,107	538
15	भड़ौंच	123	79
16	गांधी नगर	75	–
	कुल	9,168	2,434

(ख) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत कार्यों पर लगाया जा रहा है। उचित दर की दुकानों की माध्यम से खाद्यान्न वितरित किये जा रहे हैं। बूढ़े, अशक्त और विकलांग लोगों को निःशुल्क सहायता दी जाती है। पीने के पानी की कमी के स्थानों पर पानी की व्यवस्था की जा रही है। विद्यार्थियों और गर्भवती स्त्रियों के लिए पोषक आहार की व्यवस्था करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम दोपहर के भोजन के कार्यक्रम और व्यवहारिक पोषक कार्यक्रमों को तेज किया जा रहा है। रियायती दरों पर चारे की व्यवस्था करने और पशुओं को चराई हेतु दूसरे स्थानों में भेजने के लिए व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार ने 14.14 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता की स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने कृषि अदानों के लिये 10 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की है।

नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये दाल वाले अनाजों (लेग्यूम) की खेती

2907. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री पी० गंगादेव
श्री श्रीकृशन मोदी
श्री डी० डी० देसाई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 4 जनवरी, 1975 को आयोजित 62 वें इंडियन साइंस कांग्रेस के एक अधिवेशन में कृषि वैज्ञानिकों ने देश में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की कमी के संदर्भ में दाल वाले अनाजों (लैग्यून) की खेती करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दाल वाले अनाजों के पौधों में हवा के सीधे नाइट्रोजन लेने और उसे मिट्टी में पहुंचने की क्षमता होती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां। दालवाले फसलों के पौधों की जड़ों की ग्रन्थियों में रहने वाले जीवाणुओं में वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता होती है, जिसका दलहनी पौधों द्वारा उपापचयन किया जाता है। मिट्टी को मिलने वाले नाइट्रोजन की मात्रा, फसल कटने के बाद खेत में बचे दलहनी पौधों के ठूठों आदि अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है ।

(ग) अब तक किये गये अनुसंधान कार्य से पता चला है कि आमतौर पर, दलहनी पौधों का उपयोग हरी खाद के रूप में करने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा फी हैक्टर 20 से 60 किलो० तक बढ़ जाती है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा, मिट्टी-प्रबन्ध और उत्पादित शुष्क सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है। फसल की बढ़वार के मौसम में एक एकड़ दलहनी फसल के जरिये कुछ किलोग्राम से लेकर 200 से 300 किलो या इससे अधिक नाइट्रोजन युक्त मिट्टी में स्थिर होता है। अनेक कारकों जैसे पौधों की प्रजातियां, खेत में पौधों की सघनता, खर-पतवारों की बढ़वार की स्पर्द्धा, जलवायु संबंधी परिस्थितियां, जीवाणु-विभेदों के प्रभाव, मिट्टी के पी० एच० मान और मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों, विशेषकर नाइट्रोजन की मात्रा द्वारा मिट्टी में स्थिर नाइट्रोजन की मात्रा निर्धारित होती है। रेतीली मिट्टी में, टीका युक्त दलहनी फसल के जरिये सब से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मिट्टी में पहुंचायी जा सकती है । जिन मिट्टियों में अधिक मात्रा में जैविक सामग्री उपलब्ध है उनमें उगायी गयी दलहनी फसलें नाइट्रोजन युक्त की लगभग आधी मात्रा मिट्टी से प्राप्त कर लेती है।

Expenditure on Ministers Bungalows

2908. **Shri Phol Chand Verma** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the total amount of expenditure incurred on the Prime Minister's and the Central Ministers', Ministers' of State and the Deputy Ministers bungalows and towards water, electricity and telephone charges separately during 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh) : The year 1974-75 will be over only on 31st March, 1975. The expenditure on Ministers' bungalows, including on water supply, electricity and telephones till the end of the financial year 1974-75 would be known only after the financial year is over.

Export of Groundnut Products by F.C.I. during 1974

2909. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which the Food corporation of India exported groundunut products during 1974 and the amount of foreign exchange earned thereby ; and

(b) the names of the new plants set up by the Food Corporation of India during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The names of the countries to which the groundnut extractions were exported during 1974 by the Food Corporation of India and the foreign exchange earned are given below :—

Name of the Country	Foreign exchange earned
	(In Rpees)
West Germany ..	7,03,835·05
U.K. ..	2,42,902·10
Poland	3.58.775·14

(b) The Food Corporation of India has not set up any new Government processing plant during the last two years.

Sale of Sugarcane to Kailaras Sugar Mills, Morena

2910. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the average of sugarcane growing land owned by the Kailaras Sugar Mills in Morena district, Madhya Pradesh ;

(b) whether the payment in lieu of the sugarcane purchased was delayed very much due to which the sugarcane growers hesitate to sell it to the said Mill ;

(c) if so, the remedial steps proposed to be taken in this regard ; and

(d) whether Government propose to make arrangements for improved variety of seeds, fertilizers and loans to the sugarcane growers to ensure the increased quantity of sugarcane to the said Mills ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a), (b), (c) & (d) : The information has been called for from the Government of Madhya Pradesh and it will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

गुजरात के जिलों में पेय जल की भारी कमी

2911. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर जैसे गुजरात के जिलों को एक बार फिर पेय जल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) इस बारे में राज्य की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) जनवरी, 1975 से स्थिति में कितना सुधार हुआ है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (घ) : गुजरात सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पाठ्य पुस्तकों की कमी

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी देश में पाठ्य पुस्तकों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पैट्रोलियम पम्पों पर सस्ती दरो पर पुस्तकें बेचने का है ; और

(ग) छात्रों को सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क), (ख) और (ग) सरकार को, पाठ्य पुस्तकों की सामान्य कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पाठ्य पुस्तकें छापने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त कागज उपलब्ध किया गया है। मिलों द्वारा विशेष रुप से कम मूल्य पर कागज उपलब्ध किया जाता है । अधिकांश राज्य सरकारों ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और इसीलिए ऐसी पुस्तक का मूल्य बहुत कम है ।

कालेज पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिए भी ऐसा कागज उपलब्ध होता है । इसके अतिरिक्त, निर्धन छात्रों को पाठ्य पुस्तकें मुफ्त भी दी जाती हैं । जिन छात्रों के पास पाठ्य-पुस्तकें खरीदने के साधन नहीं हैं उन्हें पाठ्य पुस्तकें बैंकों तथा पाठ्य पुस्तक पुस्तकालयों से सहायता प्राप्त होती है । पैट्रोल पम्पों के माध्यम से पुस्तकें बेचने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मंत्रियों के नई दिल्ली स्थित बंगलों के रखरखाव पर खर्च

2913. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 से जनवरी, 1975 के अंत तक, वर्षवार, प्रधान मंत्री सहित प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री के नई दिल्ली स्थित निवास स्थान के रख-रखाव और फर्नीचर आदि पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस खर्च को कम करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आन्ध्र विश्व विद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आन्ध्र विश्वविद्यालय को प्रयोजनवार कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या विद्यालय अनुदान आयोग के पास इस प्रकार दी गई सहायता का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था है ;

(ग) यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय को आन्ध्र विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धनराशि का दुरुपयोग किए जाने तथा अन्य अनियमितताओं और कदाचारों के आरोप प्राप्त हुए हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या उन आरोपों की कोई जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) विवरण संलग्न है । **(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 9150/75)

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार उसके द्वारा दिए गए अनुदानों के बारे में संबंधित स्थानीय निधि अधिकारी द्वारा जारी किए गए लेखों के लेखा परीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होते हैं।

(घ) से (छ) आन्ध्र विश्वविद्यालय सीनेट तथा आन्ध्र प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य श्री डी० शैशा अप्पा राव द्वारा "आन्ध्र यूनिवर्स्टी हैबन आफ जावरो" नामक शीर्षक से एक मुद्रित बुलेटिन प्राप्त हुआ है ; उक्त बुलेटिन में अन्य बातों के साथ-साथ आन्ध्र विश्वविद्यालय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त हुए अनुदानों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। आयोग ने इन सिफारिशों के बारे में विश्वविद्यालय के विचार मांगे हैं। बुलेटिन में दिए गए आरोपों में से कुछ के बारे में टिप्पणियां आयोग को मिल गई हैं, जिन पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में कुछ देशों को भाग लेने से रोकने की नीति

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ खेल-कूद एसोसिएशनों द्वारा कुछ देशों को अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से रोकने के बारे में अपनाई गई नीति का भारत सरकार ने अनुमोदन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में खेल-कूद एसोसिएशनों के मार्गदर्शन करने के लिए सरकार की नीति क्या है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम्): (क) और (ख) खेल परिषदों द्वारा कुछ देशों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई मोटे तौर पर सरकारी नीति के अनुरुप है।

शहरों में लोगों के आगमन पर रोक

2916. **श्री निम्बालकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरों में लोगों के आगमन पर रोक लगाने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी उपाय क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) 31 मई से 2 जून, 1974 तक मद्रास में हुए आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने मुख्य नगर आयोजकों के सम्मेलन की इस सिफारिश का समर्थन किया कि निर्माण और आवास मंत्रालय राष्ट्रीय नगरीकरण तथा नगरीय विकास नीति के अंग बनाने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति या आयोग की स्थापना करे। इस संबंध में प्रथम प्रयास के रूप में, केन्द्रीय नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन ने, राष्ट्रीय नगरीकरण नीति पर विचार करने के लिए 28 जनवरी, 1975 को नई दिल्ली में विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई। बैठक में पारित संकल्प हाल ही में प्राप्त हुआ है तथा इस में दी गई सिफारिशें पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार ग्रन्थालय के छटनी किए गए कर्मचारियों को सेवा में लेना

चौधरी दलीप सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के ग्रन्थालय के कार्यकरण को व्यवस्थित नहीं किया गया है परन्तु इस काम को पूरा करने के लिए रखे गए कर्मचारियों की 1 जनवरी, 1975 से छंटनी कर दी गई है ; और

(ख) क्या छटनी किए गए कर्मचारियों को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा अन्य कार्यालयों में सेवा में लेने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ग्रन्थालय में बकाया कार्य का लगभग दो तिहाई पहले ही पूरा कर दिया गया है तथा शेष बकाया काय को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए संस्वीकृत 32 अस्थायी पदों में से 19 पदों को 31-12-1974 के बाद जारी नहीं रखा गया है। शेष 13 अस्थायी पदों को जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है। निर्धारित पद्धतियों तथा नियमों की शर्तों के अनुसार, छटनी में आए अस्थायी कर्मचारियों को यथासंभव अधिकतम सीमा तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा संगठनों में खपाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा लेमिनेशन प्रेस की खरीद

चौधरी दलीप सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने लेमिनेशन प्रेस कब और किस देश से खरीदा था ;

(ख) वह कितने समय तक चला और इसकी लागत को ध्यान में रखते हुए इसका कार्य कैसा रहा ;

(ग) अब नीलामी द्वारा उसका निपटान किए जाने के क्या कारण हैं और क्या प्रेस की मरम्मत करके उसें काम के योग्य नहीं बनाया जा सकता था ; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार के परिरक्षण उपकरण खरीदे जाने के क्या कारण हैं जो अभिलेखागार में पहले ही उपलब्ध हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) लेमिनेशन प्रेस 1948 में अमरीका से खरीदी गई थी।

(ख) लगभग 20 वर्षों से प्रेस कार्य कर रही है और भिन्न भिन्न आकार के 26 लाख से अधिक दस्तावेजों को आपाट्टित बनाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रेस का कार्य सन्तोषजनक है और उसे नीलाम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकारी तथा प्राइवेट संरक्षण चाहने वाले दस्तावेज़ों की बहुत बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा अन्य अभिलेख भण्डारों तथा पुस्तकालयों में परिरक्षण की सुविधाओं के बढ़ाने की आवश्यकता है ।

उड़ीसा में आवास योजना के लिये नियतन

2919. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को आवास योजना के लिये 1974–75 और 1975–76 के लिये अलग-अलग कुल कितनी धन राशि का नियतन किया गया ;

(ख) क्या ग्रामीण तथा नगरीय आवास के लिये पृथक-पृथक धनराशि नियत की गई ; और

(ग) यदि हाँ, तो कितनी-कितनी धन राशि नियत की गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा की समस्त राज्य क्षेत्र आवास योजनाओं (नगरीय तथा ग्रामीण दोनों ही) के लिए वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 हेतु अनुमोदित परिव्यय क्रमश: 200 लाख रुपये तथा 235 लाख रुपये है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास-स्थल देने हेतु इन परिव्ययों में 65 लाख रुपये (वर्ष 1974–75 के लिए 40 लाख रुपये तथा वर्ष 1975–76 के लिए (25 लाख रुपये) शामिल हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था करने में प्रगति

2920. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिये आवास स्थलों की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार ने अब तक किसी प्रगति की सूचना दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गये मकानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्य के लिये उड़ीसा के लिए निर्धारित 40 लाख रुपयों का 1974–75 में किस प्रकार उपयोग किया गया है ; और

(घ) इस कार्य के लिए उड़ीसा के लिये 1975–76 के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर, विकास के लिए चुने गए 3,460 आवास-स्थलों में से, 498 आवास-स्थलों का विकास कर दिया गया है ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास-स्थल देने की योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

75—M/S1LSS—10(a)

(ग) सूखा, तूफान तथा बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्रों में गहन श्रम साध्य कार्यों के लिए निधियों की व्यवस्था करने हेतु वर्ष 1974–75 में ग्रावास स्थलों के विकास हेतु उदिष्ट 40 लाख रुपये की धनराशि को घटाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। कोरापुट जिला में विकास के लिए ग्रभी तक 15,041 रुपये खर्च किए गए थे। जिन ग्रन्य 7 जिलों में योजना निष्पादित की जा रही है उनसे उड़ीसा सरकार द्वारा रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) 25 लाख रुपये।

संस्कृत ग्रध्ययन के लिए उड़ीसा को ग्रनुदान

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत के ग्रध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिये 1972–73, 1973–74 ग्रौर 1974–75 में उड़ीसा को कोई ग्रनुदान दिये गये थे ; यदि हां, तो वर्षवार, कितनी राशि का ग्रनुदान दिया गया ;

(ख) पुरी जिला में किन-किन तथा कहां-कहां स्थित संस्थाग्रों को ग्रनुदान दिये गये ; ग्रौर

(ग) क्या हल्दिया स्थित संस्कृत विद्यालय को ग्रनुदान तथा उसकी बकाया राशि नहीं मिली, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) उड़ीसा में संस्कृत ग्रध्ययन के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार को, इस प्रयोजन के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना के ग्रधीन निम्नलिखित ग्रनुदान दिए गए हैं :

1972–73	1973–74	1974–75
97,204.00	1,03,116.50	1,05,899.00

(ख) तथा (ग) ग्रपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभापटल पर रख दी जाएगी।

गन्ना गेहूं ग्रौर धान के मूल्यों के बारे में कृषि मूल्य ग्रायोग की सिफारिशें

2922. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य ग्रायोग ने यह सिफारिश की है कि गन्ना ग्रौर धान के मूल्यों में वृद्धि करने की ग्रावश्यकता नहीं है ; ग्रौर

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) ग्रौर (ख) जहां तक धान का संबंध है, कृषि मूल्य ग्रायोग ने 1974–75 मौसम के लिए खरीफ ग्रनाजों की मूल्य-नीति पर सितम्बर, 1974 में प्रस्तुत ग्रपनी रिपोर्ट में मानक किस्म के धान के ग्रभिप्राप्ति

मूल्य में 4 रुपये प्रति क्विटल वृद्धि करने की सिफारिश की थी जो कि समूचे देश के लिए समान रूप से 70 रुपये से बढ़ाकर 74 रुपये प्रति क्विटल किया गया था। तथापि, भारत सरकार ने राज्य में मोटे किस्म के धान के लिए 74 रुपये प्रति क्विटल का मूल्य निर्धारित किया था

2. जहां तक गेहूं का संबंध है, आयोग ने 1975–76 विपणन मौसम के लिए अधिप्राप्ति मूल्य में कोई वृद्धि करने की सिफारिश नहीं की है, बल्कि विपणन मौसम 1974–75 के दौरान निर्धारित 105 रुपये प्रति क्विटल के मूल्य को बनाए रखा है।

3. जहां तक गन्ने का सम्बन्ध है, आयोग ने यह सिफारिश की है कि 1975–76 मौसम के लिए देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूलभूत वसूली पर 8.50 रुपये प्रति क्विटल के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रति क्विटल कर दिया जाए लेकिन उस स्तर से वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर आनुपातिक प्रीमियम देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

4. गेहूं और गन्ने के मूल्यों से संबंधित सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट/प्लाट देना

2923. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के जरूरतमन्द समाजिक कार्यकर्ताओं को कुछ फ्लैट/प्लाट देने की सलाह दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की अपनें साधनों से आवास उपलब्ध कराने की कोई योजना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

Sex Education

†2924. **Shri Dhan Shah Pradhan**
Shri Jharkhande Rai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether almost all the Universities in India have accepted the proposal of including the 'sex education' in their curriculum ;

(b) whether the University Grants Commission has also accepted their proposal ;

(c) whether a survey has been conducted to the effect that this education will have favourable effect; and

(d) the findings thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) The university Grants Commission does not have information regarding Universities which have introduced or which proposed to introduce sex education in their curriculum.

(b) and (c) The Commission has not received any proposal in this regard so far. The Commission has also not conducted any survey about the desirability or otherwise of introducing sex education at the university stage.

(d) Does not arise.

Percentage of Land under Irrigation

2925. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the percentage of land under irrigation in the State of Gujarat Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan and Haryana ;

(b) whether the percentage of land under irrigation has not increased in these States during the last two years.; and

(c) if so, the reasons therefor

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) According to the Land Utilisation Statistics for 1971-72, the latest year for which the statistics are available, the percentage of gross area irrigated to the total cropped area in the States of Gujarat Maharashtra, Madhya Pradesh Rajasthan and Haryana were as under :

Gujarat	13·16*
Maharashtra	8·96@
Madhya Pradesh	8·16
Rajasthan	14·55
Haryana	45·25

(b) Area under irrigation has increased in each of these States during the last two years.

(c) Does not arise.

*Relates to the year 1969-70.

@Relates to the year 1970-71.

Import of Soyabean Oil

2926. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are going to import soyabean oil from foreign countries and have imported it in some quantity ;

(b) if so, the quantity of soyabean oil imported during 1974 and the estimated quantity thereof to be imported during 1975 ; and

(c) the annual requirements and production of edible oil in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Importof edible oils and oilseeds, including soyabean oil, for supplementing indigenous production to the extent necessary, is a continuous process based on periodical reviews.

(b) During 1974, the following quantities of edible oils and rapeseed were imported :—

Name of oil/seeds	Quantity (Tonnes)
Palm oil	43,517
Rapeseed oil	13,634
Soyabean oil	9,554
Rapeseed	18,457

During 1975, about 1 Lakh tonnes of edible oils and 13,000 tonnes of rapeseed are likely to be imported.

(c) As the demand for edible oils varies from time to time, influenced by a large number of factor including the prevailing prices, levels of income, consumption patterns, growth of population, etc., it is difficult to estimate the same with any degree of precision The production of the major edible oils in the country during 1973-74 has been roughly estimated at 20·30 lakh tonnes even such rough estimates for 1974-75 have not yet been formulated.

Sugar Production

2927. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the sugar production has been affected adversely as a result of shortage or cut in electricity;

(b) whether the prices of sugar have gone up due to decline in its production;

(c) if so, the production targets fixed and achieved so far in this regard; and

(d) whether these targets are likely to be achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) No, Sir. In fact the total production of sugar upto the 22nd February has registered an increase of 4·40 lakh tonnes over the production during the corresponding period of the last season.

(c) & (d) No specific targets of production have been fixed. The sugar production during the current season upto the 22nd February, 1975 is 27·98 lakh tonnes. According to the present trends, the sugar production during this season may exceed the existing record production level of 42·62 lakh tonnes reached in 1969-70 season.

मौलाना आजाद मैडिकल कालेज के प्रिन्सीपल द्वारा जूनियर डाक्टरों के विरुद्ध की गई कार्यवही को दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा रद्द किया जाना

2928. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद मैडिकल कालेज के प्रिंसिपल द्वारा गत मई में उनके घिराव के दौरान कथित दुर्व्यहार के आरोप में सात जूनियर डाक्टरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही को दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 14 फरवरी, 1975 को रद्द कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मौलाना आजाद मैडिकल कालेज के सात विद्यार्थियों ने कालेज के प्रिन्सिपल द्वारा उनके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद से अपील की थी। अपीलों पर विंश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने 14 फरवरी, 1975 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। परिषद् का मत था कि विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले उन्हें अपना मामला प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। परिषद ने निर्णय किया कि प्रशिक्षण और/अथवा शिक्षण सुविधाएं वापिस लेने की प्रिसिन्पल द्वारा की गई कार्रवाई का वह अनुमोदन नहीं कर सकती क्योंकि उनके अनुसार प्राकृतिक न्याय के विषयों का पालन नहीं किया गया था।

दिल्ली में हरिजनों और पिछड़े समुदायों को भूमि आवंटित करने की योजनाएं

2929. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या हरिजनों और अन्य पिछड़े समुदायों को भूमि का आवंटन करने के लिये और झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये गत 6 महीनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण, द्वारा अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(घ) वर्ष 1973–74 और 1974–75 में अब तक उनको कितने प्लाट मुफ्त दिये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां, जहां तक हरिजनों तथा अन्य पिछड़ी जातियों को भूमि आवंटन करने का संबंध है, योजना का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न तथा मध्यम आय वर्गों से संबंध रखने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगो को पूर्वनिर्धारित दरों पर पर्ची द्वारा आवंटन के लिये रिहायशी प्लाटों का 15 प्रतिशत (अनुसूचित जातियों के लिए 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये 5 प्रतिशत) आरक्षित किया है। इस योजना के अनुसार पर्ची द्वारा शीघ्र ही अलाट किए जाने वाले 1920 प्लाटों में से निम्न आय वर्ग में 142 प्लाटों तथा मध्यम आय वर्ग में 142 प्लाट अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित किये हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की निःशुल्क प्लाट आवंटन करने की ऐसी कोई योजना नहीं है।

पांचवीं योजना में गरीब लोगों के लिये मकान बनाने हेतु मुफ्त स्थान

2930. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने पांचवी योजना अवधि में गरीब लोगों के लिये मकान बनाने हेतु मुफ्त स्थान उपलब्ध कराने के लिये अपनी योजनाएं प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों ने पांचवी योजना में शामिल करने के लिये ऐसी योजनाएं अभी तक प्रस्तुत नहीं की हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के आरंभ से, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई है। अत: राज्य सरकारों द्वारा योजना के अन्तर्गत अपने परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी महिला एसोसिएशनों को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के लिए सहायता

2931. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों में इसी विषय से सम्बन्धित विभागों से अनुरोध किया है कि वे गैर-सरकारी महिला एसोसिएशनों को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के लिए विभिन्न प्रकार से सहायता करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुदेश दिये गए हैं और राज्यों में कौन कौन सी एसोसिएशन राज्यवार, इस प्रकार सम्बद्ध हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में विभिन्न संस्थाओं के लिये इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क), (ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के संदर्भ में राज्यों से निवेदन किया गया है कि वे राज्य स्तर की समितियां गठित करें, जिनमें स्थानीय प्रमुख स्वैच्छिक सगठनों के तथा स्त्रियों के कल्याण क्षेत्र में लगे अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वह गैर-सरकारी महिला संस्थाओं के साथ परामर्श करके अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को मनाने के लिए कार्यक्रम बनाएं। इस संबंध में बितीय प्रबन्ध किया जाना राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

केरल में सूखे के कारण फसल की हानि

2932. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में इस वर्ष सूखे के कारण कृषि फसल की काफी क्षति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्षति कितनी हुई तथा इसके कारण हुई हानि का मूल्य अनुमानत : कितना है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार केरल में उत्तरी-पूर्वी मानसून न आने के कारण 1,38,714 हैक्टार बुवाई के क्षेत्र को नुकासन पहुंचा है। इसके परिणाम स्वरूप, लगभग 14.4 करोड़ रुपये के मूल्य के लगभग 96,000 मीटरी टन चावल की क्षति होगी। केरल के कृषि उत्पादन में हुई हानि का जायजा लेने के लिए कृषि विशेषज्ञों का एक दल राज्य के लिए रवाना हो चुका है इस प्रश्न के बारे में कि 1974-75 में राज्य सरकार को कितनी अग्रिम योजना सहायता दी जानी चाहिए, दल की रिपोर्ट और अन्य बातों को ध्यान में रख कर विचार किया जायेगा।

सार्वजनिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

2933. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति :** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार स्कूल जा रहे बच्चों की संख्या तथा प्रतिशतता अद्यतन कितनी कितनी है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त कब तक पूरी तरह क्रियान्वित हो जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा भेजा गया I से V और VI से VIII तक की कक्षाओं में कुल दाखिला और उनकी प्रतिशतता को दर्शानें वाला विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9151/75)

(ख) मौजुदा पांचवी पंचवर्षीय योजना के अनुसार इस संबंध में सांवधानिक जिम्मेदारी को छटी पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक अधिकांशतः पूरे किये जाने की आशा है।

"रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स गैंदर डस्ट आफ आफीशियल अपैथी" शीर्षक से समाचार

2934. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के कलकत्ते के स्थानीय दैनिक में "रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स गैदर डस्ट आफ आफिशियल एपेथी" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग म उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव)

(क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को उनकी पाण्डुलिपियों के संग्रहों तथा दुर्लभ पुस्तकों का संरक्षण एवं उनकी ग्रंथ-सूचियां तैयार करने के लिये अनुदान देता है। संस्कृति विभाग ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देता है जो पुस्तकालयों तथा संग्रहाईयों का अनुरक्षण करती हैं।

इस प्रकार के अनुदान, संस्कृति विभाग द्वारा भी पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित तीन संस्थाओं को दिए गए हैं जिनके नाम समाचार पत्र में छपे थे :

	1972–73	1973–74	1974–75
(i) एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता	81,500	95,415	1,94,000
(ii) वंगीय साहित्य परिषद्, कलकत्ता	–	–	11,860
(iii) संस्कृत साहित्य परिषद् कलकत्ता	–	1,500	-

केन्द्रीय सरकार का अलग-अलग व्यक्तियों को उनके अधिकार में रखी पाण्डुलिपियों के परि-रक्षण के लिये, अनुदान देने की कोई योजना शुरु करने का कोई विचार नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : देश के राजनीतिक मामलों में रुसी हस्तक्षेप को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में यह एक स्थगन प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे गृहीत नहीं किया।

प्रो० मधु दण्डवते : वे उड़ीसा में सत्तारुढ़ दल के अभियान में भाग लेते हैं। हमारा देश एक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है। दूतावासों के अधिकारी राजनीतिक अभियानों में कभी भाग नही लेते।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थागन प्रस्ताव नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : कलकत्ता में उनके कौसुल, ने भाग लिया। दिल्ली में सोवियत दूतावास में दूसरे सचिव ने भाग लिया। भारत-रूस सन्धि से उन्हें देश के राजनीतिक जीवन में सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी दल के पास जाता है तो यह मामला उस दल का है। वे एक दल की मीटिंग में गये तो क्या बुरा है। हां यदि वे लोग कोई बैठक बुलाते तब इस बारे में विचार किया जा सकता था। सरकार ने भी वह बैठक नहीं बलाई थी। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। क्या मंत्री महोदय ने बैठक बुलाई थी? अगर नहीं तो वह कैसे उत्तरदायी हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : आप मंत्री महोदय को कम से कम एक वक्तव्य देने के लिये तो कह सकते हैं।

Mr. Speaker : If any Minister had convened the meeting then I would have taken notice of it.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1973-74 के लिए चीनी उद्योग के लिए विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन, गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 क अन्तर्गत गुजरात अधिसूचनाएं और वक्तव्य

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : श्री शाहनवाज खां की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनयिम 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 9137/75)

(2) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 323 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) (छठा संशोधन) नियम, 1973, जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/73-236/पी आर आर/7168/10683 टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) राजकोट जिला पंचायत भविष्य निधि विनियम (संशोधन) नियम 1974 जो दिनांक 27 मार्च, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/76/(74)/पी आर एन/डी एल बी (एस)/1073/टी एच में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9138/75)

महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9139/75)

(2) पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 24 के उपनियम, (4) के अन्तर्गत पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1973/74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9140/75)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य) नियम, 1974

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1128 म प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9141/75)

राज्य सभा से सन्देश
Message from Rajya Sabha

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 6 मार्च 1975 की अपनी बैठक में तम्बाकू बोर्ड विधेयक 1975 से जो लोक सभा द्वारा अपनी 28 फरवरी 1975 की बैठक में पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

विशेषाधिकार समिति
14वां प्रतिवेदन
Committee of Privileges

डा० हैनरी आस्टिन (एरनाकूलम) : मैं विशेषाधिकार समिति का 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की पूरक मांगे (रेलवे) 1974/75
Supplementary Demands for Grants (Railways), 1974-75

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं वर्ष 1974-75 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगे दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)
Demands for Excess Grants (Railways), 1972-73

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं वर्ष 1972-73 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगे दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, I have written you a letter in which I have referred to the press Communique issued by the President.

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन धारिया ने भी इसी विषय पर लिखा है। वह मुझे मिले थे। मैंने उन्हें बताया है कि मैंने मन्त्री महोदय से इस विषय में टिप्पणी करने को कहा है। मैं तभी कुछ कह सकूंगा।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister Shri I.K. Gujral is sitting before you. He can give a gist of the matter within a minute. Shri Mohan Dharia has resigned from his post then why it was written in the Communique that he has been dropped.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Hon. Minister should apologise.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपके विनिर्णय को चुनौती दी गयी है। वही व्यक्ति वक्तव्य दे सकता है जिसने नियम 199 के अन्तर्गत त्यागपत्र दिया हो। इसीलिये मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है।

श्री मधु लिमये : राष्ट्रपति ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया है। उन्होंने उनका त्यागपत्र स्वीकार किया है। तब आकाशवाणी से कैसे प्रसारित किया गया कि उन्हें हराया गया है ?

न्यास विधियां (संशोधन) विधेयक
TRUST LAWS (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : श्री सी सुब्रह्मण्यम क ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

> "कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

न्यास विधियां (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : TRUST LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : श्री सी० सुब्रह्मण्यम की ओर से मैं न्यास विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं श्री सी० सुब्रह्मण्यम की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुर: स्थापति करता हूं ।

रेल-बजट 1975-76 सामान्य चर्चा--जारी

RAILWAY BUDGET, 1975-76—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

The Minister of Railways (Shri Kamlapati Tripathi) : Hon. Members have shown interest in this Budget. I am grateful to them. I have recently taken over the portfolio of Railways. But the speeches of Members have greatly helped me in understanding the problems of railways and what improvements are required to remove the ills. I also pay my tributes to late Shri L.N. Mishra who handled the work deftly and with dedication.

I consider the budget as a mirror of Government policies. It should reflect the Government policies. Budget should contain indications of the policies to be followed by the Government. I have tried my best to ensure that common man is not burdened much more. Development works should not suffer due to paucity of funds. It is my endeavour to do justice with the employees and to provide more facilities to the passengers. Passengers are the real owners of the Railways.

I am new to the railway administration but I am well aware of the inconveniences experienced by the travelling public I shall form such policies as will relieve the public to a greater extent. I shall try to implement these policies with your cooperation and God will give strength to me to accomplish this task.

This Budget has received both welcome as well as criticism. Some said that it is unrealistic. They should not have said that. They can suggest that the amount in respect of certain head is less or so much amount should have

been earmarked etc. one should not be so much pessimistic. One cannot succeed unless one works with dedication and dedication comes with hope. In life one has to face many problems and we continue to solve them. I hope we will resolve them successfully.

I assure the Hon. Members that the assurances given by late Shri L.N. Mishra will be fulfilled. Projects sanctioned by him will be completed. But they will kindly appreciate that we have to follow a set procedure. We have to seek the assistance of the Planning Commission and they in turn have to consult the Finance Ministry for sanctioning the amount. We have not been sanctioned the required amount. We have taken up the matter. I hope we will succeed in our efforts.

It is wrong to say that the budget is election motivated . My hon. friends Shri Mukerjee and Kachwai have described the budget as "election budget" and have pointed out that fare like was not resorted to because we had a fear of its adverse effects on election prospectives. It is most unfortunate and unfair to attribute such motive. The budget has been prepared keeping in veiw the interests of the public . We did not resort to fare like because we had the feeling that even the present fares are on the high side. The only draw back in the budget has been that my hon. friends opposite could not score a strong point to criticise us. In fact my intention is to provide better services to people without resorting to fare hike and I would ask my Ministry to devise ways and means to meet the deficit of the budget without resorting to any increase in the fares.

As regards the deficit shown in the budget about Rs. 50·5 crores is in regards to the goods traffic. Out of this Rs. 34·50 crores is in one account of the concessional rates of transport of food grains. In order to make up this loss we have decided to do away with this concession. We have only done away with the concession hitherto given for the transportation of foodgrains and have not effect any increase in the freight rates of foodgrains, as alleged by some hon. Member. This would result in the case of foodgrains going up by 2·5 paise per kilo. But it is hoped that with the increased production in the next crop even this cost would be absorbed and the consumer would not be affected.

The prices of iron ore and manganese are going up in the country as well as out side. So these items have also been brought under the category of Standard traffic rates. By doing away the concession given for the transportation of foodgrains and bringing iron ore and manganese under standard traffic rates, we would to able to meet the deficit of the budget to the tune of Rs. 38 crores.

The hon. Members have made strong demands for the restoration of cancelled trains. We have been gradually proceeding in this direction. With the increased availability of coal we are restoring these trains. Today it self 22 trains have been started and it is hoped that the remaining trains would also be restored in due course.

75—M/S1LSS—10

My hon. friend Shri Mukherjee has painted a very pessimistic picture. He has said that production is not going to increase and all our hopes are unrealistic. Our hon. friends opposite are in the habit of painting pessimistic picture and saying day in and day out that there it widespread corruption. The ruling party is selfish and they are bringing the country to bankruptly. This is the greatest disservice they are doing to the country. We are hopeful about the future of the country and we are sure that production will go up and the future of the country is brighter and brighter. I hope that the increase in production will result in the increase transportation of goods. The passenger traffic is also increasing. From this trend of increase in the passenger and goods traffic it appears that the present carriages would not be able to cope with the situation and we would require new carriages and engines which could carry 9,000 metric tonnes load. Accordingly we are examining whether such carriages and engines could be built in our workshops.

Several hon. Members have raised the question of railway employees. The railway employees are our brethren. As I have already indicated in my budget speech, our policy is to see that cordial relations are established between the workers and the management. It is very unfortunate that an atmosphere of bitterness was created during the railway employees strike in 1974. It. is necessary to remove that bitterness, so that normal atmosphere is restored. I have indicated in my budget speech that Government will condone the break in service of those employees who are not guilty of violence, sabotage or intimidation. If there is any difficulty in the implementation of these orders and they are brought to my notice, I will personally look into them. According to the figures available with me out of about 16,80C employees who were dismissed, 14,8CC employees have been reinstated and orders are under issue of the reinstatement of all others who are not guilty of violence, sabotage or intimidation.

Much has been said about the trade union movement and the rights of workers. I want to appeal to the trade union leaders and the workers through them that while talking about their sights they should also think of performing their duties properly. In this regard it is worth considering whether a worker who does not discharge his duties properly is not deprived of his rights. Afterall a right is the result of fulfilment of duties. This is a recognised principle of democracy. To bring in policies in trade unionism is not going to benefit the workers. So they should not indulge in sabotage, violence and intimation. The acts of the violence, sabotage and intimation are not going to solve any problem. We are not against the rights of the worker, but the workers should also be faithful to their duties.

The hon. Members have made complaints about the late running of trains and lack of facilities to the passengers. I do not want to raise any controvercy in this regard. I myself have the bitter taste of late running of trains and thereis no doubt that the present position is very unsatisfactory. It does require improvement. I want to assure the hon. Members that we are trying to improve

the situation. The department has launched a campaign to being about punctuality in the running of trains because much inconvenience is caused to the passengers due to late running of trains.

Much has been said about ticketless travelling. It is really a serious disease and I would be highly obliged if the hon. Members could give some suggestions to remedy the situation. They may do so in the Consultative Committee. We are of the opinion that ticket less travelling can not be curbed with the police and magistrates alone and hence public co-operation is solicited therefor. We can not deny the fact that some Railway employees are also in league with the ticketless travelling public. The Railway are incurring heavy loss on this account. I solicit the co-operation of the public, the police and the State Governments to curb ticketless travelling.

It has been suggested by hon. Members that Railway Board should be scrapped. We can not take a decision to this effect outright. We have to keep the interest of the public in mind and in case the Railway Board serves no interest of the public and the House feels that there is no need of the Railway Board, then I have no hesitation in saying that it should be scrapped. But there must be some alternative for that. There is no use in saying that the Railway Board should be scrapped unless an alternative is suggested. It is also not correct to say that the Railway Board dominates the Railway Minister. It depends upon the personality of the Minister. In case the Minister is capable competent and efficient, there is not reason that the Railway Board would dominate him, because all the powers are vested in the Minister and not in the Railway Board.

My hon. friends Shri Laxminarain Pandeya has said that the number of railway accidents has gone up, whereas the facts are otherwise. Even then I want to assure the hon. Members that attempts are being made to see that railway accidents do not occur in future.

It is a matter of great regret that a senior and eminent Member Shri Hanumanthaiya has alleged that funds earmarked for the South have been diverted to North. This kind of talk is very unfair. There is no question of North and South. We never have a feeling of North or South and of one language or the other. For us the entire country is one. We have to look after the interest of the whole country. What has actually happened is that the Planning Commission made a cut of Rs. 25 crores in the original allotment of Rs. 368 crores and this cut was proportionately affected on all projects. There was a no question of North and South therein.

I am grateful to the hon. Members who have participated in the debate and gave valuable suggestion. Before finishing my speech I would like to assure them that every attempt would be made to implement their suggestions

सदस्य की गिरफ्तारी
ARREST OF A MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट, शिवपुर मुरैना (मध्य प्रदेश) से दिनांक 9 मार्च, 1975 का निम्नलिखित बेतार संदेश प्राप्त हुआ है :—

"**श्री हुकम चन्द कछवया** संसद, सदस्य ने शिवपुर, जिला मुरैना (मध्य प्रदेश) में 9 मार्च 1975 को 18.20 बजे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके अपने आप को गिरफ्तारी के लिये पेश किया। शिवपुर पुलिस थाना द्वारा गिरफ्तारी की गई। पुलिस थाना शिवपुर में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध संख्या 73/75/ यू एस/188/143 दर्ज किया गया। जमानत की मांग की गई, परन्तु उन्होंने जमानत देने से इन्कार कर दिया"

सामान्य बजट 1975-76—सामान्य चर्चा
GENERAL BUDGET 1975-76—GENERAL DISCUSSION

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरिमपुर): हम संक्षेप में कह सकते हैं कि यह बजट जनविरोधी है और एकाधिकारियों के हित में है। जनता को इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कुछ समय पहले सरकारी प्रवक्ताओं ने कहा था कि सरकार कुछ समय तक मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने में सफल हुई है परन्तु अब 283 करोड़ रुपये के कर लगा दिये हैं जिनमें से 278 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों से मिलेंगे जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसलिये यह बजट जन विरोधी है और एकाधिकारियों को जनता को लूटने का और अवसर प्रदान करता है"।

अधिक टैक्स लगाने से भी घाटा होगा। यद्यपि यह दावा किया गया है कि यह घाटा केवल 225 करोड़ का है लेकिन पिछले वर्ष के अनुभव से लगता है कि यह इससे दुगना अथवा तिगुना होगा। इसका जनसाधारण की आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसका कारण यह है कि सरकार समाजवाद के बजाय पूंजीवाद का निर्माण कर रही है। धन, भूमि और कृषि उत्पाद कछ हाथों में एकत्र हो रहे हैं। गरीबी गांवों में ही नहीं शहरों में भी बढ़ रही है।

उत्पादन गिरने या मूल्य बढ़ने पर सत्ताधारी दल कहता है कि यह श्रमिकों के कारण हो रहा है। परन्तु श्रम की लागत एकाधिकारियों को मिलने वाले लाभ से कहीं कम है। सच तो यह है कि एकाधिकारियों का लाभ बढ़ रहा है और श्रमिकों के भाग में कमी होती जा रही है। ग्रामीण ही नहीं बल्कि नगरोदि क्षेत्र में भी ऋण ग्रस्तता बढ़ रही है। 272 अंक तक मंहगाई भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार उसके लिए बचनबद्ध है। पता नहीं इसे देने से इन्कार करने का मन्त्री महोदय के पास क्या औचित्य है। उसके साथ मंहगाई भत्ते और पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में भी न्याय नहीं किया गया है। कृषि मन्त्री का कहना है कि खाद्यान्न बहुत मात्रा में उपलब्ध है परन्तु काफी वितरण व्यवस्था में ही नहीं है वरन् सरकार की वसूली की नीति में भी है। सरकार ने स्थिति

को बदलने की गम्भीरता से कोशिश नहीं की है। सरकार की वसूली नीति जमींदारो क पक्ष में है भूमि सुधार भी ठीक प्रकार से नहीं किये गये हैं। भूमि अभी भी कुछ जमींदारों के हाथ में है। कृषि उद्योग और जीवन के हर पहलू में बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों का हित साधन ही सरकार करती है। आय के अन्तर को कम करने के लिए बहुत कुछ कहा गया है। परन्तु एकाधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और जन सामान्य गरीब होता जा रहा है। यही इस बजट का सार संक्षेप है।

इसके साथ-साथ गैर योजना व्यय में भी वृद्धि होती जा रही है। रक्षा व्यय दस वर्षों में दस गुना बढ़ गया है। राज्य व्यय 1973-74 के 51.19 करोड़ रुपये से बढ़कर 1975-76 में 84.32 करोड़ रुपया हो गया है। इस नीति को छोड़ा जाये। इसके बाद भारतीय व्यापारियों के स्वामित्व वाले सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के मुनाफों पर भी अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये तथा सभी अधिक मुनाफे सरकार को अपन अधिकार में लेने चाहिये।

जहां तक खाद्य नीति का सम्बन्ध है, समूचे भारत में बड़े जमींदारों से समान मूल्य पर सभी बेचे जाने वाले खाद्यान्नों की एकाधिकार रूप में वसूली की जानी चाहिये। इससे पर्याप्त और समान लाभ होगा। राशन का हर क्षेत्र पर समान वितरण होना चाहिये। बेहतर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने चाहियें क्योंकि इनमें निरन्तर ह्रास हो रहा है। सभी हृष्ट पुष्ट व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना चाहिय।

यह वर्ष अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष है। कुछ वर्ष पटसन मिलों में, जो देश का एक मुख्य उद्योग है। 30,000 महिला काम करती थीं। अब उनकी संख्या लगभग 2,000 है यह ठीक नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को मान्यता मिलनी चाहिये। पुरुषों और महिलाओं के वेतन में अन्तर नहीं होना चाहिये। कार्मिक सेवा का लोक तान्त्रिक कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें। तथा श्रम नीतियां निर्धारित करते समय सभी स्तरों पर कार्मिक संघों से परामर्श करना चाहियें।

श्री बी० आर० भगत (शाहाबाद): इस वर्ष का बजट अत्यन्त सुनियन्त्रित बजट है। संसाधन जुटाने में अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति की वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन संाधन जुटाने की दिशा में इस प्रकार प्रयास किया गया है जिससे कि लोगों पर अनावश्यक रूप से कठिनाई न आने पाये।

बजट प्रस्तावों से जब-सामान्य की आय घटी नहीं है। केवल सम्भ्रान्त वर्गों पर दबाव डाला गया है। यदि कहीं निम्न और मध्य वर्ग पर कुछ भार पड़ा है तो उनकी कुछ क्षतिपूर्ति भी की गई है क्योंकि जिस तरह से उत्पादन बढ़ाने में परिव्यय लगाया जायेगा तो उससे मूल्य स्तर नीचे गिरेगा और इस प्रकार भार की अपेक्षा क्षतिपूर्ति अधिक की जायेगी।

तम्बाकू, बीड़ियों, सिगरेटों, रेयन और कृत्रिम रेयन, फाईन और सुपर फाइन सूती कपड़े पर शुल्क लगाया गया है लेकिन यह भार बड़े अच्छे ढंग से बांटा गया है। कहा गया है कि चाय सामान्य खपत की वस्तु है और इस पर कर लगाने से सामान्य जन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा लेकिन यह नहीं भलना चाहिये कि विदेशों में चाय की बड़ी मांग है। इसलिए वित्त मन्त्री का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह चाय की घरेलू खपत कम कर इसे निर्यात के लिए बचाया जाय ताकि बाह्य संसाधन अधिक

जुटाये जा सकें या अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सके। इसी प्रकार सीमेंट का मामला है। सरकार की यही नीति है कि सभी विनिर्माण गतिविधियां घटा कर इसका उत्पादन बढ़ाकर निर्यात किया जाये।

कहा गया है कि चीनी पर कर लगाया गया है लेकिन इस बात को सभी जानते हैं कि खुली चीनी पर ही कर लगाया गया है। नियन्त्रित चीनी पर जिसे सामान्य जनता प्रयोग में लाती है, कर नहीं लगा है। गतवर्ष हमने चीनी के निर्यात से 600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई थी। यदि चीनी का और अधिक उत्पादन किया जाये तो हम और अधिक निर्यात कर सकते हैं। अतः चीनी पर जो कर लगाया गया है वह ठीक है।

सामान्य कर की बात कही गई है। यह नया कर है जिसका स्वागत किया जाना चाहिये। हमारी बहुविध अर्थव्यवस्था है और हम इसका तेजी से विकास करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। यदि इन प्रयासों में गतिरोध आया तो यह छिन्न भिन्न हो सकती है। इसलिए मन्त्री महोदय ने सामान्य कर भी लगाया है जो मिल्लों के उत्पादन का 1 प्रतिशत ही है। इससे अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। यदि इससे लाभ हुआ तो इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। अर्थव्यवस्था पुनरुत्थानशील प्रक्रिया है और संसाधन जुटाने के लिए ही नहीं वरन अपनी आर्थिक प्रणाली में लर्यालापन लाने हेतु भी इसे विनिमित किया जाना चाहिये। अतः इस कदम का भी स्वागत है। वित्त मन्त्री ने वैयक्तिक करों में ठीक हेर-फेर नहीं किया है। पिछले ही वर्ष यह छूट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये की गई थी और इससे अधिक छूट मिली थी। अतः इस सम्बन्ध में करों में वृद्धि करने का कोई औचित्य भी नहीं है। इससे मध्य आर्य वर्ग की आय और कम हो जाती तथा लोगों की कठिनाइयां बढ़ जाती।

जहां तक नियमित कर का सम्बन्ध है मन्त्री ने गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र की लाभांश में राहत और कर-छूट दी है तथा कुछ वर्गों को धन-कर सभी छूट दी गई है। ये उपाय निवेश में वृद्धि करने की दृष्टि से किये गये हैं और इनसे आशातीत परिणाम भी निकले हैं। निगमित क्षेत्र में प्रस्तावित विभिन्न प्रकार की राहत मदों से राशि निवेश में सुधार आयेगा। वित्त मन्त्री ने कहा है कि अधिक महत्वपूर्ण बात उनके बजट प्रस्तावों का उद्देश्य है। उनका प्रथम उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था को समेकित करना और मुद्रास्फीति की सम्भाव्यता को कम करना या निर्जीव बनाना है। दूसरा उद्देश्य दीर्घावधिक और अल्पावधिक है जिसका लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना और अधिक आय और रोजगार प्रदान करना है। यह देखना है कि इन प्रस्तावों से कहां तक योजना विकास बनाये गये हैं और आवंटन आदि किये गये जिनसे कि इन उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

अल्पावधिक रूप में भी मुद्रा प्रचालन कम हुआ है और गैर-विकास परिव्यय भी घटा है। इस वर्ष योजना विकास उद्यम कुल परिव्यय का 55.5% रहा है जबकि गत वर्ष यह 48% था। यह भारी प्रयास है जिसका स्वागत किया जाना चाहिये। यह सर्व विदित तथ्य है कि अन्य देशों के विपरीत भारतीय आर्थिक संकट की विचित्र बात यह है कि यह संकट कृषि उत्पादन में हमारी असफलता से पैदा हुआ है। 1966-67 से हमारा कृषि उत्पादन विकास केवल 2% रहा है। 4.2 से 4.3 करोड़ हेक्टेर भूमि सिंचित भूमि है लेकिन यह विडम्बना है कि सिंचाई की सम्भावनाएं दुगनी होने के बावजूद कुल फसल क्षेत्र और सिंचाई क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में पानी का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। मनुष्य जीवन के लिए अत्यावश्यक तत्व खाद्य, कपड़ा, तेल और चिकनाई एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खपत घटी है। अतः वित्त मन्त्री को यह

ठीक सलाह दी गई है कि कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमकिता दी जाये। लेकिन प्रश्न यह है कि जब तक अन्य उपाय नहीं किये जाते क्या केवल धन के उपबन्ध से काम चल सकता है ? वित्त मन्त्री ने बीज, उर्वरक, सिंचाई, ऋण आदि पर उचित ही बल दिया है। लेकिन और अधिक काम किया जाना शेष है। कृषि उत्पादन कम होने का एक कारण यह है कि अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध नहीं हैं।

केवल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में ही कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। अन्य उत्तरी राज्यों में प्रति एकड़ उत्पादन कम हुआ है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में उत्पादन घटा है। वास्तविकता यह है कि गत वर्ष लोगों ने उर्वरक नहीं उठाया था। उर्वरक के भंडार भरे हुए थे लेकिन अधिक मूल्य के कारण किसानों ने उन भंडारों को नहीं उठाया। अतः उत्पादन कम हुआ। हमें इसको क्रियान्वित के बारे में प्रशासन से लेकर ब्लाक स्तर तक बहुत कुछ करना है।

भूमि सुधार के लिए हमने जो भी कानून पास किये हैं हमने उन्हें क्रियान्वित नहीं किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक असन्तोष व्याप्त है। चारों ओर हत्या और हिंसा हो रही है। किसानों और भूमि हीन श्रमिकों के बीच हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपने कार्यक्रमों को कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं ?

यह भूमि प्रशासन का सुधार है—भूमि सुधार ही नहीं—जिससे कि आशातीत परिणाम निकल सकते हैं। किसानों को प्रत्येक वस्तु उपलब्ध की जानी चाहिये। आज कवल उन्हीं किसानों की जिनके पास 10 एकड़ से कम भूमि है, केवल 15% ऋण मिलता है और 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 75 ऋण मिलता है जिसे सरकारी समितियां और रिजर्व बैंक देते हैं। 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को बहुत कम ऋण मिलता है। इससे उनको आशातीत परिणाम नहीं मिलते। हमने अनेक वर्षों के बाद कृषि विकास में 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत की ही प्रगति की है। यह बहुत कम है। इस पर भी देश को उत्पादन में गतिरोध का सामना करना पड़ता है। हमें अनेक कृषि संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अतः यह सुनिश्चित करना अनावश्यक है कि खेत स्तर से ही कार्यक्रम चलाये जायें और उन्हें लागू किया जाये।

कृषि विकास कार्य से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को जो हमारे समाज के अति संवेदनशील वर्ग हैं, रोजगार मिल सकता है। हमें आज शहरी असन्तोष का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक ही उत्तर है और वह है उद्योगों का विविधकरण। हमें उद्योगों का प्रसार और फैलाव करना चाहिये।

यह सच है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र, विशेषकर सरकारी क्षेत्र महत्वाकांक्षी हैं। सरकारी क्षेत्र और प्रगति करेगा और प्रभावकारी भूमिका निभायेगा। हमारी अर्थ-व्यवस्था में संस्थागत परिवर्तन आया है। गत 2 या 3 वर्षों में सरकारी क्षेत्र वापस आया है और राष्ट्रीय संसाधन जुटाने में योगदान दिया है। हमारी इस्पात की 90 लाख मीटरी टन की क्षमता हो गई है लकिन इसका 50 प्रतिशत से अधिक उपयोग नहीं सकर सकते हैं।

इस्पात एक ऐसा उद्योग है जिसके अधिक उत्पादन होने से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी और निर्यात बढ़ेगा। आज कल इस्पात अच्छे दामों में बिकता है। यदि हम 10 लाख टन अधिक इस्पात का उत्पादन करते हैं तो हम 100–120 करोड़ रुपये कमा सकते हैं और इससे औद्योगिक उन्नति और राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। 1968–69 में हमारे इस्पात कारखानों की क्षमता का 72 प्रतिशत उपयोग किया जाता था परन्तु यह आजकल 57 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस वर्ष पिछले कुछ महीनों में कुछ अधिक अच्छा कार्य हुआ है। इस्पात उद्योग के प्रबन्ध में कुछ कमियां हैं।

बोकारो एक बड़ा संयंत्र है, परन्तु इसकी उन्नति आशानुकूल नहीं हो रही है। इसके कई कारण हैं परन्तु हमें इसकी गम्भीरता से जांच करनी चाहिये।

हमारे पास 30 लाख उर्वरक उत्पादन की क्षमता है। इस वर्ष का लक्ष्य 14 लाख टन है। हम उतना उत्पादन भी नहीं कर सके हैं। हमने केवल 12 लाख टन का उत्पादन किया है। बिजली की कमी आदि का बहाना लिया जा सकता है परन्तु तथ्य यह है कि प्रबन्ध में कहीं कुछ कमियां हैं। इस ओर हमें नये सिरे से सोचना चाहिये।

दूसरी बात जो गड़बड़ पैदा करती है वह है घाटे की अर्थ-व्यवस्था। वित्त मंत्री ने 460 करोड़ रुपये के घाटे को कम करके उससे 225 करोड़ रुपये करके बहुत सराहनीय काम किया है। परन्तु वास्तव में घाटा बहुत अधिक होगा। तेल के लिये अधिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा माना गया है कि रक्षा के लिए अधिक धन रखा गया है। इसके लिये विशेष कारण हैं। पाकिस्तान को अमरीका से हथियार मिलने आरम्भ हो गये हैं। इसी प्रकार यदि :कृषि उत्पादन कम होता है तो मूल्यों में और वृद्धि हो जायेगी।

फिर भी अन्ततः सरकार इस वर्ष अच्छी स्थिति में है। राजस्व में वृद्धि हुई है। बचतों में भी वृद्धि हुई है। मैं वित्त मंत्री की सफलता की कामना करता हूं।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद): हमारे देश को इस समय एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मूल्यों में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है और रुपये के मूल्य में कमी हो गई है और वह अब 25 पैसे रह गई है। रिज़र्व बैंक को आंकड़ों क अनुसार गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर वाल लोगों की संख्या 40 से 70 प्रतिशत हो गई है। यही हमारी उपलब्धि है।

बरोज़गार व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश क अनेक भागों में अकाल, सूखा और भुखमरी फैली हुई है। सरकार की ओर से फिर भी यही बताया जाता है स्थिति पर पूर्ण नियन्त्रण है। आजादी के 27 वर्ष बाद भी देश में पेय जल उपलब्ध नहीं है। आप इससे स्थिति का अनुमान लगा सकत हैं।

जब कभी प्रतिपक्ष क लोग भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था क कुप्रबन्ध, काले धन क विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो उन्हें देशद्रोही, फासिस्ट कहा जाता है। प्रधान मंत्री इतनी गैर-जिम्मेदार बातें करती हैं मानो वह इतन बड़े देश की प्रधान मंत्री नहीं बल्कि एक दल की ही नेता हैं।

यदि देश की पूर्ण आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जाये तो ये बातें सामने आयेंगी। विकास की दर में गिरावट, बरोज़गारी में वृद्धि, बचत तथा पूंजी संचयन की दर में गतिरोध, विद्युत तथा परिवहन क्षमता का पूरा उपयोग न करना, काले धन में वृद्धि तथा आय में असमानता।

मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री का काम बहुत कठिन है। पिछले दस वर्षों में हरित क्रांति लाने का उन्हें श्रेय दिया जा सकता है। अब देश उनसे आशा करता है कि वह अर्थव्यवस्था में भी सुधार करेंगे ।

मैं मंत्री महोदय को तीन बातों के लिये बधाई देना चाहता हूं। एक तो रक्षा व्यय को उन्होंने बढ़ाया है। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई आरंभ करने से देश के लिये खतरा बढ़ गया है। देश की समुचित रक्षा व्यवस्था करना सरकार का प्रथम दायित्व है। योजना परिव्यय भी बढ़ा दिया गया है। तीसरे मंत्री महोदय ने प्राथमिकताओं को ठीक ढंग से बदला है। कृषि और ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह समय की आवश्यकता के अनुसार है।

गत वर्ष वित्त मंत्री ने कहा था कि घाटे का वर्ष 175 करोड़ रुपये से नहीं बढ़ेगा परन्तु वह घाटा बढ़कर 625 करोड़ रुपये हो गया।

वित्त मंत्री ने मंहगाई भत्ते के मामले में कुछ नहीं कहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि 1975–76 में इस भत्ते के रूप में 400 करोड़ रुपये का भुगतान होगा। इस प्रकार जब यह बोझ अर्थ व्यवस्था पर पड़ेगा तो मूल्यों 30 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

मूल्य वृद्धि में कुछ रोक आयी है। यह सरकार द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप है। इसके कुछ और कारण भी हैं। देश की अर्थ व्यवस्था में फैली मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार को ये उपाय करने चाहिये (1) मुद्रा सप्लाई को तीन प्रतिशत से बढ़ने नहीं देना चाहिये ; (2) बैंकों द्वारा ऋण देने में चयन नीति जारी रखी जानी चाहिये ; (3) सरकारी कर्मचारियों से बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है ; (4) तस्करों, करायवंचकों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये ; करतन्त्र में सुधार किया जाये । सरकार अनुत्पादक व्यय में कमी करनी चाहिये। प्रधान मंत्री के सचिवालय के अनुसन्धान तथा मूल्यांकन विभाग को समाप्त कर दिया जाये। सरकार के प्रशासनिक व्यय में कमी करनी चाहिये। यदि उपरोक्त उपाय अपनाये जायें तो निश्चय ही अर्थ व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है।

इस बजट से देश के निर्धन वर्ग को सहायता नहीं मिली है। जनसाधारण की खपत की वस्तुओं पर करों में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री इन वस्तुओं को एशोइशरत की वस्तुएं मानते हैं।

1972 के एक अनुमान के अनुसार छः प्रमुख उद्योगों जैसे कपड़ा, चीनी, इस्पात, कांगज़, सीमेंट, और रेयन आदि में अप्रख्यात करों के कारण मूल्य में 50 से 75 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। हमारे देश में पैट्रोल का मूल्य सबसे अधिक है। इस वर्ष गरीब जनता पर और बोझ डाला जा रहा है। सरकार को गरीबों से मिलने वाले करों का पता लगाने के लिए एक सैल स्थापित करना चाहिये। कर से छूट की सीमा 6000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी जानी चाहिये। सभी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन शुल्क में कमी की जाये।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की जनता पर अधिक बोझ नहीं डाला है। केवल दो वस्तुओं अर्थात् चाय और बीड़ी पर ही कर लगाया गया हैं है।

सरकार का प्रयास रहा है कि मुद्रा स्फीति को रोका जाये । हमें सभी बातों पर दलगत राजनीति के माध्यम से नहीं सोचना चाहिये । मैं आपका ध्यान वांचू समिति की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं । उसके अनुसार 1861–62 और 1965–66 वर्ष में 700 करोड़ रुपये से 1,000 करोड़ रुपये के बराबर करायवंचन हुआ है । वर्ष 1968–69 में 7,000 करोड़ रुपये के बराबर काले धन के सौदे हुए । यदि आज 1968–69 ऐसे करदाता जिनकी आय एक लाख रुपये से अधिक है उनकी संख्या 27,422 हैं । ये लोग देय कर के 80 प्रतिशत का भुगतान करते हैं । ऐसा देखा जायेगा कि देश के कुल काले धन का अधिकांश भाग उन लोगों के पास नहीं है जिनकी आय 6,000, 10,000 या 20,000 रुपये से कम है । यह बड़े लोगों के पास है । ये लोग इसे सोने, पैसे या स्टाक के रुप में रखतें हैं । यह धन तस्करों, चोर बाजारी करने वालों या जमाखारों के पास है । आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय में तीन गुना वृद्धि हुई है । परन्तु प्रति व्यक्ति आय में बहुत कम कमी हुई है ।

अपने संसाधन बढ़ाते समय हमें काले धन पर ध्यान देना होगा । ये धन अब नोटों के रूप में नहीं है । यह सोने और आभूषणों के रूप में बदल दिया गया है । हमारी समूची आय-कर विभाग की मशीनरी कवल उन्हीं निर्धारितयों पर ध्यान देती है जो कर देते हैं । और उनसे हमें 99 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं । काल धन वालों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य दिये जाने चाहियें । मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि बजट के माध्यम से मुद्रा स्फीति रुकेगी काला धन बाहर आयेगा या कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा ।

खुशी की बात है कि श्री बीरेन्द्र अग्रवाल ने कम से कम स्वर्गीय श्री नेहरू को भूतलक्षी प्रभाव से कुछ कामनाएं तो दी हैं । जब तक वह जिन्दा रहे समूचे विपक्षी दल ने उनकी आलोचलना की । अब वे अपनी कामनाएं प्रेश कर रहे हैं ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सारे विपक्षी दल नहीं ।

श्री वसन्त साठे: मेरे मित्र श्री दीनेन भट्टाचार्य ने चीनी तथा पेट्रोल समाजवाद की बात की है । दुर्भाग्य की बात है कि आज विपक्षी दल व्यर्थ की बातों पर ध्यान देते हैं । हमें अपना ध्यान आर्थिक विषयों पर केन्द्रित करना चाहिए जिनका आज देश को सामना करना पड़ रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें 15,000 करोड़ रुपये की राशि वाली बात पर आ जाना चाहिये ।

श्री वसन्त साठे : इन बातों पर वे ध्यान नहीं देंगे । वे तो चुनाव सुधार आदि की बातें करेंगे । यह बजट का कोई अंश नहीं है ।

मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि वह गैर-विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित न करें । उन्हीं मामलों पर ध्यान दिया जाये जिनका आज देश को सामना करना पड़ रहा है । और जिनके समाधान से देशवासियों को लाभ पहुंचेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू मोदी ।

श्री पीलू मोदी : मुझे अभी जाना है ।

श्री अमृत नहाटा (बारमेर) : वित्त मंत्री ने सभा में बजट पेश करते हुए बजट दर्शन की बात की है ।

(श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए)

(Shri Vasant Sathe in the Chair)

जिस दर्शन की उन्होंने स्थापना करनकी कोशिश की है वह स्थिरता के साथ विकास का दर्शन था । ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं क्योंकि स्थिरता और गतिरोध के बीच जो विभाजिक रेखा, है, वह बहुत महीन है ।

उन्होंने निजी बचत और निजी निवेशण के बारे में एक वातावरण तैयार करना चाहा है । ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री वापस आर्थिक श्रेणीवाद की ओर जा रहे हैं । यदि वित्त मंत्री एडम स्मिथ के श्रेणीवाद अथवा केन्स के नस्य श्रेणीवाद की ओर वापस जाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि विकासशील देशों और विकास कर रहे देशों में यह सिद्धांत अब उपयोगी नहीं ।

समूचे विश्व के अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में हाल ही में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किया है जिसे केवल इस शताब्दी का ही नहीं अपितु अगली शताब्दी का भी घोषणा पत्र कहा जा सकता है । यह गोष्ठी मैक्सिको में हुई और इसनें संसाधनों के प्रयोग के ढांचों, वातावरण और विकास कार्यक्रमों पर विचार किया ।

इस दस्तावेज में बताया गया है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास की धारणा संगत नहीं । दूसरे विकास का अर्थ न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए । तीसरे आत्म-निर्भरता विकासशील देशों का अधिकार है । ये सब मुख्य धारणाएं हैं लेकिन इन्हें वित्त मंत्री के भाषण में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ ।

देश में स्थिरता की आवश्यकता है । संतुलन को पुन: स्थापित करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें आवश्यकता को विशेषतया नहीं बनाना चाहिए । अनिवार्यता को दर्शन नहीं बनाया चाहिए । हमें अनुपाती न्याय और आत्म निर्भरता की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए । इन सभी पहलुओं को आज की आर्थिक स्थिति के प्रति अपनाए जाने वाले आर्थिक तथा वित्तीय दृष्टिकोंण में आत्मसात करना होगा ।

यह देश पिछली शताब्दी से गतिरोध की स्थिति से गुजर रहा है । हमने विद्युत खाद्यान्न, ईंधन, इस्पात और आधारभूत मुख्य उद्योगों तथा हैवी कैमिकल्स इत्यादि के बारे में क्षमता का विस्तार नहीं किया है । यह आर्थिक स्थिरता ही कई आर्थिक बुराईयों की जड़ है ।

वर्तमान कठिनाईयों को बढ़ाने में कृषि में स्थिरता भी एक नया कारण है । देश में हरित-क्रांति एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, जहां इसका ह्रास भी नहीं हो रहा है तो इसका विकास भी नहीं हो रहा है । लकिन यह गेहूं तक ही सीमित रही है । हमारे यहां भूमि के प्रति बड़ी विशिष्ट भूख रही है । इस संबंध में एक नया अभिविन्यास किया जाना चाहिए । कृषि में कुछ वर्तमान कठिनाइयां

इसलिए भी हैं क्योंकि हम उसमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर अत्याधिक निर्भर करते हैं। भारतीय कृषि का समाधान भूमि सुधारों में निहित है। जब तक खेतिहर को भूमि नहीं दी जाती और छोटे किसानों को भूमि का मालिक नहीं बनाया जाता तब हम वांछित परिणामों की प्राप्ति नहीं कर सकते।

देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने का एक उपाय यह है कि अधिकाधिक भूमि को खेती योग्य बनाय जाये तथा अधिक सिंचाई सुविधाएं एवं उर्वरकों के उत्पादन की योजनाएं भी बनाई जायें।

हमारी भूमि बहुत उपजाऊ है और इसमें हरी पत्ती की खाद देनी नितान्त आवश्यक है। हरी पत्ती की खाद तैयार करने की दिशा में देश में कोई सुनियोजित प्रयास नहीं किया गया है। हरी पत्ती की खाद से हम रासायनिक उर्वरक और कृत्रिम उर्वरक तैयार कर सकते हैं।

हमारे देश में "जिपसम" के विशाल निक्षेप हैं। अब यह सिद्ध हो गया है कि जिपसम को सीधे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हमारी लाखों हैक्टर भूमि ऊबड़-खाबड़ पड़ी है। हम इसे कृषि योग्य बनाकर इसका सदुपयोग क्यों नहीं करते। हमारे देश में बेरोजगार नवयुवक बड़ी भारी संख्या में हैं। हम उन्हें इस कार्य में लगा सकते हैं।

भारतीय मरूभूमि का विकास करने के लिए सूखा क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। सम्भवतः वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले अधिकारियों को, जिन्होंने कभी मरुस्थल के दर्शन नहीं किए, इस कार्यक्रम के प्रभारी बनाये गए हैं। जब तक इस तरह का रगन रखने वाले अधिकारियों को इन कार्यक्रमों से सम्बद्ध नहीं किया जाता तब तक भारतीय मरुभूमि का विकास होना असंभव है और तब तक इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित भी नहीं किया जा सकता।

एक ओर मुद्रास्फीति का बोल बाला है, दूसरी ओर गतिरोध है। श्री के० एन० राज नें हाल ही में कहा है कि जब तक हमारी वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत नहीं होगी तब तक देश में केवल राजनीतिक अशांति की ही अपेक्षा की जा सकती है। राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें वृद्धि दर को 3.5 प्रतिशत से अधिक बढाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी वृद्धि दर 2 प्रतिशत से भी कम है। मूल्य बढ़ रहे हैं। घाटा हो रहा है। इस बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। जब तक कारगर और सशक्त लोक वितरण प्रणाली नहीं बनेगी, हम मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि की चुनौती का सामना नहीं कर पायेंगे। इस बजट से हमें यह पता नहीं लगता कि क्या सरकार वास्तव में सशक्त और कारगर लोक वितरण प्रणाली स्थापित करना चाहती है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए धन का आवंटन बिल्कुल नहीं किया गया है।

जहां तक संसाधन जुटाने का सम्बन्ध है, जब तक सूती कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, वनस्पति उद्योग तथा विदेशी औषधि उद्योग, इन सब उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, नहीं होगा तब तक हम न तो संसाधन जुटा सकते हैं नहीं विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। सूती कपड़ा उद्योग में नितांत लूट पाट मची हुई है और पूरी तरह अराजकता विद्यमान है। सरकार को सूती कपड़ा उद्योग अपने अधिकार में करना चाहिए, इसका मानकीकरण किया जाना चाहिए और 60 प्रतिशत लागत घटानी चाहिए और कपड़ा निर्यात किया जाना चाहिये। अधिक खपत वाले तथा मोटे कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा है कि वह श्वेत और काली फिल्मों तथा रंगीन फिल्मों क बीच शुल्कों को युक्ति संगत बनाना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप फिल्मों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है। यदि सरकार 5 लाख रुपये का उत्पाद शुल्क लगायेगी तो कोई भी अच्छा निर्देशक अच्छी फिल्म कभी नहीं बनायेगा।

फिल्मों में करापवन्चन के साधनों से इनकी लागत बढ़ी है। यदि सरकार अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देना चाहती है तो फिल्मों की लागत पर ही उत्पाद शुल्क लगाया जाना चाहिये। 5 या 8 लाख रुपये तक की बजट वाली फिल्मों की उत्पाद शुल्क से छूट दी जानी चाहियें। अधिक बजट वाली और खराब फिल्मों पर अधिक शुल्क लगाया जाना चाहिये। इससे करापवन्चन रोकने में सहायता मिलेगी।

आयकर, धनकर का अपवंचन और विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंधन है मामलों का पता लगाने के प्रयोजन से छापे डालने के लिये वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक छापा मारा और यह छापा, जो जयपुर के भूतपूर्व शाही महल में डाला गया था, अभी तक चल रहा है। ऐसे और भी अनेक मामले हैं। जयपुर जयगढ़ का किला है। उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इन छापों से सरकार को जो धन प्राप्त होगा वह जनता की सम्पत्ति है। अपनी कर राशि लेकर केन्द्रीय सरकार को शेष धन राज्य सरकार को दे देना चाहिये।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया (नन्दयाल) : वित्त मंत्रालय ने असामाजिक तत्वों के मन में आंतक की भावना भर दी है। इससे देश में अनुकूल वातावरण पैदा हो गया है और इस आधार पर वित्त मंत्री कर एकत्र करने का अपना कार्य चालू रख सकते हैं।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सबसे अधिक आवश्यकता सिंचाई की है परन्तु अभी तक केवल 25-30 प्रतिशत भूमि की सिंचाई ही हो पाती है। सरकार न बहुत सी नदी घाटी परियोजनायें चालू की हैं। इन पर अभी कार्य आरम्भ ही हुआ है। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि इन्हें किस प्रकार पूरा किया जायेगा।

नागार्जुन सागर परियोजना में 200 करोड़ रुपया लग चुका है तथा 100 करोड़ रुपया अभी और लगाना है, जो राज्य सरकार की क्षमता से बाहर है। क्या केंन्द्र सरकार इस ओर से आंखें मूंदे रहेगी? यदि केन्द्र इस प्रकार की योजनाओं का वित्त पोषण करे तो हम आत्म निर्भर हो सकते ह। आशा थी कि वित्त मंत्री इन परियोजनाओं को पूरा करेंगे।

श्री सेलम परियोजना का स्थिति भी एसी ही है। कल आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बताया था कि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों कुवैत सरकार क सहयोग से 100 करोड़ रुपये का ऋण इस परियोजना को पूरा करने के लिये ले रही है। यदि ऐसा है तो इसका स्वागत है।

नदी जल विवाद दस सालों से चले आ रहे हैं। अच्छा है कि नर्मदा जल विवाद का निर्णय हो रहा है। अन्य जल विवादों के फैसले भी शीघ्र होंगे। कृष्णा नदी जल विवाद के सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार ने अजीब रवैया अपनाया है। कावेरी जल विवाद का न्यायपूर्ण हल क़िया जाये। पानी समूचे राष्ट्र की सम्पत्ति है। उसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिये।

छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देन क लिय चालू की गई योजनाओं को उचित रूप से लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का रवैया संतोषजनक नहीं है। इन किसानों की ओर से समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

हम लम्बे रेशे वाली कपास का निर्यात अधिक मूल्य पर करते हैं। जब किसान कहते हैं कि हम इसे आधे मूल्य पर उगायगे तो उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। बल्कि उसे दंडित किया जाता है। यह रवैया समाप्त किया जाना चाहिये अन्यथा किसानों में बड़ा असंतोष फैल जायेगा। धान उत्पादकों के साथ भी यही स्थिति है।

आत्म निर्भर होने के लिये हमें 1978-79 तक 1400 लाख टन अनाज का उत्पादन करना चाहिये। 6 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने पर भी हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसके लिये प्रभावकारी कार्यक्रम बनाना होगा।

क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने की बात बार-बार कही जाती है। परन्तु इसके लिये दिये गये सुझावों को उचित रूप से लागू नहीं किया जाता। कम से कम पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित सीमेंट और इस्पात के उद्योग वहां स्थापित किये जाने चाहियें। छोटे नियोजकों को सहायता दी जाये। पिछड़े क्षेत्रों को मिलने वाली राज सहायता भी बड़े एकाधिकारियों और उद्योगपतियों पर चली जाती है। वित्त मंत्री इसका समय समय पर अध्ययन करें।

ऐसी धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार दक्षिण में इस्पात कारखाना स्थापित नहीं कराना चाहती क्योंकि केवल 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पता नहीं वास्तविकता क्या है।

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : कम से कम गणपूर्ति तो होनी चाहिये। सभी सदस्य केन्द्रीय कक्ष में बैठे हैं।

सभापति महोदय : आपने प्रवेश करते ही गणपूर्ति की बात कर दी। आपके अपने ही दल के सदस्य यहां नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : बिना गणपूर्ति के कार्यवाही चलानी मुश्किल है।

श्री पी० वकटा सुब्बैया : खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने कुछ समय पहले केरल में कहा है कि यदि इसे अधिक राशि दी जाये तो अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

कर छूट की सीमा बढ़ाकर सात हजार रुपये की जानी चाहिये। जिन उद्योगों में 49 से अधिक मजदूर काम करते हैं उनके बारे एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने के सम्बन्ध में पुनः विचार किया जाना चाहिये।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : यह बात प्रसन्नता की है कि बजट प्रस्तावों की हर क्षेत्र में सराहना की गयी है। वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह सचमुच व्यावहारिक है।

वर्ष 1975-76 का बजट एक क्रियात्मक बजट है । यह उत्पादन की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण प्रगति ही है।

वर्ष 1974-75 में दो बार कर लगाने और वेतन और महंगाई भत्ते की वृद्धि पर रोक लागने के बावजूद भी 626 करोड़ रुपये का घाटा होगा। इस घाटे को पूरा करना आवश्यक है। यह किया गया है और 325 करोड़ रुपये की पूर्ति वर्ष भर में की जायेगी। यह एक बड़ा ही उल्लेखनीय प्रयास है ।

देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना वित्त मंत्री कोई ऐसा आर्थिक दस्तावेज तैयार नहीं कर सकते जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास का समावेश किया जाये । अमरीका द्वारा डाइगो गार्सिया को नौसैनिक अड्डा बनाने के कारण रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ा है । इसी प्रकार अमरीका द्वारा हथियार सप्लाई पर लगी रोक को हटाने पर भी ध्यान रखना पड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति और तेल संकट की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लगातार सूखा पड़ने के कारण हमें बड़ी मात्रा में चावल आयात करना पड़ा है। इन सभी बातों का हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वित्त मंत्री को निश्चय ही उस ओर ध्यान देना पड़ा है।

जितना भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है, वह मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त हुआ है । बजट का यह भी एक उल्लेखनीय पक्ष है। वित्त प्रोत्साहन और प्रत्यक्ष करों में मामूली रियायत से बचत में अधिक वृद्धि नहीं होने वाली है। परन्तु इससे मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार होगा।

वर्ष 1975-76 के योजना परिव्यय में 23 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 5,960 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे पैट्रोलियम और पेट्रोरसायन उद्योगों के विकास में सहायता मिलेगी और सभी परियोजनाओं का शीघ्र ही पूरा होना सुनिश्चित होगा । यह हमारी अर्थ व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है तथा इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिय ।

वित्त मंत्री कह सकते हैं कि उन्होंने सामान्य चीजों को प्राथमिकता दी है । बजट में खाद्य और बिजली को प्राथमिकता दी गई है। कृषि पर 40 प्रतिशत और उर्वरक पर 50 प्रतिशत व्यय होगा। 140 करोड़ रुपया बिजली उत्पादन और 229.00 करोड़ रुपया कोयला उत्पादन पर अतिरिक्त व्यय होगा । कृषि को प्राथमिकता देने का स्वागत है ।

जहां तक सिग्रेट, बीड़ी आदि के उत्पादन का सम्बन्ध है, इसे सुव्यवस्थित नहीं किया गया है। एयर कंडीशनर प्रसाधन सामग्रियों आदि पर लगे कर का स्वागत है परन्तु हमारा पुराना अनुभव बताता है कि इसके उत्पादन पर इस सब का कोई प्र ाव नहीं पड़ा है। चीनी, सीमेंट आदि पर लगे उत्पादन शुल्क से लगभग 70 करोड़ रुपये मिलेंगे । ये कर राजस्व प्राप्त करने की बजाय निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से लगाये गये हैं ।

विकास योजनाओं की बड़ी सीमा तक सुरक्षा प्रदान की गयी है। परिव्यय बढ़ कर 5,960 करोड़ रुपये होगा जो गत वर्ष से 23 प्रतिशत अधिक है। इससे मूल्य वृद्धि के अन्तर को समाप्त नहीं किया जा सकेगा परन्तु कृषि, बिजली और उर्वरक आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्र को पर्याप्त धन दिया जा सकेगा ।

खेद की बात है कि सामाजिक सेवाओं को कम प्राथमिकता दी गई है। इसके लिये अधिक धन की व्यवस्था होनी चाहिये थी। कुडुम्बो जाति के जो अन्य अनुसूचित जातियों से कहीं गरीब है, अनूसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिये।

अमरीका द्वारा डियगो गार्सिया में नौसैनिक अड्डा बनाये जाने से हम बड़े चिंतित हैं। इसलिये कोचीन में नौसैनिक अड्डा बनाया जाना अब आवश्यक हो गया है। इस दिशा में शीघ्र कदम उठाये जाने चाहियें।

इदीकी परियोजना के पूरा होने पर केरल में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जायेगी। इसका उपयोग राज्य में लघु उद्योग समूह चालू करने में किया जाना चाहिये। इसमें बहुत से शिक्षित बेरोजगारों को काम मिल सकता है। उपलब्ध बिजली को देखते हुए बैंकों को इन बेरोजगार शिक्षितों को बिना ब्याज के ऋण लम्बे समय के लिये देने चाहिये।

केन्द्र द्वारा कोचीन में चालू की गई योजना को पूरा किये जाने के बारे में आशायें प्रकट की गयी थी। सुपर टैंकर बर्थ परियोजना, कोचीन शिप-यार्ड आदि योजनायें इनमें शामिल हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार स्पंघी (जालौर) : मैं वर्ष 1975-76 के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

1974-75 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस बीच भारत में ही नहीं विश्व भर में मुद्रास्थीति बढ़ी है। रुपये का मूल्य गिरा है। मूल्य बढ़े हैं। महंगाई भत्ते के के रूप में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राशि देनी पड़ी। रेलवे, इंडियन एयर लाइन्स, एयर इंडिया, जूट और कपड़ा उद्योगों में श्रमिकों की हड़तालें हुई। खाद्यान्न, उर्वरक और कच्चा तेल आयात करने के कारण बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर गई। इन समस्याओं के बावजूद देश ने अच्छी प्रगति की। पिछले तीन महीनों में मूल्य स्थिर हुए हैं। मुद्रास्तीति पर नियंत्रण कर लिया गया है यह अच्छे आसार ह।

उर्वरक कारखानों में मुश्किल से 44.9 प्रतिशत उत्पादन होता है जबकि ग़ैर सरकारी उद्योगों में अपनी क्षमता का 74 प्रतिशत उत्पादन होता है। यह एक गम्भीर बात है। सरकारी उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाकर गैर सरकारी उद्योगों से प्रतियोगिता करने की स्थिति में आना चाहिये। इनमें से बहुत से कारखानों में अत्यधिक हानि हो रही है। इनके कार्यकरण को सुधारा जाना चाहिये।

केन्द्रीय पूल में से बांटे गये उर्वरक का 239 करोड़ रुपया राज्य सरकारों के पास पड़ा है, जो वसूल नहीं हुआ है। इन रुपयों को राज्य सरकारों के पास छोड़ने से देश में अप्रत्यक्ष मुद्रास्थीति हो गई है। मुद्रास्थीति को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि कोई ऐसी बात न होने दी जाये जिससे अप्रत्यक्ष मुद्रास्थीति हो।

महंगायी भत्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 272 अंक से ऊपर के उपभोक्ता सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता देने की बात, बातचीत का विषय है। बातचीत से कोई भी निष्कर्ष निकले, पर ऐसा होने तक कुछ भुगतान तो करना ही होगा।

सरकार को इसके लिय हो सकता है पूरक बजट पेश करना पड़े। लोग दोबारा कर लगाने और मूल्य ब ने को पसंद नहीं करेंगे।

अनिवार्य बचत के रूप में 100 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों से लिया जा रहा है। इस रुपये का लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिये, जिनका कि यह रुपया है। इस की ब्याज दर को बढ़ाया जाये।

तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के लिये 5,000 रुपये की बीमा पालिसी होनी चाहिये। यह एक अच्छा सुझाव है और सरकार को इसे लागू करना चाहिये।

भविष्य निधि से रुपया निकलवाने पर रोक लगाने की बात भी की गयी है। सरकार को इसकी दर 9 प्रतिशत करनी चाहिय जिससे कि लोग अपना रुपया भविष्यनिधि में रखें और निकालें नहीं।

यह बात सचमुच आश्चर्यजनक होगी कि दिल्ली की अपेक्षा कुछ राज्यों में पैट्रोल अधिक दाम पर बिका। कुछ राज्य 15 प्रतिशत बिक्री कर लेते हैं और इस कारण पैट्रोल का मूल्य 55 पैसे बढ़ गया है। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

जो रियायतें अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में दी गयी हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिये। निम्नतम वेतन स्तर वालों को कोई रियायत नहीं मिली है यद्यपि भूतालिंगम समिति ने 7,500 रुपये तक कर से छूट देने की सिफारिश की थी परन्तु सरकार ने पिछले वर्ष इसे 6,000 तक ही बढ़ाया। इसे 7,500 रुपये किया जाये।

देश में निवेश सम्बन्धी वातावरण बहुत खराब है। पूंजीगत निवेश बहुत कम हो रहा है। नये उद्योगों को करों के सम्बन्ध में कुछ लाभ दिया गया है। परन्तु नये उद्योगों को अपने पैरों पर खड़ा होने में लम्बा समय लगता है तथा उनमें बहुत कम लाभ होता है। क्या मंत्री महोदय उन्हें कुछ विकास सम्बन्धी छूट देंगे।

राजस्थान में कुछ सीमेंट कारखाने खोलने के लिये लाइसेंस दिये हैं। यदि कोई उनकी स्थापना में असफल हो तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाये तथा वे लाइसेंस उन लोगों को दिये जायें जो वास्तव में कारखाना स्थापित कर सकते हैं।

देश में आजकल यह विचारधारा फैली है कि कराधान को कम किया जाये। लगायी गई एक प्रतिशत लेवी की अदायगी सम्बन्धी लेखों को बनाने के लिये छोटे निर्माताओं को अपनी आय का 5 प्रतिशत भाग व्यय करना पड़गा। एक प्रतिशत लेवी को वसूल करने के लिये भी सरकार को कुछ व्यय करना पड़ेगा। अतः उत्पाद शुल्क केवल कुछ ही उद्योगों तक सीमित रहना चाहिये।

कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिये तथा इन वस्तुओं से विक्रय कर हटाया जाना चाहिये। सम्भवतः हम इसके अतिरिक्त और 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगायें ताकि कर की लेवी केवल एक ही क्षेत्र में लगायी जा सके और राज्य सरकारों को उन वस्तुओं पर बिक्रय कर न लगाना पड़े जिन पर उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

वित्त मंत्री ने जीवन बीमा निगम के लाभों के बारे में 4,000 रुपये की छूट दी है। आज हमने बैंकों सम्बन्धी समाचार पत्रों में विज्ञापन देखे जिसमें कहा गया है कि यदि कोई आदमी किसी निश्चित समय के लिये कुछ राशि जमा करे तो उसे इससे बड़ी राशि वापस मिलेगी। लेकिन जीवन बीमा निगम का कार्य संतोषजनक नहीं है।

बोनस में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। खर्चे बढ़ रहे हैं। जीवन बीमा निगम में चार भिन्न-भिन्न निगम होने चाहियें ताकि वे आपस में प्रतियोगिता कर सकें और लोगों को पहले से अच्छी सेवा मिल सके।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले चार वर्षों के दौरान विदेशी सम्पर्क के मामले में ही नहीं बल्कि भीतरी समस्याओं को हल करने के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं। हमें आशा है कि इन बजट प्रस्तावों द्वारा हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे।

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : वित्त मंत्री इस कारण बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने घाटे को लगभग 600 करोड़ रुपये तक सीमित रखा है। अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये माननीय मंत्री जीने कदम उठाये हैं। वर्तमान मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक उत्पादन तथा क्षमता के पूरे उपयोग के सम्बन्ध में योजना बनाना जरूरी है। चीनी के निर्यात से हमें 125 करौड़ रुपये की आय हुई है। आगामी वर्षों में भी आय होती ही रहेगी। चीनी तथा अन्य वस्तुओं पर लगने वाली चुन्गी से और अधिक लाभ होगा जो भुगतान स्थिति को सुगम बनाने के लिये काफी योगदान देगा।

वित्त मन्त्री ने आगामी वर्षों के लिये योजना परिव्यय को 23 प्रतिशत बढाकर 6000 करोड़ रुपये के लगभग कर दिया है ताकि कृषि, बिजली तथा उर्वरक उद्योगों के लिये व्यवस्था की जा सके। वर्ष 1975–76 में कृषि के लिये 270 करोड़ रुपये, बिजली के लिये 140 करोड़ रुपये तथा उर्वरक के लिये 192 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हमारी अर्थ-व्यवस्था का सबसे बुरा पहलू यह है कि चालू वर्ष के दौरान हमें 5.5 मीट्रिक टन खाद्यान्नों का आयात करना पड़ेगा। हमारे औद्योगिक उत्पादन का 45.1 भाग कृषि उत्पादन पर निर्भर करता है। खाद्यान्नों के आयात के साथ हम मुद्रास्थीति का भी आयात करते हैं।

उर्बरकों की कीमतें बढ़ गई हैं और हम निर्धन किसानों की पहुंच से बाहर हो गये हैं। खाद्यान्नों के आयात अथवा इसे राज-सहायता देने के बजाये हम उर्बरकों का आयात करें तथा मूल्य कम रखने के लिये राज सहायता दें। 1974–75 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लख किया गया है कि नकदी फसलों का उत्पादन सिंचाई सुविधाओं के अभाव में अधिक नहीं हो सका।

गत दो वर्षों के दौरान बिजली की कमी के कारण कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन को काफी क्षति पहुंची। अब स्थिति में कुछ सुधार हो गया है, लेकिन देश में अभी काफी मात्रा में बिजली के उत्पादन की जरुरत है। इस बजट में बिहार की तापीय परियोजना के लिये क्यों व्यवस्था नहीं की गई है? गंडक परियोजना गत दस वर्षों से निर्माणाधीन है और इसके लिये वित्तीय व्यवस्था यदि ऐसी ही रही जैसी कि इस समय है तो इसमें और भी अधिक विलम्ब हो सकता है।

यदि हमें सिंचित भूमि के क्षेत्र को 10 लाख हैक्टेयर से बढ़ा कर 20 लाख हैक्टेयर करना है तो हमें इन सिचाई परियोजनाओं की हर हालत में पूरा करना होगा। मेरा सुझाव हैं कि इन परियोजनाओं को केन्द्र अपने हाथ में ले ले।

विश्व व्यापी ऊर्जा संकट के कारण विकास शील देशों के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी का दुगुना महत्व हो गया है। चौथी योजना के दौरान आर्थिक विकास की दर तथा रोजगार की व्यवस्था अत्यन्त कम रही है और हमें दुख के साथ गांधी जी की यह बात याद आ रही है कि "सर्चलाइट को अन्दर की ओर घुमाना चाहिये।"

मैं एक बार फिर वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़े और कठिन कार्य को बड़ी योग्यता और दृढ़ निश्चय से हल कर लिया है।

Shri Shrikishore Modi (Sikar): Corruption can not be stopped unless we strike at its roots. I dont' want to criticise the imposition of taxes but there is great resentment among the people due to taxes, to check black market it is necessary to segregate big businessmen and small businessmen because big businessmen indulge in black marketing through small traders. Infact taxes should be imposed only on big businessmen and big producers so that they are not able to evade taxes. Small traders should be given facilities. All the taxes should be imposed on manufacturers and unless they pay the taxes they should not be provided with trade mark etc.

You have imposed one percent excise duty on small scale industries. Steps should be taken to check 5 percent reoccuring expenditure. I have repeatedly requested that maximum limit in respect of small scale industries should be extended upto 15 lakhs. It is understood that this limit is going to be fixed at 10 lakhs. I consider it inappropriate because the prices of machinery have gone up three times.

I shall request you to safeguard the interests of small traders and segregate them from manufacturers. This will streamline the procedure and resentment will be eliminated.

In some parts of Rajasthan and U.P. a plant is sown which is called tobacco. But it is not tobacco. It is used neighther for manufacturing cigarettes nor for making 'Jarda', But tobacco tax is charged from the producers causing wide spread resentment. This tax should be withdrawn. It is not a commercial product.

Now I will say something about Rajasthan. It is a backward State. If you do not pay attention to it, the State can never develop schemes should be evolved to produce 400 M.V. power in Rajasthan, Fund should be allotted for the custruction of small dams and wells. Thousand acres of land is lying idle in Rajasthan. Immediate steps should be taken for levelling this land. Sepcial help should be provided to the harijans and backward people of the State in order to ensure their development. They are living in object poverty and sometimes they even mortgage their wives.

There is acute shortage of water. More funds should be made available to remove the problem of drinking water.

Working of banks is far from satisfactory. There is no discipline, no prompt service and no courtesy. Strict action should be taken to enforce discipline and to improve the working of banks.

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों के बारे में सदस्यों ने कई प्रकार के विचार प्रकट किये गये हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि लगभग 625 करोड़ रुपये का घाटा है जो कम होकर 300 करोड़ रुपये रह जायेगा। 13 राज्यों में बजट पेश हो चुके हैं जिनमें 145 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इस घाटे से भी हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़गा भारत सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

भारत के पास विशाल प्राकृतिक संसाधन और जनशक्ति-संसाधन हैं। लेकिन इनका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गत 27 वर्षों में पूर्णता उपयोग नहीं किया गया है। इसी कारणवश हमारे देश वर्तमान कठिन परिस्थितियों का सामना करने के निमित्त धन संचय नहीं कर पाया है।

सरकारी क्षेत्रों में पूंजी निवेश में वृद्धि, न करने के बारे में बजट में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सरकारी क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आशातीत कार्य नहीं हो रहा है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिय कदम उठाने चाहिय कि सरकारी क्षत्र के उपक्रमों में बेहतर कार्य हो।

उत्पादन बहुल कार्यक्रम तो बन्द हो गये हैं और हम गैर-आवश्यक मदों पर करोड़ों अथवा रुपया खर्च कर रहे हैं। हम आवश्यक मदों पर पूंजी निवेष नहीं कर रहे हैं। उत्पादन वाली मदों पर पूंजी लगायी जानी चाहिये। हमने अपनी निवेश नीति का पुनरीक्षण नहीं किया है।

महोदय, पिछले कुछ वर्षों से कृषि उत्पादन में कमी हो रही है। स्थिति बहुत चिंताजनक है। हमनें भूमिहीन लोगों में भूमि वितरित नहीं की है और अनेक राज्यों में भूमि -सुधार के कदम कारगर ढ़ंग से लागू नहीं हुए हैं। हमने उपलब्ध जल स्रोतों और खनिज सम्पदा का पूर्णत उपयोग नहीं किया है। हमने करोड़ों लोगों को, जो निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, इन कार्यक्रमों में नहीं लगाया है। हमारी आशातीत प्रगति न होने का एककारण यह भी है।

लगभग प्रत्येक गांव में वर्गगत वैर और असंतोष है और ग्राम्य अर्थ व्यवस्था एक तरह से पूर्णतः ठप्प हो गई है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग प्रसन्न नहीं हैं। वहां भी अमीर-गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। अनेक शहरी क्षेत्रों में कुछेक कम्पनियों या फैक्ट्रियों का अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहानुभूति गरीब जनता के प्रति न होकर अमीरों क प्रति कहीं अधिक है। राष्ट्रीयकृत बैंकों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिय।

भारत सरकार ने काला धन बाहर निकालने, तस्करों को पकड़ने और इनके सम्पर्क को नष्ट करन के लिए कई कदम उठा कर बहुत अच्छा किया है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये तस्कर धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से भी कार्य संचालन कर रहे हैं। मठों, गुरुद्वारों, और गुरुकुलों में अत्याधिक धन भरा पड़ा है। सरकार को यह धन बाहर निकालने के लिये कदम उठाने चाहियें। इन सभी संस्थाओं में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये प्रतिक्रियावादी शक्तियों के अड्डे बने हुए हैं।

कर्नाटक में कुछ कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा न होने से वहां बहुत हानि हो रही है। काली परियोजना, विजयनगर इस्पात संयंत्र और कई छोटी-बड़ी पत्तन विकास योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। इन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये।

निगमित क्षेत्र, व्यापार और उद्योग में होने वाले मुनाफे पर अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये। निर्धारित सीमा से अधिक मुनाफे को सरकार अनिवार्य ऋण के रूप में अपने अधिकार में ले ले।

उत्पादन के आधार भूत मद सीमेंट, चीनी तथा सभी वस्तुओं को सरकारी अधिकार में लिया जाना चाहिये।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयहित में राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वर्तमान नीति उपभोक्ताओं की सहायता करने की दृष्टि से पुर्नर्निधारित किया जाना चाहिये। सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक खर्च पर कड़ा नियंत्रण लगाना चाहिय ताकि लगातार होने वाली हानि को रोका जा सके।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री डी० वसुमतारी (कोकराझार) : सर्वप्रथम मैं आसाम में रेलव लाइन के बारे में कुछ उल्लेख करूंगा। कलकत्ता से बोगाईगांव तक बड़ी रेलवे लाइन है। हमारा अनुरोध है कि इसे गोहाटी तक बढ़ा दिया जाये। यह प्रस्ताव गत वर्ष के रेलवे बजट में सम्मिलित था लेकिन इस वर्ष आर्थिक कठिनाई के कारण इसे शामिल नहीं किया गया है। यह आसाम के हित में नहीं है। वित्त मंत्री इस उद्देश्य के लिये रेलवे को कुछ धन आवंटित करें ताकि बोगई गांव से जाने वाली रेल लाइन गोहाटी तक बढ़ाई जाये। आसाम राज्य को ब्रह्मपुत्र नदी की विनाशलीला से रक्षा की जानी चाहिये।

देश विकास कर रहा है लेकिन आदिवासी क्षेत्र के कुल भागों में संचार व्यवस्था कठिन है। अधिकारियों और मंत्रियों को इस क्षेत्र की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये। सरकार को इन क्षेत्रों में व्याप्त असन्तोष के कारणों की सावधानी से जांच करनी चाहिये और यह पता लगाना चाहिये कि कुछ आदिवासी सरकार को सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि अलग राज्य बनाने की उनकी मांग भी स्वीकृत कर ली गई है। आदिवासी लोग अनुसूचित जातियों के लोगों के स्तर तक नहीं आये हैं। सेवाओं में उनकी स्थिति और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सेवाओं के संबन्ध में संविधान का अनुच्छेद 335 उनके मार्ग में बाधक बना हुआ है। अतः इस अनुच्छेद का उचित संशोधन किया जाना चाहिये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामलों में ही योग्यता और उपयुक्तत का प्रश्न क्यों उठता है। मेरा अनुभव यह है कि जब भी अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में योग्य और उपयुक्त प्रत्याशियों की बात करते हैं तो उनके मन में इनके प्रति मानसिक अनुदार भावना होती है। अतः यह मानसिक अनुदार की भावना दूर की जानी चाहिये। यह कार्य मंत्रियों द्वारा ही किया जा सकता है। यदि वे सम्बन्धित अधिकारियों से कहेंगे तो वे उनका पालन करेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में देश म साक्षरता बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई है लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता क्रमशः 14 प्रतिशत और 11 प्रतिशत ही है। लेकिन हमें याद रखना चाहिये कि साक्षरता की प्रतिशतता मध्य प्रदेश में 55 प्रतिशत, मिजोरम में 60 प्रतिशत और नागालैण्ड में 55 प्रतिशत है। यदि हम ये आंकड़े घटायें तो पूर्वी क्षेत्र के शेष भागों में केवल 5 या 6 प्रतिशत ही साक्षरता है। यह अत्यन्त शोचनीय स्थिति है।

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय प्रशासनिकसेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं के लिए इलाहाबाद, पंजाब और मद्रास में पूर्व-परीक्षा केन्द्र खोलने चाहियें और इसके लिए राज्य सरकारों को उचित सहायता दी जानी चाहिये।

कार्मिक विभाग ने पदोन्नति में आरक्षण देने की स्वीकृति दे दी है। अतः इने भर्ती के लिए खोले गये पूर्व-परीक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त सेवारत कर्मचारियों के लिए भी पूर्व-परीक्षा केन्द्र खोले जाने चाहिये और ताकि पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई कर्मचारी अयोग्य न पाया जाये। इन्हें सेवारत प्रशिक्षण का अवसर भी दिया जाना चाहिये। यह सच है कि आदिवासी खण्डों के कुछ उद्देश्य तो पूरे हो गये हैं। अगम्य क्षेत्रों में सड़कें बन गई हैं, डाक्टरी सुविधाएं है और स्कूल खुल गये हैं। लेकिन जहां यह सब कुछ हुआ है वहां साहूकारों ने आदिवासियों से उनकी भूमि छीन ली है। यहां तक कि मालिक अपनी ही जमीन के पट्टेदार बन गये हैं। अतः मैं चाहता हूं कि आदिवासि खण्डों के विकास के लिए और अधिक काम किया जाना चाहिए।

Shri Sukhdev Prasad Verma (Nawada) : I congratulate the Finance Minister as he has presented a Budget which has raised many a hope and in which efforts have been made to eradicate evils like price rise, smuggling, tax-evasion, etc. In this Budget, steps have been taken to allocate more funds for increasing agricultural production, power generation and the fertilizers production, but there will not be any increase in production by mere allocating more funds. It will have to be seen that upto what stage the schemes in agricultural field have been implemented. No doubt good quality of seeds and modern implements are necessary but at the same time the agricultural labour must be assured additional profit in case of increase in production. Nothing has been done to fix minimum wage for agricultural landless labour in Bihar. In the areas where small farmers, Harijans and people of backward classes, which form 50 % of the country's population, are living below the poverty line, economic policies to be adopted with a veiw to find out basic shortcomings prevalent there must be gone into. These policies will have to be changed radically with a view to helping backward classes of the society, agricultural labour, small farmers, adivasis and Harijans.

It is good that banks have been nationalised and arrangements have been made to advance loans through cooperative banks. But less than 1 percent small farmers have been given loans. The procedure for advancing loans should be made more liberal so that inordinate delay in giving loans could be avoided. Ceiling on maximum amount of loans should be fixed on the basis of value of

land of the farmer. Radical changes must be made to create confidence in the farmers to the effect that they will be able to get short term and long term loans from bank without any difficulty.

It is a good thing that efforts have been made to bring backward states at par with developed states by providing more and more facilities there. Bihar is a backward state and it is prone to draught and famine. At the time of mak investment in irrigation work such areas should be given priority and special attention should be paid to the areas affected by floods. There are a large number of irrigation schemes of which preliminary survey has not yet been completed. Tiliya scheme has been shelved. Hence this scheme should be sanctioned.

Mention has been made about land reforms. Almost all the states have enacted land reforms Acts but have not implemented them. Consolidation work has been undertaken but it seems that bureaucratic administration is bent on making these schemes a failure. Serious consideration should be given to eliminate red-tapism.

Proper utilisation is not being made of the available water. In Bihar big landlords are enjoying all the facilities and small farmers are being exploited by the State tubewell corporation. Adivasis and Harijans have been given little representation in Govt. services. The policy may be suitably amended in this regard.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

53वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) ; महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 53 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : सभा 12 मार्च, 1975 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 12 मार्च, 1975 21 फाल्गुन 1896 (शक) के 11 बजे तक के लिए समवेत हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, March, 12 1975/Phalguna 21, 1896 (Saka).

75-M/S1LSS—200—13-8-75—GIPS